खण्ड–32, अंक–3
गुरूवार, 07 आश्विन, शक संवत् 1933
(29 सितम्बर, 2011 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2011)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 32 में 05 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	'क'
नियम–310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गयी सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जानें की माँग	1–2
प्रश्नोत्तर	3–22
श्री योगम्बर सिंह रावत, पूर्व सदस्य, उत्तराखण्ड विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार	22–27
नियम–310 के अन्तर्गत कांग्रेस के सभी सदस्यों द्वारा चर्चा कराये जाने की मांग	27
नेता सदन द्वारा विधायक निधि में वृद्धि की घोषणा	27–28
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	28
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक संवर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति हेतु नियम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	28
जनपद हरिद्वार में राजकीय जूनियर हाईस्कूल मखियाली खुर्द एवं अन्य राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृत्ति वर्ष, 2010–2011 के न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	29
जनपद हरिद्वार में पिछले पांच वर्षों से सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों को एम0डी0एम0 एवं अन्त्योदय राशन को लाने का किराया न मिल पाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	29
राजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डी0ए0वी0(पी0जी0) कालेज का परीक्षा परिणाम देर में आने के कारण तथा सत्र 2010–11 में छात्रों के परीक्षा फार्म देरी से जमा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	29–30

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद हरिद्वार के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अत्यधिक बरसात के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	30
जनपद उत्तरकाशी के तहसील भटवाड़ी तथा विकास खण्ड डुण्डा के अवशेष भाग को पिछड़ा क्षेत्र (ओ0बी0सी0) घोषित न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	30–31
जनपद अल्मोड़ा के तहसील चौखुटिया के अन्तर्गत रामगंगा नदी तथा तहसील द्वाराहाट में गगास नदी के तटबन्ध के पुनर्निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	31
जनपद पौड़ी के अन्तर्गत चौबट्टाखाल एवं डांडानागराजा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर पेयजल संकट के निवारण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	32
जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण तथा सल्ट में सरकार द्वारा निर्मित पटवारी चौकियों में पटवारियों के न बैठने से जन सामान्य को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत कई गांवों में खाद्यान्न संकट के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोट विकास खण्ड के अन्तर्गत नाहसैंण में उत्पन्न पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	33–34
जनपद चम्पावत के तहसील पाटी में राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	34
जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत कण्डीसौड़ में उप तहसील सृजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	35

विषय	पृष्ठ–संख्या
नियम–310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गयी सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग (क्रमागत)	35–36
कार्य स्थगत प्रस्ताव की सूचनाएं	36–37
उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 50(5)(क) के अन्तर्गत पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम का वित्तीय वर्ष, 2002–03 से 2009–10 तक का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	37
सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा (2009–10) का तृतीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	37
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	38
उत्तराखण्ड विधान सभा स्थल चयन समिति के कार्यकाल का विस्तार	38
दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को श्रीमती अमृता रावत, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–20 तथा द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम गुरूवार दिनांक 16 जुलाई, 2009 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–17 के उत्तर में संशोधन हेतु संसदीय कार्य मंत्री का शोधन वक्तव्य	39–40
उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 2003 की धारा–15 के अनुसार अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	41
वित्तीय वर्ष, 2011–12 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान	41
अनुदान संख्या–03, मंत्रि–परिषद्	41–42
अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन	42
अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	42

विषय	पृष्ठ–संख्या
अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं अन्य सेवायें	42–43
अनुदान संख्या–08, आबकारी	43
अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल	43–44
अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति ...	44
अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	44–45
अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	45
अनुदान संख्या–14, सूचना	45
अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं	46–47
अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार	47
अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान	47–48
अनुदान संख्या–18, सहकारिता	48
अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास	48–49
अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़	49
अनुदान संख्या–21, ऊर्जा	49
अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य	50
अनुदान संख्या–23, उद्योग	50
अनुदान संख्या–24, परिवहन	50–51
अनुदान संख्या–25, खाद्य	51
अनुदान संख्या–26, पर्यटन	51
अनुदान संख्या–27, वन	52
अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य	52
अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास	52–53
अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण	53

विषय	पृष्ठ–संख्या

अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 53

उत्तराखण्ड विनियोग (2011–2012 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011 (पारित) 54–58

उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित) 58–60

उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2011 को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द करने हेतु प्रस्ताव 60–62

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं 62

मनरेगा कर्मचारियों को एन0जी0ओ0 से अलग कर सरकार द्वारा भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में श्री यशपाल बेनाम, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ... 62–63

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण में सड़क योजना की स्वीकृति न मिल पाने से विकास योजना बाधित होने से व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... 63–64

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने विषयक प्रस्ताव 64

राष्ट्रगान 64–65

नत्थियां 66–138

''क''

उपस्थिति

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अरविन्द पाण्डे
3–श्री अनिल नौटियाल
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्रीमती आशा
6–श्री ओम गोपाल
7–श्री करन मेहरा
8–सुश्री कैरन मेयर
9–श्री किशोर उपाध्याय
10–श्री केदार सिंह रावत
11–श्री खजान दास
12–श्री खड़क सिंह बोहरा
13–श्री गगन सिंह
14–श्री गणेश जोशी
15–श्री गोपाल सिंह
16–श्री गोपाल सिंह रावत
17–श्री गोविन्द लाल
18–श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
19–श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20–श्री चन्दन राम दास
21–श्री जोगाराम टम्टा
22–श्री जोत सिंह गुनसोला
23–हाजी तस्लीम अहमद
24–श्री तिलक राज बेहड़
25–श्री दिनेश अग्रवाल
26–श्री दिवाकर भट्ट
27–श्री दिवान सिंह
28–श्री नारायण पाल
29–काजी मौ0 निजामुद्दीन
30–श्री पुष्पेश त्रिपाठी
31–श्री प्रकाश पन्त
32–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
33–श्री प्रीतम सिंह
34–श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
35–श्री प्रेमानन्द महाजन
36–श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
37–श्री बलवीर सिंह नेगी
38–श्री बिशन सिंह चुफाल
39–श्री बंशीधर भगत
40–श्री शेर सिंह गढ़िया
41–मे0ज0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी ए0वी0एस0एम0
42–श्री मदन कौशिक
43–श्री मनोज तिवारी
44–श्री मयूख सिंह
45–श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''मदू भाई''
46–श्री मातबर सिंह कण्डारी
47–श्री कुलदीप कुमार
48–श्री यशपाल बेनाम
49–चौ0 यशवीर सिंह
50–श्री रणजीत रावत
51–श्री राजकुमार
52–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
53–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
54–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
55–श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
56–श्रीमती बीना महराना
57–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
58–श्री सुरेन्द्र राकेश
59–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
60–श्री सुरेश चन्द जैन
61–श्री हरभजन सिंह चीमा
62–श्री हरिदास
63–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरूवार, दिनांक 29 सितम्बर, 2011 ई0

(विधान सभा का कार्य सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।)

नियम–310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गयी सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग

(माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य 'वेल' में कागज के पोस्टर लेकर अपनी बात को जोर–जोर से कहने लगे और नारे भी लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमारी नियम–310 की सूचना है। कृपया इसको सुन लें। (शोर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद बात कर लेते हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। (घोर व्यवधान) जब तक माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर नहीं चले जाते और सदन व्यवस्थित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। (घोर व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

आज प्रदेश भ्रष्टाचार के कारण विकास की योजनाओं से जूझ रहा है। (घोर व्यवधान) आज भी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश की राजधानी का निर्णय नहीं हो पाया है। इस सरकार का यह विधान सभा का और सत्र का अन्तिम दिन है, यह बात कही जा रही है। मान्यवर, सरकार गैरसैंण में राजधानी की घोषणा के लिए पीठ से एक विशेष सत्र आहूत करने की घोषणा करे। (घोर व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमारे द्वारा दो दिन से लगातार नियम–310 की सूचना दी जा रही है, मगर सरकार हमारी सूचना का संज्ञान नहीं ले रही है। आज प्रदेश के अन्दर चाहे कुम्भ घोटाला हो, जमीन का घोटाला हो या सैनिटोरियम घोटाला हो, तराई बीज घोटाला और अन्य तमाम सारे घोटाले उजागर हुए हैं। अगर कोई घोटाला ही नहीं हुआ है तो सरकार जाँच कराने से क्यों डर रही है ? अगर सरकार पाक साफ है और कोई घोटाला नहीं हुआ है, सरकार ने ईमानदारी से काम किया है तो सी0बी0आई0 जाँच कराने में क्यों डर रही है ? सरकार सी0बी0आई0 जाँच के लिए प्रस्ताव बनाकर भेज दे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। मगर सरकार जाँच से डर रही है, इससे साफ लगता है कि सरकार ने घोटाले किये हैं। सरकार ने प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमारी नियम–310 की चर्चा स्वीकार की जाए। मगर सरकार उन पर चर्चा नहीं कराना चाहती

है। सरकार हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है। हम सी0बी0आई0 जाँच की मांग कर रहे हैं। (घोर व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ भी 'वेल' में आ गये।)

(माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी 'वेल' में कागज लेकर अध्यक्ष आसन की तरफ बढ़ने लगे जिन्हें विधान सभा के रक्षकों द्वारा 'वेल' में ही रोक लिया गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल होने दें। प्रश्न काल के बाद सुन लेंगे। यह व्यवस्था खुद आपने ही बनाई थी। (घोर व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

(घोर व्यवधान)

(कांग्रेस पार्टी के कुछ माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह, श्री दिनेश अग्रवाल, श्री करन मेहरा और श्री मनोज तिवारी अध्यक्ष आसन की तरफ बढ़ने लगे। माननीय सदस्यों को विधान सभा रक्षकों द्वारा रोका गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं चले जाते, तब तक किसी भी माननीय सदस्य की बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपने खुद व्यवस्था बनायी थी, यह आपकी ही व्यवस्था है कि प्रश्नकाल के बाद सुन लिया जाय। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं सदन की कार्यवाही को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 12:20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित प्रश्न

जनपद टिहरी अन्तर्गत ग्राम डौंर में भू–स्खलन से हुई जनहानि तथा खतरे की जद में आये परिवारों का विस्थापन

**1–श्री ओम गोपाल–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि दिनाँक 11 सितम्बर, 2011 को विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर (जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत) के ग्राम डौंर में भू–स्खलन से 6 लोगों एवं मवेशियों की मलबे में दबने से मृत्यु हो गयी एवं अभी भू–स्खलन जारी है ?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि भू–गर्भवेत्ताओं द्वारा भू–स्खलन से डौंर गांव के और परिवारों को भी खतरे की जद में बताया गया है ? यदि हाँ, तो क्या खतरे की जद में आये और परिवारों को अन्यत्र विस्थापित किया जायेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि उद्यान एवं फलोद्योग एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

जनपद टिहरी गढ़वाल की तहसील नरेन्द्रनगर के ग्राम डौंर में दिनाँक 11.9.2011 को हुए भूस्खलन के कारण 06 व्यक्तियों की मृत्यु, 05 पशुहानि एवं 03 भवन पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

ग्राम डौंर के सम्बन्ध में भू–गर्भवेत्ताओं की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस ग्राम का भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जा रहा है, भूगर्भीय सर्वेक्षण के उपरान्त सम्यक् निर्णय नियमानुसार लिया जायेगा।

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड कृषि नीति का पारण तथा कृषि को उद्योग का दर्जा

*1–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि नीति को लागू कर दिया गया है ?

यदि हाँ, तो क्या नीति पारित की गयी है ?

क्या सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा देने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

नोटः– उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

उत्तराखण्ड कृषि नीति 2011 की प्रति संलग्न † है

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्योग एवं कृषि अर्थव्यवस्था के पृथक–पृथक क्षेत्र हैं।

तारांकित प्रश्न

*1–श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री राजेश जुवांठा–

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त

प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी उद्यान तथा फलों का प्रतिवर्ष उत्पादन

*2–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकारी व गैर सरकारी कुल कितने उद्यान हैं ?

तथा अलग–अलग किस्म के फलों का कितना–कितना उत्पादन प्रतिवर्ष होता है ?

क्या इससे होने वाली आय को सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

क्या सरकार उद्यानपतियों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश में उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

वर्तमान में प्रदेश में कुल 90 उद्यान, उद्यान विभाग के पास हैं। वर्ष, 2009–10 तक की सूचना के अनुसार गैर सरकारी क्षेत्र में कुल 1,59,526 उद्यान हैं।

अलग–अलग किस्म के फलों के उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0 सं0	फल की किस्म	कुल उत्पादन (मी0टन)	
		2009–10	2010–11
1	सेब	113992	135894
2	नाशपाती	99599	108582
3	आडू	47726	48530
4	प्लम	39974	41156
5	खुमानी	30311	32064
6	अखरोट	20720	21706
7	नींबू	126581	134463
8	आम	120785	135320
9	लीची	15654	18732
10	आंवला	—	653
11	अमरूद	—	8926
12	अन्य फल	108232	106852
	योग	723554	792077

† (देखिये नत्थी "क" पृष्ठ संख्या 66 पर)

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकार द्वारा पूर्व में ही जनपद पौड़ी के भरसार नामक स्थान पर उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है।

पंचायतीराज एक्ट बनाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्यवाही तथा प्रगति

*3–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य पंचायतीराज एक्ट बनाए जाने के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक राज्य पंचायतीराज एक्ट तैयार किया जायेगा ?

पंचायतीराज एवं वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम निर्माण की कार्रवाई सर्वप्रथम वर्ष, 2002–2003 में आरम्भ की गयी तथा उत्तराखण्ड राज्य का अपना पंचायतीराज अधिनियम निर्माण किये जाने हेतु शासन द्वारा समय–समय पर अधिनियम निर्माण हेतु समितियों का गठन किया गया तथा इन समितियों की समय–समय पर बैठकें आयोजित की गई। जिसमें समितियों के सदस्यों तथा त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किये गये। दिनाँक 31–01–2008 द्वारा गठित समिति का एक दल हिमाचल प्रदेश राज्य की पंचायतीराज व्यवस्थाओं के अध्ययन हेतु भ्रमण पर गया था। दल द्वारा अपनी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

अधिनियम निर्माण समितियों द्वारा दी गयी संस्तुतियों, अध्ययन रिपोर्ट, भारत सरकार के पंचायतीराज मॉडल एक्ट, अन्य स्रोतों से प्राप्त सुझाव तथा पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के अधिनियम तथा उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से राज्य के पंचायतीराज अधिनियम को अंतिम रूप दिये जाने हेतु ड्राफ्ट तैयार करने हेतु ड्राफ्ट समिति गठित की गई है।

ड्राफ्ट समिति द्वारा तैयार किये गये पंचायतीराज अधिनियम का ड्राफ्ट प्राप्त होने के उपरान्त शीघ्र ही उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय गारण्टी रोजगार योजना के अन्तर्गत राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों के रूप में पंचायत भवनों के निर्माण का प्राविधान तथा प्रस्तावित सेवा केन्द्रों का जनपदवार विवरण

*4–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों के रूप में पंचायत भवनों का निर्माण करवाए जाने का प्राविधान है ?

यदि हाँ, तो इस योजना के अन्तर्गत राज्य में निर्मित/निर्माणाधीन अथवा प्रस्तावित राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों का जनपदवार विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में कब तक इस योजना के अन्तर्गत राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों के रूप में पंचायत भवनों का निर्माण किया जायेगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जनपदवार विवरण संलग्न। †

पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों का निर्माण महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत किया जाता है, जो कि एक केन्द्रपोषित योजना है। पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में इन केन्द्रों का निर्माण योजनान्तर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तद्नुसार ही यथासमय राजीव गाँधी सेवा केन्द्रों का निर्माण किया जाना सम्भव होगा।

प्रदेश में उरेडा के अन्तर्गत लघु जल विद्युत परियोजना का पूर्ण निर्माण

*5–श्री शेर सिंह गढ़िया–

क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत उरेडा को निर्माण हेतु आवंटित लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब के कारण कई क्षेत्रों की जनता विद्युत की सुविधा से वंचित है ?

यदि हाँ, तो सभी विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

उरेडा द्वारा ग्रामीण ऊर्जा समितियों के माध्यम से निर्मित कराई जा रही 25 लघु जल विद्युत परियोजनाओं में से 11 लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है। अवशेष 14 में से 10 परियोजनाओं के अत्यधिक दुर्गम क्षेत्रों में होने, चालू एवं विगत वर्षों में भारी वर्षा के कारण मार्गों के क्षतिग्रस्त होने तथा वन भूमि के हस्तान्तरण में विलम्ब होने के कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ है, की सूची संलग्न (संलग्नक–1) है। †

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या–120 पर)
† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या–121 पर)

उपरोक्त परियोजनाओं से आच्छादित ग्रामों के लाभार्थियों में से अधिकांश को प्रकाश व्यवस्था हेतु सौर ऊर्जा संयंत्र पूर्व में सुलभ कराये गये हैं (संलग्नक–2)† निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर नियमित विद्युत सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

निर्माणाधीन परियोजनाओं की सूची संलग्नक–1 एवं 3† में प्रस्तुत है, में परियोजना के पूर्ण होने की सम्भावित तिथि अंकित है।

अतारांकित प्रश्न

जिलाधिकारी के पत्रांक–942/दिनांक 13/25–3–2010 के अनुपालन में राजकीय क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की आपदा राहत निधि के अन्तर्गत मरम्मत कार्य

1–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के प्रथम सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–35 के संदर्भ में क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक–942/13 सी0आर0ए0(09–10), दिनाँक 25 मार्च, 2010 के अनुपालन में अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा खण्ड विकास अधिकारी बीरोंखाल द्वारा आगणन उपलब्ध न किये जाने के प्रति क्या कार्यवाही की गई है और राजकीय क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की आपदा राहत निधि के अन्तर्गत कब तक मरम्मत की जायेगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष, 2010–11 में जिलाधिकारी, गढ़वाल के पत्रांक–942/13–सी0आर0ए0 (2009–10), दिनांक 25.03.2010 के अनुक्रम में प्राप्त योजनाओं के परीक्षणोपरान्त 36 कार्ययोजनाओं में से गाइड लाइन्स से आच्छादित 16 कार्ययोजनाओं हेतु धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। शेष कार्ययोजनायें सी.आर.एफ. गाइड लाइन्स से आच्छादित नहीं पायी गयी हैं।

प्रदेश में दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों/गाँवों के पुनर्वास हेतु की गई कार्यवाही व परिणाम

2–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के प्रथम सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–33 के संदर्भ में क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों/गाँवों के पुनर्वास हेतु अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक प्रस्तावित परिवारों/गाँवों का पुनर्वास किया जायेगा ?

† (देखिये संलग्नक नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या–123 पर)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

राज्य के प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों/गाँवों के पुनर्वास हेतु पुनर्वास नीति तैयार कर ली गयी है। इस नीति में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप जिलाधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप नियमानुसार पुनर्वास पर विचार किया जायेगा।

हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल जिलों में प्रतिवर्ष भारी वर्षा के कारण कृषि भूमि का कटाव रोकने हेतु सरकार की नीति

3–श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या कृषि मंत्री अवगत हैं कि प्रतिवर्ष भारी वर्षा के कारण हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल जिलों में छोटे–छोटे नदी नालों द्वारा कृषि भूमि का कटाव होता है ?

यदि हाँ, तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या नीति बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ,

जनपद हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल में प्रति वर्ष भारी वर्षा के कारण नदी नालों द्वारा कृषि भूमि के कटाव ग्रस्त क्षेत्र का विभाग द्वारा सर्वेक्षण कर योजनायें तैयार कर जिला योजना एवं राज्य योजना तथा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता के आधार पर वानस्पतिक एवं अभियांत्रिक संरचनाओं का निर्माण कर कृषि भूमि कटाव नियंत्रण कार्य कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

तत्कालीन उपनिदेशक, पशुपालन विभाग पौड़ी द्वारा नियमों के विपरीत आश्वासन दिये जाने तथा गुमराह कर निशुल्क भूमि अर्जित किये जाने के प्रति उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही

4–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या–04 के सन्दर्भ में क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तत्कालीन, उप निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी के द्वारा नियमों के विपरीत दिये गये आश्वासन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा भूमिदान देने वाले परिवार को नियम विरुद्ध आश्वासन देकर गुमराह कर निःशुल्क भूमि अर्जित किये जाने के प्रति उत्तरदाई अधिकारी के प्रति क्या कार्यवाही की गई है ?

तथा इस भूमि का दाखिल खारिज विभाग के नाम कब किया गया है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

तत्कालीन उप निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी, जिनके द्वारा आश्वासन दिया गया था, मूल रूप से सामान्य संवर्ग के होने के कारण उनका स्थानान्तरण वर्ष 1994 में उत्तर प्रदेश के लिए हो गया था तथा उनकी मृत्यु हो चुकी है। अतः उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

इस भूमि के दाखिल खारिज हेतु नायब तहसीलदार, पौड़ी द्वारा दाखिल खारिज वाद 384/2010–11 घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है तथा दिनाँक–18–10–2011 तक न्यायालय में आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु घोषणा जारी की गई है। इस तिथि के पश्चात ही दाखिल खारिज किया जाना सम्भव होगा।

नगरीय क्षेत्रों व विद्युतीकृत गाँवों के नागरिकों को वैकल्पिक ऊर्जा की सुविधा सब्सिडी के साथ प्रदान किये जाने पर विचार

5–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरीय क्षेत्रों व विद्युतीकृत गाँवों में रहने वाले नागरिकों को वैकल्पिक ऊर्जा की सुविधा सब्सिडी के साथ प्रदान किये जाने पर सरकार विचार करेगी ?

क्या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को विद्युत लाईन आपूर्ति के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जा योजनाओं पर अनुदान अनुमन्य किया जा रहा है, का विवरण (संलग्नक–1)† पर है।

नहीं।

वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की व्यवस्था है। वैकल्पिक ऊर्जा से ऐसे क्षेत्रों में, जहां ग्रिड लाईन उपलब्ध नहीं है, को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत सुविधा अनुमन्य किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

---

†(देखिये संलग्नक नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ संख्या–125 पर)

राज्य में पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों की विकास खण्डवार संख्या एवं पंचायत भवनों का निर्माण

6–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य मे पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों की विकास खण्डवार संख्या क्या है तथा कब तक पंचायत भवन रहित ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण किया जायेगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

राज्य में पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों की कुल संख्या–1041 है, जिसमें ऐसी ग्राम पंचायतें भी सम्मिलित है जिनमें पूर्व में निर्मित पंचायत भवन जीर्ण–शीर्ण/ध्वस्त अवस्था में और पुनर्निर्माण योग्य हैं। विकास खण्डवार विवरण संलग्न है।†

पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना/पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजनान्तर्गत पंचायत भवन संसाधन केन्द्र/भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र के निर्माण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आपदा प्रबन्धन योजना में सम्मिलित आपदाओं के सापेक्ष दुर्घटना से प्रभावितों को मुआवजे का प्राविधान

7–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या दैवीय आपदा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने किन–किन आपदाओं को आपदा प्रबन्धन योजना में सम्मिलित किया है, जिनके लिये विभाग क्षतिपूर्ति/मुआवजा प्रदान करता है ?

क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ या पेड़ पर चढ़कर ईंधन व पशुओं हेतु चारा प्राप्त करने के लिये प्रयास करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने पर दुर्घटना से प्रभावित को आपदा प्रबन्धन राहत योजना में सम्मिलित करने जा रही है ?

यदि हाँ, तो कितनी धनराशि इस हेतु मुआवजे के रूप में दिये जाने का प्राविधान किया जा रहा है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत इस हेतु कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निम्न आपदाओं को आपदा प्रबन्धन योजना में सम्मिलित किया गया है:–

1–सूखा, 2–बाढ़, 3–चक्रवात, 4–भूकम्प, 5–अग्नि, 6–ओलावृष्टि, 7–भूस्खलन,

† (देखिये संलग्नक नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ संख्या–126 पर)

8–हिमस्खलन, 9–बादल फटना, 10–टिड्डी एवं चूहों का आक्रमण। जिनके लिये विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति/मुआवजा अनुमन्य है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उत्तराखण्ड राज्य में ग्राम पंचायत अधिकारियों के स्वीकृत/कार्यरत् तथा रिक्त पदों का जनपदवार विवरण एवं रिक्त पदों पर ग्राम पंचायत अधिकारियों की तैनाती

8–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य में ग्राम पंचायत अधिकारियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का जनपदवार विवरण क्या है तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की दिशा में किए गए प्रयासों और उनके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक रिक्त पदों पर ग्राम पंचायत अधिकारियों की तैनाती की जायेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तराखण्ड में पंचायतीराज विभाग में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के स्वीकृत ढाँचे के अनुसार 670 पद स्वीकृत हैं, स्वीकृत पदों के सापेक्ष 402 कार्मिक कार्यरत हैं तथा 268 पद रिक्त हैं। विभाग में स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का जनपदवार विवरण संलग्न है।

अधिसूचना संख्या–761, दिनाँक 18.10.2006 (उत्तराखण्ड ग्राम विकास अधिकारी नियमावली 2006) में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार 3 ग्राम पंचायतों में 01 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तैनात किये जाने हेतु 2409 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। सभी 13 जनपदों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के रिक्त 1923 पदों को भरने हेतु दिनाँक 18.06.2008 को विज्ञप्ति प्रख्यापित की गई थी, जिसमें लगभग 1,19,401 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उक्त पदों को भरने के संबंध में परीक्षा आयोजित करने हेतु पन्तनगर विश्वविद्यालय को रू0 40.00 लाख की धनराशि प्रदान की जा चुकी है। उक्त सीधी भर्ती के 2409 पदों को विभागीय ढाँचे में सम्मिलित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है (स्वीकृत 2409 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पदों के सापेक्ष जनपदवार कार्यरत एवं रिक्ति का विवरण संलग्न)†

† (देखिये संलग्नक नत्थी 'च' आगे पृष्ठ संख्या–130 पर)

जनपद पौड़ी अन्तर्गत बीरोंखाल पोखड़ा तथा एकेश्वर के ग्राम सभाओं में पशु चिकित्सालयों/पशुधन प्रसार केन्द्रों की स्थापना एवं उनका निर्माण कार्य

9–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष, 2007–08 से अब तक विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के विकास खण्ड बीरोंखाल, पोखड़ा तथा एकेश्वर के किन–किन स्थानों/ग्राम सभाओं में पशुचिकित्सालयों/पशुधन प्रसार केन्द्रों की कब–कब स्थापना की गई है ?

तथा किन–किन पशुचिकित्सालयों एवं पशुधन प्रसार केन्द्रों के भवनों का निर्माण करवाया गया है ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन–किन पशुचिकित्सालयों एवं पशुधन प्रसार केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जित की गई है और शेष के लिए कब तक भूमि अर्जित की जायेगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

वर्ष, 2007–08 से अब तक विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के विकास खण्ड बीरोंखाल, पोखड़ा तथा एकेश्वर में उक्त अवधि में कोई भी पशुचिकित्सालय स्थापित नहीं हुआ है।

उक्त अवधि से अब तक निम्नांकित स्थानों/ग्राम सभाओं में कुल 10 पशुधन प्रसार केन्द्रों की स्थापना की गई है:–

विकास खण्ड बीरोंखाल

पशुसेवा केन्द्र का नाम	ग्राम सभा का नाम	स्थापना कार्य
1. स्यूसी	स्यूसी	2010–11
2. मैन	मैन	2010–11
3. कोटा	कोटा	2010–11
विकास खण्ड पोखड़ा		
1. देवराड़ी देवी	देवराड़ी देवी	2010–11
2. मजगाँव	चौबट्टाखाल	2010–11
3. गजरी(कोटखाल)	गजरी	2010–11
विकास खण्ड एकेश्वर		
1. कोटा	कोटा	2010–11
2. घरासू	घरासू	2010–11
3. स्यूली	स्यूली	2010–11
4. गौदाड़ी	गौदाड़ी	2010–11

भूमि की व्यवस्था न हो पाने के कारण उक्त पशुसेवा केन्द्रों में से किसी भी पशुसेवा केन्द्र का भवन निर्माण नहीं हो पाया है। सम्प्रति इन केन्द्रों को किराये के भवनों में संचालित किया जा रहा है।

उक्त में से किसी भी पशुसेवा केन्द्र के भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जित नहीं की गई है। क्योंकि विभाग में भूमि क्रय हेतु धनराशि की व्यवस्था नहीं है। पशुचिकित्सालय हेतु भूमि ग्राम पंचायत/ग्रामीणों से निःशुल्क एवं दानस्वरूप ही प्राप्त की जाती है। जिससे भूमि प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है तथापि भूमि की व्यवस्था हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में चारा बैंकों की स्थापना तथा महिलाओं को चारा ढोने में प्रदान की गई राहत

10–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा प्रदेश में चारा बैंकों की स्थापना कहाँ–कहाँ पर की गयी है ?

तथा अब तक कितनी महिलाओं को इसके अन्तर्गत चारा ढोने में राहत प्रदान की गई है ?

यदि नहीं तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

प्रदेश के सभी जनपदों के कुल 78 विकास खण्डों में चारा बैंक स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जिनमें से 50 विकास खण्डों में चारा बैंक स्थापना का कार्य पूर्ण में हो चुका है, 15 विकास खण्डों में चारा बैंकों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है तथा 13 विकास खण्डों में चारा बैंकों की स्थापना हेतु सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को धनराशि निर्गत कर दी गई है। उक्त चारा बैंकों का विवरण संलग्न है। †

चारा बैंकों के माध्यम से कॉम्पैक्ट फीड ब्लॉक वितरित करने से अब तक 7959 महिलाओं को चारा ढोने में राहत प्राप्त हुई है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 2010–11 में प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावितों को आपदा राहत निधि से आवंटित धनराशि की जिलेवार लाभार्थियों एवं राहत से वंचितों की सूची

11–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आपदा राहत निधि से वर्ष, 2010–11 में कुल कितनी राहत निधि बांटी गयी है तथा प्रत्येक जिले की जिलेवार लाभार्थियों की सूची क्या है ?

† (देखिये संलग्नक नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ संख्या–131 पर)

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि किन–किन मदों में राहत निधि से राहत प्रदान की गयी है तथा कितनी–कितनी राहत उक्त मदों में दी गयी है तथा कितने लोग राहत मिलने से वंचित रह गये हैं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्राकृतिक विपत्तियों के कारण आपदा राहत निधि से वर्ष 2010–11 में 1,65,222 व्यक्तिगत लाभार्थियों को कुल ₹ 65,55,31,165.00 की धनराशि वितरित की गयी।

मदवार एवं जिलेवार लाभार्थियों का विवरण संलग्न है।† सभी पात्र प्रभावित व्यक्तियों को राहत राशि का वितरण किया जा चुका है।

जनपद पौड़ी मुख्यालय में स्थापित आपदा नियंत्रक कक्ष में वर्ष 2009–10 से अब तक करायी गई शिकायतों/निस्तारित की गयी समस्याओं का विवरण

12–श्रीमती अमृता रावत–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के मुख्यालय पौड़ी में स्थापित आपदा नियंत्रण कक्ष में वर्ष 2009–10 से अब तक दर्ज करायी गयी शिकायतों/निस्तारित की गयी समस्याओं का विभागवार विवरण क्या है तथा अवशेष शिकायतों का निवारण कब तक किया जायेगा ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के मुख्यालय पौड़ी में स्थापित आपदा नियंत्रण कक्ष में वर्ष 2009–10 से अब तक पेयजल विभाग से सम्बन्धित कुल 1094 शिकायतें प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष 1064 निस्तारित की गयीं, मात्र 30 लम्बित हैं। लो०नि०वि० से सम्बन्धित कुल 394 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष 363 निस्तारित की गई, मात्र 29 लम्बित हैं। वन विभाग व विद्युत विभाग से सम्बन्धित क्रमशः 28 व 249 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका निस्तारण किया जा चुका है। राजस्व विभाग से सम्बन्धित 1815 शिकायतें प्राप्त हुई जिसके सापेक्ष 1800 निस्तारित की गयीं, मात्र 15 लम्बित हैं। इनके अतिरिक्त 286 सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई जिनके सापेक्ष 268 निस्तारित की गयीं, मात्र 18 लम्बित हैं। इस प्रकार समग्र रूप से कुल 3899 शिकायतें प्राप्त हुई जिनके सापेक्ष 3790 निस्तारित की गयीं, मात्र 109 शिकायतें लम्बित हैं, जिनके शीघ्र प्रभावी निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

† (देखिये संलग्नक नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ संख्या–137 पर)

जनपद पौड़ी के बीरोंखाल अन्तर्गत पशुचिकित्सालय कोलदरिया एवं पशु सेवा केन्द्र बैजरों, दुनाव, मैठाणाघाट आदि में भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने के प्रयास तथा जीर्ण–शीर्ण पशुचिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों के भवनों का निर्माण

13–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2008 के प्रथम गुरूवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं0–29 के सन्दर्भ में क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत पशुचिकित्सालय कोलदरिया एवं पशु सेवा केन्द्र बैजरों, दुनाव, मैठाणाघाट, मरोलीखाल, दांथा, देवराजखाल के भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामों का विवरण क्या है ?

तथा जीर्ण–शीर्ण पशुचिकित्सालय एवं पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु तब से अब तक की गई कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत पशुचिकित्सालय कोलदरिया एवं पशु सेवा केन्द्र बैजरों, दुनाव, मैठाणाघाट, मरोलीखाल, दांथा के भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जित करने हेतु मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौड़ी के पत्र सं0–659, दिनाँक 11 जून, 2009 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या–800, दि0 5 जुलाई, 2011 द्वारा पशुचिकित्सा अधिकारी, बीरोंखाल, पोखड़ा, कोलदरिया को निर्देशित किया गया है, किन्तु निरन्तर प्रयासों के उपरान्त उक्त संस्थाओं हेतु भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है।

विभाग में भूमि क्रय हेतु धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण, संस्थाओं हेतु भूमि ग्राम पंचायत/ग्रामीणों से निःशुल्क एवं दानस्वरूप अर्जित की जाती है, किन्तु वर्तमान में कोई भी व्यक्ति निःशुल्क भूमि देने को तैयार नहीं है।

पशुसेवा केन्द्र देवराजखाल के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने पर उक्त भूमि विभाग के नाम करने हेतु मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौड़ी के पत्र दिनाँक 24–12–2008 एवं पत्र दिनाँक 25–6–2009 द्वारा जिलाधिकारी, पौड़ी को प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार चौबट्टाखाल को जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार द्वारा इस सम्बन्ध में 25 बिन्दुओं पर सूचना एवं प्रमाण पत्र मांगे गये हैं, तत्क्रम में मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौड़ी के पत्र दिनाँक 31–8–2009 द्वारा एवं अनुस्मारक पत्र दिनाँक 09–03–2010 द्वारा संबंधित पशुचिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया, जिनमें से 05 बिन्दुओं पर कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। शेष पर कार्रवाई गतिमान है।

विकास खण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत एकमात्र जीर्ण–शीर्ण पशुचिकित्सालय बीरोंखाल के भवन निर्माण हेतु आगामी जिला योजना 2012–13 में प्रस्तावित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त जनपद के अन्य विकास खण्डों में विभागीय संस्थाओं के भवनों के पुनर्निर्माण के संबंध में वर्ष–2008 से अब तक की गई कार्यवाई का विवरण निम्नवत है:–

1. विकास खण्ड पोखड़ा के अन्तर्गत पशुसेवा केन्द्र गवाणी के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2010–11 में स्वीकृत रू0 10.85 लाख से कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। पशुचिकित्सालय पोखड़ा के भवन निर्माण हेतु 2011–12 की जिला योजना में रू0 17.00 लाख की धनराशि जिलाधिकारी, पौड़ी के निर्वतन पर प्रादिष्ट की जा चुकी है।
2. विकास खण्ड एकेश्वर के पशु सेवा केन्द्र संगलाकोटी क भवन के पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत रू0 9.34 लाख से कार्य प्रारम्भ हो चुका है, पशुचिकित्सालय एकेश्वर के पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत रू0 13.68 धनराशि से निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पशुचिकित्सालय रीठाखाल के पुनर्निमाण हेतु स्वीकृत रू0 13.39 लाख की धनराशि संबंधित निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध करा दी गई है।
3. विकास खण्ड थलीसैंण के अन्तर्गत पशु सेवा केन्द्र बुंगीधार के पुनर्निर्माण हेतु रू0 10.19 लाख की धनराशि स्वीकृत कर निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध कराई गई।
4. विकास खण्ड कोट के अन्तर्गत पशु सेवा केन्द्र बहेड़ाखाल हेतु रू0 6.24 लाख एवं बसन्तपुर हेतु 3.25 लाख से निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
5. विकास खण्ड दुगड्डा के अन्तर्गत पशु सेवा केन्द्र पौखाल के जीर्ण–शीर्ण भवन के पुनर्निर्माण हेतु स्वीकृत रू0 10.19 लाख की धनराशि से कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

विधान सभा क्षेत्र धारचूला में विगत वर्ष भू–स्खलन से प्रभावित विभिन्न ग्राम व ग्राम सभाओं के प्रभावितों को प्रस्तावित विस्थापन सूची में स्थान एवं विस्थापन

14–श्री गगन सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा क्षेत्र, धारचूला में ग्राम खुमती के तोक कटौजिया व ग्राम सभा जिप्ती के तोक गर्बा, ग्राम क्वीरीजिमियाँ, सेविला एवं बल्थीं में विगत वर्ष हुए भू–स्खलन से वहां के निवासियों के आवासीय भवन व कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हो गई है ?

क्या भू–स्खलन से प्रभावित गाँवों के प्रस्तावित विस्थापन की सूची में उपरोक्त स्थान के निवासियों को सम्मिलित किया गया है ? यदि हाँ, तो किन–किन प्रभावितों को सम्मिलित किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों तथा उपरोक्त ग्रामीणों को कब तक विस्थापित किया जायेगा?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

अभी किसी ग्राम के विस्थापन का निर्णय नहीं लिया गया है।

शासनादेश संख्या–2062/XVII(2)11–16(1)/2007, दिनाँक 19.8.2011 द्वारा पुनर्वास नीति निर्गत कर दी गयी है, जिसके अनुरूप जिलाधिकारियों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों, भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या, ग्राम की संवेदनशीलता व उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर विस्थापन की कार्यवाई पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत चयनित गाँव व स्वैच्छिक चकबन्दी की माँग पर बीफ गाँववासियों को अनुदान की योजना

15–श्री केदार सिंह रावत–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत चयनित गाँव कितने हैं तथा उनको क्या सुविधा व अनुदान दिया जा रहा है एवं चयन का आधार क्या है ? क्या सरकार द्वारा लखौली गाँव विशेष को स्वैच्छिक चकबन्दी की माँग किये जाने पर अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है ?

यदि हाँ, तो वर्षों पूर्व स्वैच्छिक चकबन्दी करने वाले बीफ गाँववासियों को भी समान रूप से अनुदान दिये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

वर्तमान में स्वैच्छिक चकबन्दी अपनाने वाले लखौली गाँव को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।

इस गाँव को सामुदायिक वर्षा जल सम्भरण टैंक, पॉली हाऊस एवं कृषि भूमि की घेर–बाड़ हेतु अनुदान दिया जा रहा है।

विशेष अनुदान देने हेतु केवल उन ग्रामों का चयन किया जायेगा जहाँ प्रत्येक किसान/खातेदार स्वैच्छिक चकबंदी हेतु सहमत हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत बीफ गाँव के विकास हेतु अनुदान दिये जाने पर सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त है। परियोजना का निर्माण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत धारचूला में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त आवासीय भवनों की संख्या तथा क्षतिग्रस्त आवासों का पुनर्निर्माण व क्षतिपूर्ति

16—श्री गगन सिंह—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में विगत वर्ष 2010 में दैवीय आपदा के कारण कितने आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं ?

क्या विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त आवासों के स्वामियों को क्षतिपूर्ति कर आवासों का पुनर्निर्माण कराया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में वर्ष, 2010 में दैवीय आपदा के कारण कुल 256 आवासीय भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं।

भारत सरकार व राज्य सरकार द्वार निर्धारित मानकों के अनुसार ऐसे मामलों में राहत/क्षतिपूर्ति दिये जाने की व्यवस्था है। सभी प्रभावित भवन स्वामियों को राहत/क्षतिपूर्ति हेतु नियमानुसार अनुमन्य धनराशि का भुगतान कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला, मुनस्यारी में पूर्ण एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त गाँवों की संख्या तथा प्रभावितों को विस्थापित करने की नीति

17—श्री गगन सिंह—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला, मुनस्यारी में कुल कितने गाँव हैं, जो विगत वर्ष भू–स्खलन से प्रभावित होने के कारण पूर्ण रूप से एवं आंशिक रूप से विस्थापित किये जाने हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने कष्ट करेंगे कि विस्थापन के लिये क्या नीति बनाई गई है ?

क्या सरकार प्रभावित परिवारों को विस्थापित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड धारचूला, मुनस्यारी में कुल 60 गाँव हैं, जो विगत वर्ष भू–स्खलन के कारण आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं एवं 01 गाँव पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। इनके विस्थापन के सम्बन्ध में कोई निर्णय नही लिया गया है।

शासनादेश संख्या–2062/XVIII–(2)/2011–16(1)/2007, दिनांक 19.8.2011 के द्वारा पुनर्वास नीति निर्धारित कर दी गई है।

पुनर्वास नीति के दिशा निर्देशों के अनुरूप जिलाधिकारियों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों, भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या, ग्राम की संवेदनशीलता व उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर विस्थापन की कार्रवाई पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2009–2010 व 2011 में आपदा प्रबन्धन से स्वीकृत योजनाओं का विवरण, निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तथा स्वीकृति की संस्तुति का आधार

18–श्री गगन सिंह–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2009–10 तथा वर्ष 2010–11 में आपदा प्रबन्धन से स्वीकृत योजनाओं एवं उनके निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का विवरण क्या है ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त योजनाओं की स्वीकृति का आधार क्या है और यह योजनायें किस–किस की संस्तुति पर स्वीकृति की गई हैं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2009–10 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु सी.आर.एफ. में ₹ 800 लाख की धनराशि आवंटित की गयी, जिसके सापेक्ष कुल 368 योजनायें स्वीकृत की गयीं तथा वर्ष 2010–11 में सी.आर.एफ. एवं एन.सी.सी.एफ. मदों में कुल ₹ 4154.72 लाख की धनराशि आवंटित की गयी, जिसके सापेक्ष कुल 1533 योजनायें स्वीकृत की गयी हैं।

योजनाओं की स्वीकृति का आधार आपदा राहत निधि के मानक हैं। क्षतिग्रस्त योजनाओं की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु क्षेत्रीय पटवारी, तहसीलदार तथा उप जिलाधिकारी से मानकों के आधार पर जाँच करायी जाती है तथा जिस विभाग की परिसम्पत्ति होती है, उस विभाग द्वारा तकनीकी विभागों से मरम्मत/पुनर्निर्माण के आगणन तैयार कर उनका सत्यापन लो0नि0वि0 के सक्षम अभियन्ता से कराये जाने के उपरान्त योजना को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। उपरोक्त औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर जिलाधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा क्षतिग्रस्त योजना की मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की जाती है।

जनपद पिथौरागढ़ में धारचूला, मुनस्यारी को दैवीय आपदा से अति संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण अतिरिक्त धनराशि आवंटन की योजना

19—श्री गगन सिंह—

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला, मुनस्यारी दैवीय आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र को दैवीय आपदा मद के अतिरिक्त धनराशि आवंटन करने की कोई योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

विधान सभा क्षेत्र धारचूला व मुनस्यारी सहित समस्त प्रदेश एवं विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील है। इस दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा आपदा राहत निधि के अतिरिक्त, मुख्यमंत्री (आपदा प्रबन्धन) राहत कोष, राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि का भी गठन किया गया है, जिनसे यथा आवश्यकता धनराशि स्वीकृत की जाती है। हाल ही में अति संवेदनशील ग्रामों के विस्थापन व पुनर्वास के लिए भी योजना/नीति गठित कर ली गयी है। इसका लाभ धारचूला मुनस्यारी विधान सभा क्षेत्रों सहित समस्त प्रदेश को प्राप्त होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनाँक 20.01.2008 को की गई घोषणा के अन्तर्गत कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन संस्थान की स्थापना जनपद पौड़ी के कोटद्वार में किये जाने पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई

20—शैलेन्द्र सिंह रावत—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मा0 मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा संख्या—14/2008, दिनाँक 20.01.2008 के अन्तर्गत कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन संस्थान की स्थापना जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार नामक स्थान में की गयी थी ?

यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गयी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

जी हाँ।

वर्ष 2010—11 के बजट में कृषि एवं प्राकृतिक प्रबन्धन की स्थापना जनपद पौड़ी के कोटद्वार में करने हेतु भूमि क्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 11.45 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की गयी। भूमि की व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी, पौड़ी के स्तर से कार्रवाई गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0स0 क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत दुचाणु से टिकोची व थुनार से काष्टा रज्जु मार्ग का निर्माण कार्य

21–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत सरकार द्वारा दुचाणु से टिकोची व थुनारा से काष्टा रज्जु (रोपवे) मार्ग स्वीकृत किये गये थे ?

क्या यह सत्य है कि उक्त निर्माण कार्य आज तक पूर्ण नहीं किये गये हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त रज्जु मार्गों का निर्माण पूर्ण करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

जी नहीं।

कार्य पूर्ण है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष–2011 में प्रदेश में दैवीय आपदा से हुई जनहानि तथा क्षतिग्रस्त सड़कों, सरकारी/व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण एवं प्रभावित परिवारों को मुआवजा

22–श्री शेर सिंह गढ़िया–

क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2011 में प्रदेश के अन्तर्गत दैवीय आपदा से अब तक कुल कितनी जनहानि हुई है तथा कितनी सरकारी/व्यक्तिगत परिसम्पत्तियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं ?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि आपदा से क्षतिग्रस्त विभिन्न परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण तथा सड़कों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

क्या प्रभावित परिवारों को मुआवजा/आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

राज्य स्तर पर संकलित विवरण के अनुसार वर्ष, 2011 में दिनाँक 20.09.2011 तक राज्य में अद्यतन 81 जनहानि हुई हैं, 70 व्यक्ति घायल हुए हैं। व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत 307 पक्के, 201 कच्चे, 03 गौशालाएँ पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुई हैं।

जबकि 1839 पक्के, 3887 कच्चे, 06 छानी, 52 झोपड़ियां एवं 21 गौशालायें आंशिक क्षतिग्रस्त हुई हैं। सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत 658 मोटर मार्ग, 74 पैदल मार्ग, 12 सार्वजनिक भवन, 49 बिजली पोल, 28 पेयजल योजनायें, 33 पुलिया, 11 सिंचाई गूल/नहर, 04 ट्रांसफार्मर, 06 घराट, 03 नाले, 12 माइक्रो हाइडिल एवं 12 पाईप लाईन क्षतिग्रस्त रिपोर्ट किये गये हैं।

क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु इस वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग ₹ 65 करोड़ की धनराशि स्वीकृति की जा चुकी है। पुनर्निर्माण एवं मरम्मत का कार्य गतिमान है। वर्तमान में सड़कों की स्थिति सामान्य है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री योगम्बर सिंह रावत, पूर्व सदस्य, उत्तराखण्ड विधान सभा के निधन पर शोकोद्‌गार

*मुख्यमंत्री (मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) (ए0वी0एस0एम0)–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे यह सूचित करते हुए दुःख हो रहा है कि हमारे एक साथी पूर्व विधायक श्री योगम्बर सिंह रावत जी का निधन हो गया है। वे इस सदन के सदस्य थोड़ी समय के लिए रहे हैं और 21 मई, 2011 को उनका निधन हो गया है। स्व0 श्री योगम्बर सिंह रावत जी का जन्म 03 जनवरी, 1944 को ग्राम मौक्षणा–नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल में हुआ था, जो वर्तमान में मेरा विधान सभा क्षेत्र है। मान्यवर, फरवरी 2002 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे और 20 जून, 2002 को उन्होंने विधान सभा की सदस्यता से त्याग–पत्र दे दिया था। स्व0 रावत जी एक किसान थे और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने सेवा की और प्रधानाचार्य के पद से वे सेवानिवृत्त हुए। मान्यवर, वे एक बार नैनीडांडा विकास खण्ड से तथा दो बार रामनगर विकास खण्ड से ब्लाक प्रमुख रहे। वर्ष 1978 में जेल भरो आन्दोलन में वे 14 दिन तक जेल में रहे। मान्यवर, वर्ष 2002 में उन्होंने इस सदन का सदस्य बहुत थोड़ी देर रहने के बाद किन्हीं कारणों से अपना इस्तीफा दे दिया। उनके परिवार में दो पुत्र तथा एक पुत्री है। मैं अपनी तरफ से और सदन की तरफ से हार्दिक दुःख प्रकट करता हूँ और ईश्वर से शांति की प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार वालों को दुःख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करें और आप सब की तरफ से मैं हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व साथी विधायक स्व0 योगम्बर सिंह रावत जी का पिछले 21 मई को रामनगर, जिला नैनीताल में निधन हो गया। मान्यवर, उनका जन्म दिनाँक 03 जनवरी, 1944 को ग्राम मौक्षणा–नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। वर्ष 2002 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर पहली बार रामनगर विधान सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और विजयी हुए। मान्यवर, विधान सभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद उन्होंने दिनाँक 20 जून 2001 को विधान सभा की सदस्यता से त्याग–पत्र दे दिया। मान्यवर, उन्होंने सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किये हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों में उनकी गिनती थी। पार्टी और संगठन के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किये हैं। किसान इन्टर कालेज, पीरूमदारा, रामनगर, जिला नैनीताल से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए। मान्यवर, एक बार वे नैनीडांडा विकास खण्ड से ब्लाक प्रमुख रहे तथा दो बार रामनगर विकास खण्ड से ब्लाक प्रमुख रहे। वे गन्ना समिति, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के भी अध्यक्ष रहे। वर्ष 1978 में जेल भरो आंदोलन में वे 14 दिन तक जेल में रहे। उनके परिवार में दो पुत्र एवं एक पुत्री है। मान्यवर, स्व0 रावत जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया, वह हमेशा एक यादगार के रूप में उनका कार्यकाल रहेगा। मान्यवर, मेरा दल और हम सब सदस्य शोक प्रकट करते हुए शोक संतृप्त परिवार को जो कष्ट पहुंचा है, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। मान्यवर, हमारे दल के विचार और मैं अपने आप को भी माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्बद्ध करते हुए आपसे निवेदन करता हूँ कि उनकी परिवार तक हमारी संवेदना पहुँचाने का कष्ट करें।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विधान सभा में साथी रहे स्व0 योगम्बर सिंह रावत जी का जन्म 03 जनवरी, 1944 को हुआ था, जोकि एक शिक्षाविद् भी थे और 21 मई, 2011 को रामनगर, जिला नैनीताल में उनका देहान्त हुआ। मान्यवर, स्व0 योगम्बर रावत जी ने माननीय तिवारी जी के लिए अपनी सीट को छोड़ा, शायद इसी आशय के साथ छोड़ा होगा कि हमारा प्रदेश अधिक प्रगति करे और सरकार का स्थायित्व बना रहे और माननीय तिवारी जी जैसे विद्वान व्यक्ति इस प्रदेश में थे। मान्यवर, मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो काम किया था, वह बहुत ही बड़ा काम किया था। मान्यवर, मेरी जानकारी में है कि उनके परिवार के लोगों ने भी देश के लिए शहादतें दी हैं। मान्यवर, वे एक निर्विवाद व्यक्ति और एक उच्च आदर्श वाले व्यक्ति थे। मान्यवर, हमारा दल इस सदन के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता है।

मान्यवर, हम सभी लोगों की जो भावनाएं हैं, वे भावनाएं आपके माध्यम से उनके परिवार तक पहुँचें। साथ ही इतना बड़ा जो दुःख है, इसे सहने की शक्ति भगवान उन्हें दें। यही मैं अपनी दल की तरफ से कहना चाहता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता सदन, कांग्रेस पार्टी के उप नेता माननीय तिलक राज बेहड़ जी और माननीय नेता बसपा नारायण पाल जी से अपने आप को सम्बद्ध करते हुए दु:ख की इस घड़ी में संवेदना प्रकट करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि दु:ख की इस घड़ी में भगवान उनके परिवार को ताकत प्रदान करे।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें माननीय योगम्बर सिंह रावत जी का सानिध्य मिला। उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान रामनगर बहुत बड़ा केन्द्र हुआ करता था। जब भी उत्तराखण्ड आन्दोलन का कोई कार्यक्रम वहाँ पर होता था तो माननीय योगम्बर सिंह रावत जी उसमें सबसे आगे रह कर हमारे संरक्षक के रूप में भूमिका निभाते थे। सरल, धीर और एक गंभीर व्यक्तित्व के धनी होने के साथ–साथ सामाजिक कार्यों में, शिक्षा के क्षेत्र में और अपने दल के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता थी, वह अनुकरणीय थी। जिस तरह की प्रतिबद्धता उन्होंने 20 जून, 2002 को प्रदर्शित की, मेरा सौभाग्य रहा कि जब वे निर्णय ले रहे थे, तब उनके साथ मेरी बातचीत हुई। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं, विधान सभा की सदस्यता से आप इस्तीफा दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा, किशोर, सबसे बड़ी बात है कि मेरे क्षेत्र का जो मतदाता है, उनके लिए मैं एक विधायक के रूप में काम करूँगा लेकिन मेरे क्षेत्र को एक मुख्यमंत्री मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे क्षेत्र के लिए और क्या हो सकता है। एक मुख्यमंत्री मिल रहा है तो निश्चित रूप से रामनगर का चहुँ:मुखी और बहुमुखी विकास होगा। कांग्रेस के प्रति, जिस दल ने मुझे यहाँ पहुँचाने का काम किया है, उसके प्रति भी मेरा कुछ कर्त्तव्य बनता है। हमारे बहुत से साथियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि आप हमारे चुनाव क्षेत्र से ही चुनाव लड़ें। मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दरख्वास्त लिखी थी लेकिन माननीय योगम्बर सिंह रावत जी उसमें बाजी मार ले गये।

निश्चित रूप से उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को भी रामनगर से चुनाव लड़ने के लिए राजी किया होगा। जैसा अभी हमारे साथी माननीय नारायण पाल जी ने कहा कि उनसे पहले जिस तरह से उनके सुपुत्र ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उस समय भी माननीय योगम्बर सिंह रावत जी ने गंभीरता दिखाई और अपने को संभालने के साथ ही पूरे परिवार को भी संभालने का काम किया। निश्चित रूप से उनके निधन से केवल उनके परिवार को ही क्षति नहीं हुई है। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है, मुझे लगता है कि हमारी कांग्रेस पार्टी को हुआ है, वहाँ के समाज को हुआ है, रामनगर को हुआ है और इस प्रदेश को हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे साथियों की तरफ से और उत्तराखण्ड आन्दोलन के जो साथी यहाँ पर बैठे हैं, उनकी तरफ से उनके परिवार तक आप हमारी संवेदनाएं पहुँचाने का कष्ट करेंगे और उनकी आत्मा को शान्ति मिले, यही हमारी प्रार्थना है।

श्री खड़क सिंह बोहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय नेता सदन, माननीय उप नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेता बहुजन समाज पार्टी और नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल से अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। स्वर्गीय श्री योगम्बर सिंह रावत जी सन 1982 में रामनगर विकास खण्ड के पहली बार ब्लाक प्रमुख चुने गये थे। उसी वर्ष मैं भी चुना गया था और उसके बाद उनके साथ लगातार 15 सालों तक साथ में काम करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद वह नैनीडांडा विकास खण्ड के भी ब्लाक प्रमुख रहे और उसके बाद रामनगर विधान सभा क्षेत्र से विधायक भी रहे। जहाँ तक स्वर्गीय श्री योगम्बर सिंह रावत जी की बात है तो वह एक स्पष्टवादी और साफ–सुथरे तरीके से अपनी बात रखने वाला धीर–गंभीर व्यक्तित्व था। समाज के लिये और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान रहा। पीरूमदारा में जो इण्टर कालेज है, जिसके वह प्रधानाचार्य भी रहे, वह उसका एक उदाहरण है। वह हमेशा अपनी बात को मजबूती के साथ रखते थे और कभी भी वह नकारात्मक सोच नहीं रखते थे। चूंकि मुझे लम्बे समय तक उनके साथ काम करने का अवसर मिला, मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

माननीय अध्यक्ष जी, स्व0 श्री योगम्बर सिंह रावत जी के बारे में माननीय नेता सदन, माननीय उप नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेता बहुजन समाज पार्टी और नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल, माननीय किशोर उपाध्याय जी और माननीय खड़क सिंह बोहरा जी ने जो विचार रखे हैं, मैं उनसे अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। माननीय योगम्बर सिंह रावत जी मेरे पूर्व के विधान सभा क्षेत्र से विधायक रहे और जब मैं विधायक चुना गया था तो वह वहाँ के ब्लाक प्रमुख थे। मुझे ऐसी कल्पना भी नहीं थी और मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि राजनीति में ऐसा योद्धा मैंने देखा ही नहीं। कांग्रेस के ब्लाक प्रमुख और बड़े मजबूत कांग्रेसी, लेकिन जब भी मैं रामनगर ब्लाक के दौरे में गया, वह लगातार मेरे साथ चलते थे, जैसे कोई सहयोगी पार्टी का विधायक चलता है और अपने उद्बोधन में भी राजनीति से हटकर के हमेशा विकास कार्यों की चर्चा करते थे तथा किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे।

मान्यवर, एक बहुत बड़ा आघात उन्हें तब लगा जब उनका एक पुत्र, जो सेना में था, वह शहीद हो गया। अपने द्वारा चलाये गये किसान इण्टर कालेल, पीरूमदारा के प्रधानाचार्य भी रहे और अनेक सोशियल एक्टिविटीज में वह शामिल रहे। जो मैंने पहले भी कहा कि जहां पर भी रामनगर विकास खण्ड के विकास की बात हो, वहां पर योगम्बर सिंह रावत आपको खड़े मिलते थे। कभी भी उन्होंने यह नहीं देखा कि यह कांग्रेस का है, सपा का है, बसपा का है या भाजपा का है, हमेशा ही उन्होंने सबके कन्धे से कन्धा मिलाकर सामाजिक कार्यों में हिस्सा लिया। वह नैनीडांडा के ब्लाक प्रमुख भी रहे और गन्ना समिति, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के चैयरमैन भी रहे और गन्ना समिति का एक

अच्छा कालखंड भी रहा, इसीलिये भी हम उनको याद करते हैं। मैं समझता हूँ कि योगम्बर सिंह रावत जी को कांग्रेस के लोग तो जानते ही हैं, उसके अलावा भाजपा और अन्य दलों के भी लोग एक मित्र, एक दोस्त की तरह जानते हैं। यह उनकी एक और खूबी थी, विपक्ष के साथ भी उनका मजबूती से एक दोस्ताना रहता था। उनके स्वर्गवासी होने से एक बहुत बड़ी क्षति इस समाज की, प्रदेश की और देश की हुई है। मैं अपनी ओर से और सभी सदस्यों की ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और आपसे विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ कि हमारी भावनाओं को आप उनके परिवार तक पहुँचाने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

अत्यन्त दुख का विषय है कि पूर्व विधायक श्री योगम्बर सिंह रावत हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन दिनांक 21 मई, 2011 को रामनगर, जिला नैनीताल में हो गया। माननीय नेता सदन एवं माननीय मुख्यमंत्री मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, माननीय उप नेता, कांग्रेस दल श्री तिलक राज बेहड़ जी, माननीय सदस्य, बहुजन समाज पार्टी श्री नारायण पाल जी, माननीय उप नेता, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल श्री ओम गोपाल जी, माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी, माननीय श्री खड़क सिंह बोहरा जी, माननीय मंत्री श्री बंशीधर भगत जी द्वारा जो विचार रखे गये हैं विधान सभा में, मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। स्व0 श्री योगम्बर सिंह रावत का जन्म 03 जनवरी, 1944 को ग्राम मौडाणा–नैनीडांडा, पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गोविन्द सिंह था। समाज हित के लिए सदैव तत्पर श्री रावत ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। श्री रावत ने स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापन के आदर्श कार्य को अपनाया। अपनी लगन व परिश्रम से वे प्रधानाचार्य के पद पर पहुँचे तथा किसान इण्टर कालेज, पीरूमदारा, रामनगर, जिला नैनीताल से सेवानिवृत्त हुए। शिक्षण कार्य के साथ ही उन्होंने समाज सेवा के कार्यों में भी भागीदारी की । वे एक बार नैनीडांडा विकास खण्ड से तथा दो बार रामनगर विकास खण्ड से ब्लाक प्रमुख रहे। वे गन्ना समिति, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के अध्यक्ष तथा उत्तराखण्ड वन विकास निगम के अध्यक्ष भी रहे। श्री रावत वर्ष 2002 में हुए आम चुनाव में उत्तराखण्ड विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा दिनांक 20 जून, 2002 को विधान सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इससे रिक्त हुए रामनगर विधान सभा क्षेत्र से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी निर्वाचित होकर संवैधानिक अर्हता को पूर्ण करते हुए विधान सभा के सदस्य बने।

सरल हृदय श्री रावत सदैव सामाजिक उत्थान के कार्यों के प्रति समर्पित रहे। समाज के वंचित वर्ग के बीच कार्य करना उन्हें रूचिकर लगता था। उनके चले जाने से समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं अपने आपको इस सदन की भावनाओं से संबद्ध करता हूँ एवं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह उनके परिवार को इस शोक की घटना से उबरने हेतु बल प्रदान करे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि दो मिनट का मौन धारण करके उन्हें हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(तत्पश्चात् सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

नियम–310 के अन्तर्गत कांग्रेस के सभी सदस्यों द्वारा पुनः चर्चा कराये जाने की माँग

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमारी नियम–310 की सूचना है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर जोर–जोर से नारे लगाने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ घोषणा करना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ घोषणा कर रहे हैं। (व्यवधान) माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ घोषणा कर रहे हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्य एवं उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी 'वेल' में आ गये और नारे लगाने लगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कुछ माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े होकर कागज के पोस्टर लहराने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नेता सदन द्वारा विधायक निधि में वृद्धि की घोषणा

मुख्यमंत्री (मे0ज0 (अ0प्रा0) श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी) ए0वी0एस0एम0–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ, कृपया थोड़ी शान्ति बनाये रखें। माननीय विधायकों के आग्रह पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने निर्णय

लिया था कि विधायक निधि में रू0 50 लाख की वृद्धि की जाय। सरकार सूचित करती है कि इस साल के लिए विधायक निधि में रू0 50 लाख की वृद्धि की जायेगी। (मेजों की थपथपाहट)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री प्रेमानन्द महाजन, हाजी तस्लीम अहमद, श्री हरिदास, श्री गणेश जोशी, श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री हरिदास, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्रीमती अमृता रावत, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री शेर सिंह गढ़िया, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्रीमती बीना महराना तथा श्री बृजमोहन कोटवाल की कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक संवर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति हेतु नियम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेमानन्द महाजन–

[मान्यवर, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक दो संवर्ग हैं। जिसमें शैक्षणिक संवर्ग में वहाँ पर कार्यरत प्राध्यापक, डीन एवं प्रोफेसर की पदोन्नति होती है और अशैक्षणिक संवर्ग में अतिरिक्त वित्त नियंत्रक, निदेशक, (प्रसार), मुख्य कार्मिक अधिकारी आदि पदों पर पदोन्नति होती है। स्पष्ट नियमों के अभाव में विश्वविद्यालय के अशैक्षणिक संवर्ग के कई कार्मिक कई वर्षों से पदोन्नति से वंचित हैं और अशैक्षणिक पदों पर शैक्षणिक संवर्ग के कार्मिकों की निरन्तर तैनाती की जा रही है। इससे अशैक्षणिक कार्मिकों में जबरदस्त असन्तोष एवं कुण्ठा व्याप्त है। विश्वविद्यालय हित तथा कार्मिकों के हित में तत्काल दोनों संवर्गों में पदोन्नति हेतु नियम बनाये जाने की आवश्यकता है। जब तक नियम नहीं बनाये जाते तब तक अशैक्षणिक संवर्ग के ऐसे कार्मिक, जिन्हें दस या इससे अधिक वर्षों से एक ही पद पर कार्य करते हो गया है और वे पदोन्नति से वंचित हैं, को पदोन्नति दिये जाने हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद् में रखे जाने हेतु शासन तत्काल आदेश पारित करें। मैं इस लोक हित के महत्वपूर्ण प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नोट– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हरिद्वार में राजकीय जूनियर हाईस्कूल मखियाली खुर्द एवं अन्य राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृति वर्ष 2010–11 के न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

हाजी तस्लीम अहमद–

[मान्यवर, जनपद हरिद्वार में राजकीय जूनियर हाईस्कूल, मखियाली खुर्द एवं अन्य राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृत्ति वर्ष 2010–11 के न मिलने से छात्र–छात्राओं के अभिभावकों में भारी रोष व्याप्त है। अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृत्ति न मिलने से अल्प संख्यक वर्ग के छात्र–छात्राओं की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। इसलिये जनपद हरिद्वार के उन सभी राजकीय जूनियर हाईस्कूल व राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में, जिन्हें अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है, उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृत्ति जनहित में यथाशीघ्र मिलना अति आवश्यक है।

अतः मैं इस लोक महत्व के विषय पर कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद हरिद्वार में पिछले पाँच वर्षों से सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों को एम.डी.एम. एवं अन्त्योदय राशन को लाने का किराया न मिल पाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिदास–

[मान्यवर, उत्तराखण्ड प्रदेश के जनपद हरिद्वार में पिछले पाँच वर्षों से सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों (राशन डीलरों) एम0डी0एम0 एवं अन्त्योदय राशन को लाने का किराया नहीं मिल रहा है। जिससे जनपद हरिद्वार के समस्त 'राशन डीलरों' में भारी रोष व्याप्त है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

राजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डी0ए0वी0 (पी0जी0) कॉलेज का परीक्षा परिणाम देर में आने के कारण तथा सत्र 2010–11 में छात्रों के परीक्षा फार्म देरी से जमा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री गणेश जोशी–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डी0ए0वी0 (पी0जी0) कालेज का परीक्षा परिणाम देर से आने के कारण सत्र 2010–11 के 3200 छात्रों के परीक्षा फार्म देरी से जमा हुये थे। हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा देर से जमा होने वाले सभी छात्रों का परीक्षा परिणाम रोक दिया गया।

नोट:– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

महाविद्यालय प्राचार्य एवं छात्र संगठन द्वारा लगातार सम्पर्क किया गया, किन्तु गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति की हठधर्मिता एवं अड़ियल रवैये के कारण 3200 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है।

इस सन्दर्भ में मैं चाहूँगा कि डी0ए0वी0 (पी0जी0) कालेज के 3200 छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये सदन में विस्तृत चर्चा की जाय। जिससे छात्रों का परीक्षा परिणाम समय रहते घोषित हो सके।]

जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में अत्यधिक बरसात के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र राकेश एवं श्री हरिदास–

[मान्यवर, हरिद्वार जनपद के भगवानपुर क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में अतिवृष्टि एवं अत्यधिक बरसात के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त एवं बेकार हो गयी हैं। इन सड़कों के पुनः निर्माण के लिए जिलाधिकारी, हरिद्वार ने जाँच कमेटी के माध्यम से जाँच करवाई है। जाँच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी, हरिद्वार ने अति महत्वपूर्ण कार्यों की स्वीकृति दिनांक 10.8.2011 को कर दी थी। लेकिन स्वीकृति के उपरांत धन रिलीज नहीं किया गया है, इसके क्या कारण हैं ? इसके बाद दी गयी स्वीकृति पर धन रिलीज कर दिया गया है, क्यों ? जबकि भगवानपुर क्षेत्र में टूटी सड़कों के अभाव में आवगमन शून्य है। भगवानपुर क्षेत्र की सड़कों के पुनः निर्माण के लिए दैवीय आपदा मद से तत्काल धन रिलीज कर क्षेत्रीय जनता के आक्रोश को रोका जाना अति आवश्यक है। इस अति महत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय पर माननीय सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की माँग करते हैं।]

जनपद उत्तरकाशी के तहसील भटवाड़ी तथा विकासखण्ड डुण्डा के अवशेष भाग को पिछड़ा क्षेत्र (ओ0बी0सी0) घोषित न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपाल सिंह रावत–

[मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी के रवांई जौनपुर समुदाय को पिछड़ा क्षेत्र (ओ0बी0सी0) घोषित किया जा चुका है, जिसे अब केन्द्रीय अनुसूची में भी शामिल कर लिया गया है। इसके पश्चात् तहसील चिन्यालीसौड़ की दशगी पट्टी तथा तहसील डुण्डा की भण्डारस्यू पट्टी को भी रवांई जौनपुर की तरह ओ0बी0सी0 घोषित किया जा चुका है। ओ0बी0सी0 घोषित होने से इस क्षेत्र के नौजवानों को आरक्षण का भारी लाभ मिल रहा है। जिससे इस क्षेत्र के नौजवान भारी संख्या में रोजगार पा रहे हैं। यही नहीं तकनीकी संस्थाओं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटैनिक, आई0टी0आई0 में भी आरक्षण के कारण प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

नोट– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

उक्त क्षेत्र में भारी आरक्षण का लाभ देखकर जनपद उत्तरकाशी के तहसील भटवाड़ी तथा डुण्डा विकास खण्ड के अवशेष भाग की जनता इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र (ओ0बी0सी0) घोषित करने की माँग कर रही है। यहाँ का नौजवान ओ0बी0सी0 घोषित कराने के लिए संघर्षरत् है, तथा जनता में सरकार के प्रति भारी रोष व्याप्त हो रहा है।

तहसील चिन्यालीसौड़ के दशगी पट्टी तथा तहसील डुण्डा की भण्डारस्यूं पट्टी को रवांई परगने का हिस्सा मानते हुये रवांई जौनपुर की भांति ओ0बी0सी0 घोषित किया गया था। जबकि जनपद उत्तरकाशी की तहसील चिन्यालीसौड़, डुण्डा तथा भटवाड़ी भी रवांई परगने का एक भाग था। यदि दशगी व भण्डारस्यूं को रवांई जौनपुर परगने का भाग मानकर पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जा सकता है तो तहसील भटवाड़ी तथा विकास खण्ड डुण्डा के अवशेष भाग को भी ओ0बी0सी0 घोषित किया जाना चाहिए। जिससे इस क्षेत्र के शिक्षित व प्रशिक्षित नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

अतः जनपद उत्तरकाशी के तहसील भटवाड़ी तथा विकास खण्ड डुण्डा के अवशेष भाग को पिछड़ा क्षेत्र (ओ0बी0सी0) घोषित करवाया जाना नितांत आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अल्मोड़ा के तहसील चौखुटिया के अन्तर्गत रामगंगा नदी तथा तहसील द्वाराहाट में गगास नदी के तटबंध के पुनर्निर्माण हेतु सिंचाई विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

[मान्यवर, 19 सितम्बर, 2010 को तहसील चौखुटिया के अन्तर्गत रामगंगा नदी तथा तहसील द्वाराहाट में गगास नदी में भारी वर्षा के कारण पिछले सौ वर्षों में किये गये सुरक्षात्मक कार्य जिनमें चैक डैम, दीवारें तथा नहरें इत्यादि भी बह गये थे। साथ ही हजारों एकड़ कृषि भूमि कट कर बह गई थी तथा एक वर्ष से लगातार यह भू–कटाव जारी है। वर्तमान में इन दोनों नदियों से लगे कई गाँवों को जान माल का भयंकर नुकसान हो सकता है। विषय की गम्भीरता को देखते हुये दिनांक 25 मई, 2011 को चौखुटिया में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त सुरक्षात्मक कार्यों के पुनर्निर्माण हेतु सिंचाई विभाग के शासन में प्रस्तुत आगणन के जिसमें रामगंगा नदी, खचार नाला, भटकोट नाला, गगास नदी है, के अनुरूप धनराशि स्वीकृत करने की घोषणा की गई थी, लेकिन खेद का विषय है कि उक्त घोषणा अभी तक भी पूरी नहीं हुई है।

इससे सम्पूर्ण क्षेत्र की जनता भयभीत तथा आक्रोशित है। अतः अविलम्बनीय जनहित के इस विषय पर प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत चौबट्टाखाल एवं डांडानागराजा, ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर पेयजल संकट के निवारण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अमृता रावत–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि पर्वतीय जनपदों में दैवीय आपदा से हो रहे भू–स्खलन तथा सूखा पड़ने आदि कारणों से वर्षों पूर्व निर्मित पेयजल योजनाओं के जलस्रोत धीरे–धीरे सूखते जा रहे हैं जिसके कारण क्षेत्रीय जनमानस को विशेषकर गर्मियों में भयंकर पेयजल संकट से जूझने के लिए विवश होना पड़ता है। किन्तु राज्य सरकार, दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे जलस्रोतों को दृष्टिगत रखते हुए पर्वतीय जनपदों के निवासियों के दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे पेयजल संकट के स्थायी निवारण हेतु पम्पिंग पेयजल योजनाओं के निर्माण के प्रति गम्भीर नहीं है। यही कारण है कि राज्य की अनेक पम्पिंग पेयजल योजनाएं शासन अथवा विभागीय स्तर पर वर्षों से लम्बित चली आ रही हैं।

उदाहरण स्वरूप मेरी विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत "चौबट्टाखाल ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना" के निर्माण हेतु शासन द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2006 को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी, किन्तु इस योजना को स्वैप मोड के अन्तर्गत लाए जाने के कारण लगभग साढ़े चार वर्षों की लम्बी अवधि में इस योजना का प्राक्कलन स्वैप मोड के मानकों के अनुसार गठित कर, स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्तुत किया जा सका है, किन्तु टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त भी अभी तक इस पम्पिंग योजना के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं हो पाई है।

इसी प्रकार जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत "डांडा नागराजा ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना" के निर्माण हेतु दिनांक 19 अक्टूबर, 2006 को शासन द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इसी दिन हरिद्वार आगमन पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस योजना के निर्माण की घोषणा की गई थी; किन्तु स्वैप मोड के मानकों के अनुसार साढ़े चार वर्षों की लम्बी अवधि के बाद प्राक्कलन स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी अभी तक इस पम्पिंग योजना के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की जा सकी है जिसके कारण क्षेत्रीय जनमानस आक्रोशित एवं आन्दोलित है। यदि शीघ्र ही उक्त पम्पिंग पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु शासन द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी नहीं की जाती हैं तो आने वाले समय में भयंकर पेयजल संकट उत्पन्न होन की आशंका प्रबल हो जायेगी और फिर अनेक गाँवों के पुनर्वास की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी।

मेरा मान्यवर से पुरजोर आग्रह है कि उक्त पम्पिंग योजनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने/करवाने हेतु तत्परता से प्रभावी कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाये और क्षेत्रीय ग्रामीणों को पेयजल संकट से मुक्ति दिलवाई जाये।]

नोट:– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण तथा सल्ट में सरकार द्वारा निर्मित पटवारी चौकियों में पटवारियों के न बैठने से जन सामान्य को हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

[मान्यवर जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण और सल्ट में सरकार द्वारा आम जनमानस को लाभ पहुँचाने हेतु पटवारी चौकियों के निर्माण में धन का व्यय किया गया और क्षेत्रीय जनता अपना कार्य पास की पटवारी चौकी में बैठे पटवारी से ही करा लेगी, इसीलिये किया गया, परन्तु अधिकांश पटवारियों के अपनी चौकी में न बैठने से जहाँ धन का दुरूपयोग हुआ। वहीं जनता को कोई लाभ न होने से जनता में रोष व्याप्त है और आन्दोलित हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले की सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि सभी पटवारी अपनी चौकी से ही कार्य करें और जनता की समस्याओं का निदान चौकी पर बैठकर पटवारी चौकियों का उपयोग करें।]

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत कई गाँवों में खाद्यान्न संकट के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री शेर सिंह गढ़िया–

[मान्यवर, जनपद बागेश्वर, विकास खण्ड कपकोट के अन्तर्गत निर्धारित राशन कार्ड धारकों का मासिक आवंटन ए0पी0एल0 तथा बी0पी0एल0 का खाद्यान्न नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा है। खाद्यान्न की सप्लाई नहीं होने के कारण कई प्रा0 पा0 तथा जू0 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं बनाया जा रहा है। विगत तीन महीने से खाद्यान्न की सप्लाई नहीं हो रही है। जिस कारण लगभग 50 गाँवों में खाद्यान्न का संकट बना हुआ है। बागेश्वर जिले को निर्धारित कोटे के अनुरूप खाद्यान्न मिलना चाहिए।

इस अति लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कर समुचित कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोट विकास खण्ड के अन्तर्गत नाहसैंण में उत्पन्न पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोत सिंह गुनसोला–

[मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं सम्मानित सदन का ध्यान जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोट विकास खण्ड के अन्तर्गत नाहसैंण में लम्बे समय से पेयजल की समस्या की ओर

नोटः– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, नाहसैंण की जनता के लिए पेयजल विभाग के अन्तर्गत जल संस्थान द्वारा वर्ष 1985 में बिंसर से पेयजल पाईपों के द्वारा जलापूर्ति योजना लागू की गई थी। वर्ष 1990 में जल संस्थान द्वारा उक्त पेयजल योजना ग्राम सभा को सौंप दी गई थी, किन्तु ग्राम सभा द्वारा धनाभाव के कारण योजना का समुचित रख–रखाव नहीं किया जा सका और योजना समय–समय पर क्षतिग्रस्त होती गई।

वर्ष 2010 से गम्भीर पेयजल संकट से क्षेत्र प्रभावित हो गया। विभागीय अधिकारियों से बार–बार अनुरोध किये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। मई, 2010 में क्षेत्रवासी इस समस्या को लेकर जिलाधिकारी, मुख्य खण्ड विकास अधिकारी एवं पेयजल के सम्बन्धित अधिकारियों से मिले, किन्तु जिलाधिकारी के निर्देश के बाद भी आज तक विभाग द्वारा उक्त योजना के अनुरक्षण एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

माननीय सदन के ध्यान में लाना है कि नाहसैंण में इण्टर कालेज, चिकित्सालय, बैंक, पोस्ट आफिस, पटवारी चौकी एवं अनेकों सरकारी कार्यालय तथा नाहसैंण बाजार तथा आस–पास स्थित गाँव हैं, जो कि पेयजल समस्या से ग्रस्त हैं, जिससे स्थानीय जनता में गहरा रोष है।

अतः इस माननीय सदन के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि उक्त पेयजल योजना का शीघ्रातिशीघ्र अनुरक्षण करके स्थानीय जनता को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु शासन को निर्देश देने का कष्ट करें।

जनपद चम्पावत के तहसील पाटी में राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती वीना महराना–

[मान्यवर, जनपद चम्पावत के अन्तर्गत पाटी तहसील में क्षेत्रीय जनता द्वारा लम्बे समय से डिग्री कालेज खोले जाने की माँग को देखते हुये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 20–02–2011 को चम्पावत भ्रमण के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। घोषणा होने के बावजूद भी अभी तक इसकी स्थापना न होने से क्षेत्रीय जनता में रोष व्याप्त है, साथ ही सरकार के प्रति अविश्वसनीयता की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

अतः मैं सदन में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को नियम–300 के तहत त्वरित कार्यवाही हेतु रखे जाने की माँग करती हूँ।]

नोट– [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड थौलधार के अन्तर्गत कण्डीसौड़ में उप तहसील सृजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-300 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजमोहन कोटवाल-

[मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत कण्डीसौड़ में उप तहसील सृजित किये जाने की माँग क्षेत्रवासियों द्वारा पिछले कई वर्षों से की जा रही है।

विकास खण्ड थौलधार की भौगोलिक स्थितियों एवं टिहरी बाँध झील से प्रभावित होने के कारण क्षेत्रवासियों को तहसील सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों को बनाने एवं अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने हेतु विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि मा0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा दो बार घोषणा के उपरान्त भी अब तक कण्डीसौड़ उप तहसील के सृजन सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही न किया जाना जनहित में अहितकर है।

अतः मैं माननीय सदन में इस अविलम्बनीय लोकहित के प्रश्न को नियम-300 के तहत त्वरित कार्यवाही हेतु रखे जाने की माँग करता हूँ।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम-310 के अन्तर्गत विपक्ष द्वारा दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने मी मांग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-310 के अन्तर्गत कुल पाँच सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय, माननीय सदस्य श्री करन मेहरा, माननीय सदस्या श्रीमती अमृता रावत, माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल, माननीय सदस्य श्री केदार सिंह रावत, माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी, माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा आदि द्वारा दी गई है, जो सरकार की अदूरदर्शिता, संवेदनशीलता तथा सोचविहीनता के कारण आज पूरा प्रदेश धरने एवं प्रदर्शनों का प्रदेश बन कर रहा गया है, के सम्बंध में है। दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री प्रीतम सिंह, माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा, माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी, माननीय सदस्य डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, माननीय सदस्य श्री राजेश जुवांठा, माननीय सदस्य श्री मयूख महर, माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़, माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला, माननीय सदस्या श्रीमती अमृता रावत, माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह माहरा तथा माननीय सदस्य श्री रणजीत सिंह रावत की है, जो प्रदेश सरकार के विगत साढ़े चार वर्षों के कार्यकाल में सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी

नोट- [ ] यह अंश पढ़े हुए माने गये।

है, के सम्बंध में है। तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी की है, जो उत्तराखण्ड की स्थाई राजधानी चन्द्रनगर (गैरसैण) में अविलम्ब स्थापित किये जाने के सम्बंध में है। चौथी सूचना माननीय सदस्य श्री नारायण पाल, माननीय सदस्य हाजी तस्लीम अहमद, माननीय सदस्य श्री हरिदास, माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन की है जो जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बैगुल व अन्य डामों के किनारे पर वर्षों से काबिज लोगों को भूमिधरी अधिकार व जनसुविधायें दिये जाने के सम्बंध में है। पाँचवी सूचना माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश तथा माननीय सदस्य श्री हरिदास की है, जो कुम्भ मेले में घोटाले एवं मंत्री के इशारे पर जिला प्रशासन द्वारा अवैध वसूली के सम्बन्ध में है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री हरिदास, हाजी तस्लीम अहमद, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्रीमती अमृता रावत तथा श्री नारायण पाल, की कुल 05 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से जनपद हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में लकेश्वरी, सिकन्दपुर, रायपुर में फैक्ट्रियों से निकलने वाले कैमिकलयुक्त पानी एवं बरसाती पानी के निकासी की कोई व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश तथा श्री हरिदास की सूचना तथा प्रदेश में स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रवृत्ति न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में माननीय सदस्य हाजी तस्लीम अहमद की सूचना एवं प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक/समेकित/संविदागत कर्मचारियों को नियमित करने सम्बन्धी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 09–11–2010 पर कार्यवाही न किये जाने के सम्बंध में माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी की सूचना को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

श्री अध्यक्ष–

नियम–310 की प्राप्त सूचनाओं में से माननीय श्री किशोर उपाध्याय, माननीय श्री करन मेहरा, माननीय श्री मनोज तिवारी तथा जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बैगुल व अन्य डामों के किनारों के सम्बन्ध में माननीय श्री नारायण पाल, माननीय श्री प्रेमानन्द महाजन, हाजी तस्लीम अहमद तथा माननीय श्री हरिदास की सूचना को नियम–310 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। (घोर व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

श्री किशोर उपाध्याय जी, मैं आपकी सूचना को नियम नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। माननीय दिनेश श्री करन मेहरा जी, माननीय श्री केदार सिंह रावत जी, माननीय श्री मनोज तिवारी जी, माननीय श्री महेन्द्र सिंह माहरा जी को मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। (घोर व्यवधान)

(कोई भी माननीय सदस्य अपनी बात कहने के लिए अपने स्थान पर नहीं गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री नारायण पाल जी, माननीय हाजी तस्लीम अहमद जी, माननीय श्री हरिदास जी।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई भी माननीय सदस्य अपने विषय को रखना नहीं चाहता है।

उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 50(5)(क) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम का वित्तीय वर्ष, 2002–03 से 2009–10 तक का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 50(5)(क) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम का वित्तीय वर्ष, 2002–03 से 2009–10 तक वार्षिक लेखा प्रतिवेदन सदन के पटल रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा (2009–10) का तृतीय प्रतिवेदन

श्री सुरेश चन्द जैन–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से सार्वजनिक उपक्रम एवं नियग समिति, उत्तराखण्ड की द्वितीय विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (2009–10) का तृतीय प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन

शहरी विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अनुसूचित जाति व जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाइयों के निराकरण हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। (घोर व्यवधान)

(वेल में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य काजी मो0 निजामुद्दीन, अपनी बात कहते हुए अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे, जिन्हें विधान सभा रक्षकों द्वारा रोका गया।)

श्री अध्यक्ष-

इनकी मुद्रित प्रतियाँ बाद में वितरित की जायेंगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए।)

(माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री राजेश जुवांठा, अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे, जिन्हें विधान सभा रक्षकों द्वारा रोका गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विधान सभा भवन स्थल चयन समिति के कार्यकाल का विस्तार

श्री अध्यक्ष-

विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-260/वि0स0/503/संसदीय/2011, दिनांक 11 जुलाई, 2011 के क्रम में मुझे आपको अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड विधान सभा भवन स्थल चयन समिति का कार्यकाल एक माह के लिए बढ़ाया जाता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

('वेल' में खड़े कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कागज फाड़कर अध्यक्ष पीठ की तरफ फेंके गये।)

दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 को श्रीमती अमृता रावत, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–20 तथा द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम गुरूवार दिनांक 16 जुलाई, 2009 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–17 के उत्तर में संशोधन हेतु संसदीय कार्य मंत्री का शोधन वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री(श्री प्रकाश पन्त)–

प्रश्न संख्या	अतारांकित / तारांकित प्रश्न	तत्समय प्रदत्त उत्तर	संशोधित उत्तर / शोधन वक्तव्य
प्रश्न सं0–20	अतारांकित प्रश्न– [क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल, बड़ेहाखाल में पशु चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पौड़ी गढ़वाल के पत्रांक 994 / पशुधन–प0चि0 / प्रस्ताव / 2007–08 दिनांक 10–08–07 के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) के पूर्व प्रमुख का पत्रांक बड़ेहाखाल / 5–पशुपालन / 20 07–08 दिनांक 30–08–2007 विभाग में कब प्राप्त हुआ तथा पत्र में वर्णित तथ्यों पर अब तक की गई कार्यवाई और प्रगति का विवरण क्या है ?	जी हाँ। दिनांक 12 सितम्बर, 2007 को प्राप्त हुआ। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी के स्तर से बड़ेहाखाल एवं पशु चिकित्सालय बलूड (धुसमली) के अन्तर्गत पड़ने वाले गाँवों एवं पशुधन की संख्या की गणना कराई गई। बलूड पशु चिकित्सालय के 05 कि0मी0 के अन्तर्गत कुल गाँवों की संख्या 21 व पशुगणना 4002 है जबकि बड़ेहाखाल के अन्तर्गत 5 कि0मी0 की परिधि में 10 गाँव व पशुधन संख्या 1667 है। उक्त परिस्थिति में बड़ेहाखाल में नया पशुचिकित्सालय नहीं खोला जा सकता है।	जी हाँ। बड़ेहाखाल के समीप 05 कि0मी0 के स्थान पर पूर्व में 08 कि0मी0 की परिधि के गाँवों की पशुधन संख्या 3088 गणना कर अंकित की गई है। जिसके कारण पशुधन संख्या में व्यापक अन्तर आया। उक्त सूचना के लिए गणना करने वाले सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारीगण उत्तरदायी हैं। उक्त गणना अगस्त, 2007 तथा जनवरी, 2009 में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पौड़ी द्वारा सम्बन्धित पशुधन प्रसार अधिकारीगण से कराई गई। वर्तमान में सम्बन्धित क्षेत्र के अन्वेषक कम संगणक संख्या सहायक एवं क्षेत्रीय निरीक्षक से दिनांक 19–11–2009 से 29–11–2009 के मध्य करायी गयी पशुधन गणना के अनुसार बड़ेहाखाल से 05 कि0मी0 पैदल परिधि के अन्तर्गत पड़ने वाले राजस्व ग्रामों की संख्या 17 तथा पशुधन संख्या 1957 है।

			गाँवों के नाम व पशुधन संख्या निम्नवत् है :–	
			गाँव का नाम	पशुधन सं0
प्रश्न सं0–17	अतारांकित प्रश्न– विधान सभा के तृतीय सत्र 2008 के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–20 के उत्तर के संदर्भ में क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान बड़ेथाखाल के अन्तर्गत पाँच कि0मी0 की परिधि में क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) के पूर्व प्रमुख के पत्रांक बड़ेथाखाल/5–पशुपालन 2007–08 दिनांक 20–08–2007 में वर्णित 51 गाँवों की पशुगणना के अनुसार पालतू पशुओं की संख्या क्या है तथा पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु निर्धारित मानक क्या है?	क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) के पूर्व प्रमुख के पत्रांक बड़ेथाखाल/5–पशुपालन 07–08, दिनांक 20–08–2007 में वर्णित 51 गाँवों में बड़ेथाखाल के समीप 5 कि0मी0 की परिधि में पड़ने वाले कुल 6 ग्राम सभाओं का सर्वे कराया गया। जिसमें कुल पशुधन संख्या–3088, पक्षियों की संख्या–356 है। पशु चिकित्सालय की स्थापना हेतु एक पशु चिकित्सालय से दूसरे पशु चिकित्सालय की दूर 08 कि0मी0 एवं पशुधन सं0 10000 होनी आवश्यक है।	01. बड़ेथा	70
			02. बड़ेथाखाल बाजार	70
			03. रिंगुड़	124
			04. चौपड़ी	79
			05. गुलगढ़	14
			06. खाण्डा	105
			07. पैडुल	87
			08. नवाड़ी	58
			09. जग्वारी	139
			10. मण्डालू	151
			11. कोटा	07
			12. कुनकुनी	138
			13. मटकोटी	202
			14. जखनौली	106
			15. दयूसा	374
			16. महादेवाशैण	56
			17. ग्वाड़ी	177
			कुल योग	1957
			उपरोक्त राजस्व ग्रामों यथा जखनौली पैडुल के चौण्डली, कुण्ड, डंगलधार तोक एवं मजरे होने के कारण उनकी पशुगणना उक्त राजस्व ग्रामों में सम्मिलित है।	

उक्त त्रुटिपूर्ण सूचना के लिए उत्तरदायी डॉ0 डी0सी0एस0 रावत, तत्कालीन मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पौड़ी को तत्कालीन विभागाध्यक्ष के पत्र संख्या 469/स्था0एक0/वि0स0प्र0, दिनांक 18 दिसम्बर, 2009 द्वारा कठोर चेतावनी जारी करते हुए भविष्य के लिए सचेत कर दिया गया है]

(घोर व्यवधान के मध्य)

नोट – [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग अधिनियम, 2003 की धारा–15 के अनुसार अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक आयोग की रिपोर्ट

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह भौर्याल)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग अधिनियम, 2003 की धारा–15 के अनुसार अप्रैल, 3010 से 31 मार्च, 2011 तक आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह सरकार का प्रतिवेदन नहीं है। यह समिति का प्रतिवेदन है और समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखा गया है, जिसे कार्यवाही हेतु माननीय सदन सरकार को भेज सकता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो समिति गठित की गयी थी, यह उस समिति का प्रतिवेदन है। इसकी मुद्रित प्रतियाँ बाद में वितरित की जायेंगी।

वित्तीय वर्ष 2011–12 की प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–03, मंत्रि परिषद्

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–03, मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत रू0 265600 हजार (छब्बीस करोड़ छप्पन लाख) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03, मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत रू0 265600 हजार (छब्बीस करोड़ छप्पन लाख) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रू0 20730 हजार (दो करोड़ सात लाख तीस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04, न्याय प्रशासन के अन्तर्गत रू0 20730 हजार (दो करोड़ सात लाख तीस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रू0 456248 हजार (पैंतालीस करोड़ बासठ लाख अड़तालीस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत रू0 456248 हजार (पैंतालीस करोड़ बासठ लाख अड़तालीस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0 887426 हजार (अट्ठासी करोड़ चौहत्तर लाख छब्बीस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–07, वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें के अन्तर्गत रू0 887426 हजार (अट्ठासी करोड़ चौहत्तर लाख छब्बीस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–08, आबकारी

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–08, आबकारी के अन्तर्गत रू0 1000 हजार (दस लाख) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08, आबकारी के अन्तर्गत रू0 1000 हजार (दस लाख) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य श्री राजेश जुवाँठा जी रिपोर्टर टेबिल के ऊपर चढ़कर नारे लगाने लगे।)

अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रू0 541200 हजार (चौवन करोड़ बारह लाख) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10, पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत रू0 541200 हजार (चौवन करोड़ बारह लाख) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0 4841080 हजार (चार सौ चौरासी करोड़ दस लाख अस्सी हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत रू0 4841080 हजार (चार सौ चौरासी करोड़ दस लाख अस्सी हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रू0 252159 हजार (पच्चीस करोड़ इक्कीस लाख उन्सठ हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत रू0 252159 हजार (पच्चीस करोड़ इक्कीस लाख उन्सठ हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0 171189 हजार (सत्रह करोड़ ग्यारह लाख नवासी हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत रू0 171189 हजार (सत्रह करोड़ ग्यारह लाख नवासी हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–14, सूचना

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–14, सूचना के अन्तर्गत रु0 173868 हजार (सत्रह करोड़ अड़तीस लाख अड़सठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14, सूचना के अन्तर्गत रु0 173868 हजार (सत्रह करोड़ अड़तीस लाख अड़सठ हजार) रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रतिवेदन माननीय श्री मदन कौशिक जी द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसे तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाये।

(माननीय सदस्य श्री ओम गोपाल एवं काजी मौ0 निजामुद्दीन के बीच में कुछ कहासुनी होने पर।) (घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसमें सरकार की मंशा नहीं है, इसमें एक माननीय समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, सदन के विचार के लिए, इसमें सरकार का कोई लेना–देना नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं

समाज कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह भौर्याल)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रू0 1012378 हजार (एक सौ एक करोड़ तेईस लाख अठ्हत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–15, कल्याण योजनाएं के अन्तर्गत रू0 1012378 हजार (एक सौ एक करोड़ तेईस लाख अठ्हत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन द्वारा पत्रादि फाड़कर माननीय अध्यक्ष पीठ की ओर उछाले गये)

अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार

श्रम व न्याय मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रू0 38402 हजार (तीन करोड़ चौरासी लाख दो हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार के अन्तर्गत रू0 38402 हजार (तीन करोड़ चौरासी लाख दो हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रू0 1364755 हजार (एक सौ छत्तीस करोड़ सैंतालीस लाख पचपन हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत रू0 1364755 हजार (एक सौ छत्तीस करोड़ सैंतालीस लाख पचपन हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–18, सहकारिता

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–18, सहकारिता के अन्तर्गत रू0 70789 हजार (सात करोड़ सात लाख नवासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–18, सहकारिता के अन्तर्गत रू0 70789 हजार (सात करोड़ सात लाख नवासी हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास

ग्राम्य विकास व संस्कृति मंत्री (श्रीमती विजय बड़थ्वाल)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0 647367 हजार (चौसठ करोड़ तिहत्तर लाख सड़सठ हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत रू0 647367 हजार (चौसठ करोड़ तिहत्तर लाख सड़सठ हजार) रूपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रू0 1284533 हजार (एक सौ अट्ठाईस करोड़ पैंतालीस लाख तैंतीस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–20, सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत रू0 1284533 हजार (एक सौ अट्ठाईस करोड़ पैंतालीस लाख तैंतीस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–21, ऊर्जा

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–21, ऊर्जा के अन्तर्गत रू0 2331272 हजार (दो सौ तैंतीस करोड़ बारह लाख बहत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21, ऊर्जा के अन्तर्गत रू0 2331272 हजार (दो सौ तैंतीस करोड़ बारह लाख बहत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 398240 हजार (उन्तालीस करोड़ बयासी लाख चालीस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22, लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत रू0 398240 हजार (उन्तालीस करोड़ बयासी लाख चालीस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–23, उद्योग

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–23, उद्योग के अन्तर्गत रू0 35340 हजार (तीन करोड़ तिरपन लाख चालीस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23, उद्योग के अन्तर्गत रू0 35340 हजार (तीन करोड़ तिरपन लाख चालीस हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–24, परिवहन

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–24, परिवहन के अन्तर्गत रू0 8474 हजार (चौरासी लाख चौहत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24, परिवहन के अन्तर्गत रू0 8474 हजार (चौरासी लाख चौहत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–25, खाद्य

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–25, खाद्य के अन्तर्गत रू0 2000 हजार (बीस लाख) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25, खाद्य के अन्तर्गत रू0 2000 हजार (बीस लाख) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–26, पर्यटन

शहरी विकास मंत्री(श्री मदन कौशिक)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–26, पर्यटन के अन्तर्गत रू0 60851 हजार (छः करोड़ आठ लाख इक्यावन हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

अनुदान संख्या–26, पर्यटन के अन्तर्गत रू0 60851 हजार (छः करोड़ आठ लाख इक्यावन हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–27, वन

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–27, वन के अन्तर्गत रू0 274665 हजार (सत्ताईस करोड़ छियालिस लाख पैंसठ हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27, वन के अन्तर्गत रू0 274665 हजार (सत्ताईस करोड़ छियालिस लाख पैंसठ हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रू0 66381 हजार (छः करोड़ तिरसठ लाख इक्यासी हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28, पशुपालन सम्बन्धी कार्य के अन्तर्गत रू0 66381 हजार (छः करोड़ तिरसठ लाख इक्यासी हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास के अन्तर्गत रू0 135776 हजार (तेरह करोड़ सत्तावन लाख छिहत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–29, औद्यानिक विकास के अन्तर्गत रू0 135776 हजार (तेरह करोड़ सत्तावन लाख छिहत्तर हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 401455 हजार (चालीस करोड़ चौदह लाख पचपन हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–30, अनुसूचित जातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 401455 हजार (चालीस करोड़ चौदह लाख पचपन हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

श्री बलवन्त सिंह भौर्याल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 164589 हजार (सोलह करोड़ पैंतालीस लाख नवासी हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–31, अनुसूचित जनजातियों का कल्याण के अन्तर्गत रू0 164589 हजार (सोलह करोड़ पैंतालीस लाख नवासी हजार) रूपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विनियोग (2011–2012 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री(श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड विनियोग (2011–2012 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करते हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2011–2012 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तराखण्ड विनियोग (2011–2012 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां वितरित की जायं।

(प्रतियां वितरित की गईं।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2011–2012 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2011–2012 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड–2 से खण्ड–3, अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तराखण्ड विनियोग (2011–12 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011

(विधेयक संख्या वर्ष 2011)

31 मार्च, 2012 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित–

संक्षिप्त नाम

1– इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (2011–2012 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 2011 है।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2011–12 के लिये रू0 16364581000 का दिया जाना

2– ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से उतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है, जो अनुसूची के स्तम्भ–3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग ₹ 16364581000 (रू0 सोलह सौ छत्तीस करोड़ पैंतालीस लाख इक्यासी हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3– इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची
(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान	विभाग का नाम	निम्नलिखित धनराशि से अनधिक (धनराशि हजार रु0 में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3			
02–	राज्यपाल	राजस्व	0	865	865
		पूँजी	0	0	0
03–	मंत्रिपरिषद	राजस्व	265600	0	265600
		पूँजी	0	0	0
04–	न्याय प्रशासन	राजस्व	20730	0	20730
		पूँजी	0	0	0
06–	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	426248	1050	427298
		पूँजी	30000	0	30000
07–	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	559733	389574	949307
		पूँजी	327693	0	327693
08–	आबकारी	राजस्व	1000	0	1000
		पूँजी	0	0	0
09–	लोक सेवा आयोग	राजस्व	0	25325	25325
		पूँजी	0	40000	40000
10–	पुलिस एवं जेल	राजस्व	437200	0	437200
		पूँजी	104000	0	104000
11–	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	4678868	0	4678868
		पूँजी	162212	0	162212
12–	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	162757	0	162757
		पूँजी	89402	0	89402
13–	जलापूर्ति, आवास एवं नगर निगम	राजस्व	20689	0	20689
		पूँजी	150500	0	150500
14–	सूचना	राजस्व	173868	0	173868
		पूँजी	0	0	0
15–	कल्याण योजनायें	राजस्व	944398	0	944398
		पूँजी	67980	0	67980
16–	श्रम और रोजगार	राजस्व	30627	0	30627
		पूँजी	7775	0	7775

1	2	3			
17—	कृषि, कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	1214755	0	1214755
		पूँजी	150000	0	150000
18—	सहकारिता	राजस्व	70789	0	70789
		पूँजी	0	0	0
19—	ग्राम्य विकास	राजस्व	647367	0	647367
		पूँजी	0	0	0
20—	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	159847	0	159847
		पूँजी	1124686	0	1124686
21—	ऊर्जा	राजस्व	60172	0	60172
		पूँजी	2271100	0	2271100
22—	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	171000	0	171000
		पूँजी	227240	0	227240
23—	उद्योग	राजस्व	35340	0	35340
		पूँजी	0	0	0
24—	परिवहन	राजस्व	6914	0	6914
		पूँजी	1560	0	1560
25—	खाद्य	राजस्व	2000	0	2000
		पूँजी	0	0	0
26—	पर्यटन	राजस्व	50850	0	50850
		पूँजी	10001	0	10001
27—	वन	राजस्व	274665	0	274665
		पूँजी	0	0	0
28—	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	56381	0	56381
		पूँजी	10000	0	10000
29—	औद्यानिक विकास	राजस्व	135776	0	135776
		पूँजी	0	0	0
30—	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	373438	0	373438
		पूँजी	28017	0	28017
31—	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	160971	0	160971
		पूँजी	3618	0	3618
	योग	राजस्व	11141983	416814	11558797
		पूँजी	4765784	40000	4805784
	महायोग		15907767	456814	16364581

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 अनुसूची, खण्ड–1 प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग (2011–2012 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग (2011–2012 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2011

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

('वेल' में मौजूद माननीय सदस्यगण पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, ये उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2011, एक अति महत्वपूर्ण विधेयक, जो सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। (व्यवधान) वर्तमान उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में 393 धाराओं के स्थान पर इसमें कुल 122 धाराओं का प्राविधान किया गया है। इसमें नयी ग्राम पंचायत के गठन हेतु जो व्यवस्था की गयी है उसमें अगर नयी ग्राम पंचायत बननी है तो पर्वतीय क्षेत्रों में 500 की जनसंख्या तथा मैदानी क्षेत्रों में 5000 से 10000 की जनसंख्या का प्राविधान किया गया है। (व्यवधान) प्रस्तावित अधिनियम में ग्राम पंचायत में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 05 से बढ़ाकर 07 की गयी है। इसमें ग्राम पंचायतों की समितियों की संख्या 06 के स्थान पर घटाकर 03 की गयी है। इस अधिनियम में त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में सरकारी कर्मचारियों के साथ–साथ अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों, सहकारी

समितियों के सचिवों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, इत्यादि को भी लाभ का पद मानते हुए निर्वाचन हेतु अनर्ह घोषित किया गया है। श्रीमन्, चुनावों के लिए ई0वी0एम0 की व्यवस्था की गयी है। ग्राम सभा की बैठकों में कोरम कुल सदस्यों के 1/5 के स्थान पर 1/2 का कोरम मान्य होगा। मान्यवर, इसके साथ–साथ वर्तमान में जो विधेयक प्रचलित है उसके अन्तर्गत कोरम के अभाव में जो दूसरी बैठक होती थी, वह की जा सकती थी। उसके लिए प्राविधान किया गया है कि कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य अथवा कुल परिवारों के 1/4 प्रनिनिधि वहां पर उपस्थित हों तो बैठक की जा सकती है। पूर्व में वर्ष में 02 बैठकें अनिवार्य थीं अब 04 कर दी गयी हैं। अविश्वास के प्रस्ताव के लिए 2/3 बहुमत के स्थान पर 1/2 बहुमत का प्राविधान किया गया है।

श्रीमन्, इसी तरह से इसमें आय की व्यवस्था भी की गयी है ताकि पंचायतों की आय हो सके। (व्यवधान) ज्येष्ठ/कनिष्ठ उप प्रमुख को मिलाकर दोनों के स्थान पर क्षेत्र पंचायतों के उप प्रमुख का एक ही पद रखा गया है। यह बहुप्रतीक्षित विधेयक है। जो विगत 10 वर्षों में पहली बार उत्तराखण्ड की विधान सभा में आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से इसमें चर्चा नहीं हो पा रही है इतने शोरगुल के बीच में। इसमें चर्चा होनी चाहिए थी। मैं इसको विचार करने के लिए सम्मानित सदन के मध्य विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री तिलक राज बेहड़ जी, श्री प्रीतम सिंह जी, श्री दिनेश अग्रवाल जी, माननीय श्री गोपाल सिंह राणा जी, माननीय श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल जी, माननीय श्री महेन्द्र सिंह माहरा जी, माननीय श्री राजेश जुवांठा जी, माननीय श्री रणजीत सिंह रावत जी, माननीय श्री बलबीर सिंह नेगी जी, माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी, माननीय श्री केदार सिंह रावत जी, माननीय डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी, माननीया श्रीमती अमृता रावत जी, माननीय श्री जोत सिंह गुनसोला जी, माननीय श्री मयूख महर जी। कोई भी माननीय सदस्यगण अपने विचार रखना चाहें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, यह पंचायती राज विधेयक पूरे उत्तराखण्ड के खिलाफ है।................ .(घोर व्यवधान)

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, पंचायती राज विधेयक पूरे उत्तराखण्ड की जनता से जुड़ा हुआ है, यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। (घोर व्यवधान) इसलिए मैं माँग करता हूँ कि उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया एक–एक कर बोलिये। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, पंचायती राज विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है। (घोर व्यवधान) इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष को अधिकार दिया जाय। (घोर व्यवधान) इस लिए मेरा अनुरोध है कि उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो पा रही है। ऐसा लगता है कि हमारे प्रतिपक्ष के बन्धु इस विधेयक पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। हमारे माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी और माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम जी ने अनुरोध किया है कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2011 को सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द करने हेतु प्रस्ताव

श्री प्रकाश पन्त–

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2011 को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। सात सदस्यीय समिति के गठन के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष जी को प्राधिकृत करता है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड पंचायती राज विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा मद संख्या–20 पर माननीय [illegible] उपाध्याय का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े [illegible] सम्बन्धित मद प्रस्तुत नहीं की गई।)

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा मद संख्या–21 पर माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े थे, इसलिए उनके द्वारा सम्बन्धित मद प्रस्तुत नहीं की गई।)

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला का नाम पुकारा गया, माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े थे। उनके द्वारा अभिसूचित संकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।)

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य की प्रशासनिक इकाईयों का पुनर्गठन किया जाय।"

(उक्त संकल्प पर माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री हरभजन सिंह चीमा का नाम पुकारा गया, किन्तु सदन में व्यवधान होने के कारण अभिसूचित संकल्प पर चर्चा नहीं हो पायी।)

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 81 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किया जाय।"

(उक्त प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य डा0 हरक सिंह रावत का नाम पुकारा गया, माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे, इसलिए इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पायी।)

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि संविधान का 74वाँ संशोधन की मूल भावना के अनुरूप राज्य में नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों एवं नगर निगम में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन हेतु इन निकायों में विभिन्न संवैधानिक पदों पर निर्धारित प्रक्रियानुसार पदाधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था करने हेतु सरकार तत्काल कदम उठाये ताकि विकासात्मक कार्यों को जनाकांक्षाओं के अनुरूप समय पर पूर्ण किया जा सके।"

(उक्त प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला जी का नाम पुकारा गया, किन्तु माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े थे, इसलिए अभिसूचित प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पायी।)

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में आम आदमी को महंगाई की मार से राहत देने हेतु डीजल व पैट्रोल पर वैट को घटाया जाये।"

(उक्त प्रस्ताव पर माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य काजी मौ0 निजामुद्दीन का नाम पुकारा गया, किन्तु माननीय सदस्य 'वेल' में खड़े थे, इसलिए अभिसूचित प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पायी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री हरिदास, श्री यशपाल बेनाम, श्री गोपाल सिंह रावत, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्रीमती बीना महराना, श्रीमती अमृता रावत, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना तथा श्री शेर सिंह गढ़िया की कुल 09 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इन सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

मनरेगा कर्मियों को एन0जी0ओ0 से अलग कर सरकार द्वारा भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में श्री यशपाल बेनाम, सदस्य, विधान सभा, द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

ग्राम्य विकास व संस्कृति मंत्री (श्रीमती विजय बड़थ्वाल)–

[भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित जनरल फाइनेन्शियल रूल्स, 2005 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत सेवा प्रदाय संस्थाओं के माध्यम से (जिसे एन0जी0ओ0 कहा जा रहा है) व्यक्तियों की सेवायें लिये जाने का प्राविधान है। मनरेगा योजना के अन्तर्गत इन नियमों के अन्तर्गत ही सेवा प्रदाय संस्थाओं से इन व्यक्तियों की सेवायें ली जा रही हैं। इन व्यक्तियों का ग्राम्य विकास विभाग से कर्मचारी–नियोक्ता का सम्बन्ध नहीं है।

यह भी उल्लेखनीय है कि कब, कितने व्यक्तियों की सेवायें सेवा प्रदाय संस्थाओं के माध्यम से ली जायेंगी, यह मनरेगा योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले आवंटन एवं कार्य की प्रकृति पर निर्भर है।

कई विभागों के अन्तर्गत सेवा प्रदाय संस्थाओं के माध्यम से व्यक्तियों की सेवायें ली गई हैं।

वर्तमान में इन व्यक्तियों की तैनाती सेवादाता संस्था द्वारा की गयी है अतः इनकी तैनाती में विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया अपनाये जाने का प्रश्न ही नहीं है। अतः यदि संविदा पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति दी जानी है तो संविधान की धारा–14 में वर्णित समता के अधिकार के तहत पारदर्शी चयन प्रक्रिया/आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जन सामान्य को समान अवसर देने की बाध्यता होगी। इस प्रक्रिया में वर्तमान में कार्य कर रहे इन व्यक्तियों में से सभी का चयन हो जाये यह कदापि सम्भव नहीं है।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इनमें से कतिपय व्यक्तियों द्वारा संविदा पर रखे जाने की प्रार्थना करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष रिट याचिका संख्या–1709/2009, 1759/2009 एवं 1760/2009 योजित की हैं। ये रिट याचिकायें वर्तमान में लम्बित हैं।

अतः विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम–30 खण्ड (8) के प्राविधानों के आलोक में इस विषय पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती एवं प्रकरण इस कारण स्पष्टतः अग्राह्य है।]

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण में सड़क योजना की स्वीकृति न मिल पाने से विकास योजना बाधित होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[मा0 विधान सभा सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना जी द्वारा विधान सभा क्षेत्र भिक्यासैंण के अन्तर्गत अनेक मॉर्गों के निर्माण की स्वीकृति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त न हो पाने के कारण उनका निर्माण नहीं हो पाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। यद्यपि मांगी गयी सूचना में भिक्यासैंण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भारत सरकार स्तर पर लम्बित मोटर मार्गों का उल्लेख न किये जाने के कारण ऐसी लम्बित सड़कों की स्वीकृति के सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से विवरण देना सम्भव नहीं हो पा रहा है तथापि उपलब्ध अभिलेखानुसार भिक्यासैंण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भारत सरकार के स्तर पर स्वीकृति हेतु लम्बित सड़कों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रम सं0	सड़क का नाम	भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने की तिथि
1	जैंठा–खुकड़ी–कोटियाग–शैलापानी–खनोलिया –बनघट मोटर मार्ग	06–08–2011
2	देघाट–जौरासी मोटर मार्ग	19–08–2011
3	शहीद राजेश अधिकारी मोटर मार्ग विनायक से डुंगा तक	06–08–2011

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2– भिक्यासैंण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 20 अन्य प्रस्तावित सड़कों में से 19 सड़कों के प्रस्ताव विभाग स्तर पर आपत्तियों के निराकरण हेतु लम्बित हैं तथा एक प्रस्ताव वन विभाग को आपत्ति के निराकरण के उपरान्त दिनांक 12–09–2011 को प्राप्त हुआ है।

3– राज्य में सड़क निर्माण हेतु वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु प्रत्यावर्तन के प्रकरणों में पूर्व में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अन्य शर्तों के अलावा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल/सोयम भूमि को भारतीय वन अधिनियम–1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित कर उसे वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित करने की शर्त भी अधिरोपित की गयी है। उक्त शर्त का अनुपालन किये जाने के दृष्टिगत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि को संरक्षित वन घोषित करने के प्रकरण पर कार्रवाई गतिमान है।]

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने विषयक प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री(श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।
जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

("राष्ट्रगान" के उपरान्त सदन की कार्यवाही 1 बजकर 33 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून :

दिनांक:–29 सितम्बर, 2011

डी0पी0गैरोला,

प्रमुख सचिव,

उत्तराखण्ड विधान सभा।

नत्थी 'क'

(देखिये स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या–01 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 04 पर)

क्रम संख्या 130 (क) पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009/11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 24 अगस्त, 2011 ई0

भाद्रपद 02, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

कृषि एवं विपणन अनुभाग–1

संख्या 754/XIII-I/2011–1(25)/2006 टी0सी0–1

देहरादून, 24 अगस्त, 2011

अधिसूचना

उत्तराखण्ड प्रदेश की जनता की दीर्घकालीन खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा कृषकों की दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से एतद्द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल महोदया संलग्न उत्तराखण्ड कृषि नीति, 2011 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

उत्तराखण्ड कृषि नीति

विषय सूची

1. प्राक्कथन

2. अध्याय

अध्याय–1 वर्तमान स्थिति एवं प्राथमिकताएं

अन्तर्निहित क्षमतायें

अक्षमतायें

अवसर

आशंकायें

प्राथमिकतायें

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा

कृषकों की आर्थिक सुरक्षा

टिकाऊ खेती, जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा

कृषि शिक्षा एवं शोध

भूमि प्रबन्धन

अध्याय–2 वर्तमान स्थिति

नीति रणनीति

विशेष कृषि क्षेत्र

पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी

जलागम विकास

मृदा स्वास्थ्य सुधार

भूमि उपयोग

अध्याय–3 सिंचाई एवं जल प्रबन्धन

वर्तमान स्थिति

नीति रणनीति

अध्याय–4 जलवायु एवं फसल प्रबन्धन

वर्तमान स्थिति

नीति रणनीति

अध्याय–5 बीज एवं रोपण सामग्री प्रबन्धन

नीति/रणनीति

अध्याय–6 कृषि विविधीकरण
औद्यानिकी
वर्तमान स्थिति
नीति रणनीति
औद्यानिक फसल प्रबन्धन
फसल विविधीकरण
पशुपालन एवं पशु नस्ल सुधार
वर्तमान स्थिति
नीति रणनीति
पशुधन विकास
पशु पोषण सुरक्षा
दुग्ध विकास
पोल्ट्री विकास
मत्स्य उत्पादन
वर्तमान स्थिति
नीति रणनीति
मशरूम उत्पादन
चाय उत्पादन
मधुमक्खी उत्पादन
रेशम कीट पालन
कृषि वानिकी
अध्याय–7 जैविक प्रदेश
परिकल्पना
वर्तमान स्थिति
नीति/रणनीति
प्राविधिकियों का सृजन एवं प्रसार
जैविक प्रमाणन तंत्र का विकास
विपणन नेटवर्क एवं तंत्र का विकास
उत्तराखण्ड की जैव सम्पदा का अभिलेखीकरण एवं संरक्षण
अल्पकालीन लक्ष्य
दीर्घकालीन लक्ष्य

अध्याय–8 अन्नपूर्णा प्रदेश

क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर नियोजन

रणनीतिक प्रबन्धन

दलहनी एवं तिलहनी फसलों का विकास एवं आपूर्ति

धान्य फसलों का विकास

कृषि यंत्रीकरण

फसल सुरक्षा

कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं सेवा प्रदाय व्यवस्था में सुधार

अध्याय–9 सहायक सेवायें

कृषि विपणन

नीति/रणनीति

प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन

अवस्थापना सुविधाओं का विकास

विपणन सम्बन्धी जानकारी का समुचित एवं सामयिक प्रसार

सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें

कृषि ऋण एवं सहकारी समितियां

अध्याय–10 मानव संसाधन विकास

कृषि शिक्षा

नीति/रणनीति

कृषि शोध

कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण

वर्तमान स्थिति

नीति/रणनीति

प्राक्कथन

विश्व के कुल कृषि क्षेत्र 153.35 मिलियन हेक्टेयर में से भारत की हिस्सेदारी 16.98 मिलियन हेक्टेयर की है, जो लगभग 11.07 प्रतिशत है। विश्व की कुल भूमि 1300.42 मिलियन हेक्टेयर में से भारत की हिस्सेदारी 29.73 मिलियन हेक्टेयर की है अर्थात् 2.29 प्रतिशत मात्र है। भारत की आबादी विश्व की आबादी का 1/7 अर्थात् 14.29 प्रतिशत है। खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा दोनों उद्देश्यों की पूर्ति बढ़ती आबादी के कारण अपेक्षाकृत अधिक कृषि भूमि की उपलब्धता के बाद भी संकटापन्न है। (आंकड़ों का स्रोत:–विश्व खाद्य संगठन की वेबसाईट (www.fao.org)

भारत की लगभग बासठ प्रतिशत आबादी आजीविका हेतु कृषि पर निर्भर है। भारतीय किसानों की गरीबी का सबसे बड़ा कारण कम उत्पादकता तथा उन्हें उपज का सही मूल्य न प्राप्त होना है। विश्व के कृषि प्रधान देशों की तुलना में भारत में विभिन्न फसलों की उत्पादकता अत्यंत कम है। देश की लगभग 40 प्रतिशत भूमि अकृषिक प्रकृति की है जिसका उपयोग कृषि से इतर प्रयोजनों अर्थात् औद्योगीकरण एवं नगरीकरण आदि के लिए किया जा सकता है। इन दोनों तथ्यों को नजरअंदाज कर उपजाऊ कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनों में उपयोग दूरदर्शितापूर्ण कार्य नहीं है। कृषि भूमि में Special Economic Zone (SEZ) स्थापित करना कदापि उचित नहीं है। यदि समय रहते कृषि भूमि का संरक्षण नहीं किया गया तो एक ओर हमारी खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा प्रभावित होगी एवं दूसरी ओर राष्ट्रीय सम्प्रभुता का भी संकुचन होना प्रारम्भ हो जायेगा।

कृषि भूमि एवं वनों के क्षरण से जलवायु में हो रहे निरन्तर परिवर्तनों के फलस्वरूप लोग अकाल, भुखमरी, महामारी तथा बाढ़ की चपेट में आ जायेंगे, जिसके परिणाम तीसरे विश्वयुद्ध से भी अधिक भयावह होंगे। प्राकृतिक संसाधनों की यह उपेक्षा भविष्य को संकट में डाल सकती है।

कृषि के Terms of Trade उद्योगों की अपेक्षा प्रारम्भ से ही प्रतिकूल रहे हैं। कृषि क्षेत्र को मिलने वाली रियायतें एवं किसानों को प्राप्त होने वाला फसल का मूल्य क्रमशः उद्योगों को मिलने वाली रियायतों एवं औद्योगिक उत्पादों से प्राप्त होने वाले मूल्यों की तुलना में नगण्य रहा है। कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके लिए कई नई रियायतें दी जानी होंगी तथा अधिक उत्पादकता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन भी दिया जाना अपेक्षित होगा। यह सामान्य अवधारणा है कि कृषि उत्पादों के मूल्य में बढ़ोत्तरी से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों तथा मजदूरों के पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी होती है जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती है तथा उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। इस अवधारणा को अभिनव नीतियों, व्यवस्थाओं एवं क्रियात्मक पहलों द्वारा हमें गलत सिद्ध करना है। हमारा यह प्रयास होगा कि कि कृषि व्यापार में बिचौलियों की संख्या में कमी

कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाया जाये एवं साथ ही उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत कम कीमत पर कृषि उत्पाद उपलब्ध हों। इससे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोत्तरी की अपेक्षा कमी आयेगी। इससे मुद्रास्फीति की आशंका निर्मूल सिद्ध होगी। यदि मजदूरों के पारिश्रमिक में बढ़ोत्तरी होगी तो उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ेगी। इस प्रकार उपभोक्ता सामग्री की मांग और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। मजदूरी की दर बढ़ने के बावजूद औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि से औद्योगिक क्षेत्र का लाभ अप्रभावित रहेगा। साथ ही ग्रामों में आजीविका सुरक्षा निश्चित करने से जहां एक ओर शहरों की ओर पलायन में कमी आयेगी वहीं दूसरी ओर शहरी विकास के लिए किये जाने वाले व्यय में भी कमी आयेगी। एक दूरगामी परिणाम यह होगा कि पूंजी का सृजन नगरों में केन्द्रित न रहकर ग्रामों में भी विकेन्द्रित होगा। आर्थिक शोषण में कमी इसके व्यापक प्रभाव के रूप में परिलक्षित होगी।

इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विशेष कृषि क्षेत्र (Special Agriculture Zone-SAZ) की परिकल्पना की गई है। इसका प्रयोजन समन्वित कृषि प्रणाली (Integrated Farming System-approach) अपनाना, कृषकों द्वारा स्थापित कृषि उत्पादों पर आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना एवं मध्यवर्तीविहीन कृषि विपणन व्यवस्था कायम करना है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी अपनाने वाले ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में राजकीय संसाधनों से विकसित किया जायेगा। इस क्षेत्र में यह ध्यान रखा जायेगा कि भूजल, विद्युत तथा भौतिक अवस्थापना कृषि केन्द्रित हो अर्थात् कृषकों की आवश्यकताएं पूर्ण होने के बाद अवशेष संसाधन ही औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के लिए उपलब्ध होंगे। Micro-Financing को बढ़ावा दिया जायेगा। इस प्रकार के प्रयास से न केवल हमारी दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी अर्थात् राज्य "अन्नपूर्णा प्रदेश" बनेगा, वरन् आर्थिक, सामाजिक तथा पारिस्थितिकी तंत्र के सुदृढ़ होने से आजीविका सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी जिससे हमारा उत्तराखण्ड आदर्श राज्य के रूप में उभरेगा।

हमारी पहचान "बीज प्रदेश (Seed State)" एवं जैव प्रदेश (Organic State)" के रूप में स्थापित है परन्तु इस दिशा में प्रगति हेतु अभी काफी कार्य किए जाने अपेक्षित हैं। उत्तराखण्ड में पर्वतीय कृषि की प्रकृति परम्परागत रूप से जैविक है। यहां कृषि के क्षेत्र में प्रभूत जैव–विविधता उपलब्ध है। इसके साथ ही भारत में पाई जाने वाली तटवर्ती एवं उष्ण मरूस्थलीय जलवायु को छोड़कर सभी प्रकार की जलवायु के क्षेत्र यहां उपलब्ध हैं। बीजोत्पादन में यह प्रदेश अग्रणी रहा है। हमारा प्रयास यह है कि सभी कृषि जलवायु परिस्थितियों के लिए बीजोत्पादन पर बल दिया जाये ताकि देश के सभी प्रदेशों को उन्नत किस्म के बीजों की आपूर्ति की जा सके। इससे एक ओर जहां देश में बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि होगी वहीं दूसरी ओर उत्तराखण्ड के बीज किसानों की आय में वृद्धि होगी।

गौमूत्र का उपयोग आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता है। इसलिये पशुपालकों के व्यवसायिक हितार्थ सरकार का प्रयास है कि दुग्ध संघों के माध्यम से गौमूत्र अर्क तैयार करके विक्रय किया जाय। उत्तराखण्ड भारतवर्ष का पहला राज्य है, जहां राज्य सरकार के प्रयास से दिनांक 17.01.2008 को राजकीय पशु प्रजनन फार्म, कालसी, देहरादून द्वारा उत्पादित गौमूत्र अर्क की आपूर्ति "पतंजलि योगपीठ हरिद्वार" को प्रारम्भ की गई है।

उत्तराखण्ड का देश के धार्मिक पर्यटन मानचित्र पर अन्यतम स्थान है। यहां प्रतिवर्ष राज्य की जनसंख्या के दोगुने से अधिक अनुमानतः दो करोड़ श्रद्धालु आते हैं। नैसर्गिक रूप से उत्पन्न वैविध्यपूर्ण कृषि उत्पादों से निर्मित पवित्रतम् प्रसाद एवं भोजन की उन्हें आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। यह "कृषकों की आय बढ़ाने" की दिशा में अभिनव रचनात्मक पहल होगी।

फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के लिए भूमि एवं जल संरक्षण तथा मृदा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए हम कृतसंकल्प हैं। इनके लिए भौतिक एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा आवश्यक मानव संसाधन का विकास किया जायेगा। कृषि तकनीकों के प्रसार के लिए राजकीय प्रसार कार्मियों के अतिरिक्त निजी हितबद्ध संस्थाओं एवं व्यक्तियों की सहायता ली जायेगी। इसके लिए अनुकूल नीतियां एवं वातावरण सृजित किया जायेगा। इसके साथ ही कृषि प्रसार के लिए e-Governance पर बल दिया जायेगा। हमारा उद्देश्य यह होगा कि कृषि के क्षेत्र में उत्तराखण्ड "ज्ञान प्रदेश (Knowledge State)" के रूप में भी अभिज्ञानित हो।

कृषकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु क्षेत्र विशेष के उत्पाद विशेष पर आधारित प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन सुविधा सुलभ कराते हुए विपणन तंत्र को सुदृढ़ किया जायेगा।

महिलायें पर्वतीय कृषि की मूलाधार हैं। उनके स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय संस्थानों द्वारा आसान किश्तों में कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

हमारे प्रयासों का केन्द्रबिन्दु कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों को स्वरोजगार हेतु आकर्षक बनाना एवं इसमें निहित सांस्कृतिक विरासत एवं चेतना की सुरक्षा एवं संरक्षा करना है। इससे प्रदेश की सभ्यता एवं संस्कृति उत्तरोत्तर समृद्धि की ओर अग्रसर होगी।

(त्रिवेन्द्र सिंह रावत)
कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि विपणन,
पशुपालन, उद्यान, दुग्ध विकास
एवं मत्स्य पालन मंत्री
उत्तराखण्ड

अध्याय–1 वर्तमान स्थिति एवं प्राथमिकतायें

वर्तमान स्थिति

उत्तराखण्ड के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 56,725 वर्ग कि0मी0 का 34,858 वर्ग कि0मी0 (61,45 प्रतिशत) वन आच्छादित है एवं केवल 7,537 वर्ग कि0मी0 (13,29 प्रतिशत) भूमि कृषिक है। कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। वर्तमान में प्रदेश अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भौगोलिक परिस्थितियों में भिन्नताओं के कारण कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में व्यापक क्षेत्रीय विषमतायें हैं। पर्वतीय भू–भाग में खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा एवं आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य के समतामूलक विकास के लिए अनिवार्य है।

उत्तराखण्ड कृषि जलवायुगत पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से निर्धारित जोन नम्बर 9 तथा जोन नम्बर 14 के अन्तर्गत है। जनपद ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार के पूर्ण भाग एवं जनपद नैनीताल तथा देहरादून के आंशिक भाग मैदानी तराई क्षेत्र हैं। देहरादून एवं नैनीताल जनपद के आंशिक भाग भाबर क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त राज्य का शेष अंश पर्वतीय क्षेत्र है। प्रदेश समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से हिमाच्छादित उत्तुंग पर्वतमालाओं तक विस्तीर्ण है। इस कारण केवल समुद्रतटीय जलवायु एवं ऊष्ण मरूस्थलीय जलवायु के स्थानों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की जलवायुगत विविधता प्रदेश में विद्यमान है। इसके फलस्वरूप प्रदेश भिन्न–भिन्न कृषि पारिस्थितिकीय दशाओं के सापेक्ष प्रभूत कृषिक विविधता से परिपूर्ण है। प्रदेश को कृषि जलवायिक दृष्टि से समुद्र तल से ऊँचाई के आधार पर निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:–

क्र0सं0	क्षेत्र	कृषिक विविधता
1.	तराई एवं भाबर क्षेत्र (1000 मीटर तक)	चावल, गेहूँ, गन्ना, मक्का, आम, लीची, दालें, तिलहन, सोयाबीन
2.	निम्न हिमालयी क्षेत्र (1000 से 1500 मीटर तक)	चावल, गेहूँ मोटे अनाज, दालें, सम शीतोष्ण फल, फूल एवं सब्जियाँ
3.	मध्य हिमालयी क्षेत्र (1500 से 2400 मीटर तक)	रामदाना, कुट्टू, राजमा, आलू, जौ, मसाले तथा सगन्ध पादप, शीत जलवायु के फल, फूल एवं सब्जियाँ
4.	उच्च हिमालयी/एल्पाइन क्षेत्र (2400 मीटर से अधिक)	औषधीय एवं सगन्ध पादप, आलू, चारागाह, शुष्क फल

इन पृथक वर्गीकृत क्षेत्रों के अन्तर्गत भी स्थान विशेष की समुद्र तल से ऊँचाई, ढाल की दिशा तथा हिमशिखरों की श्रृंखला से दूरी के कारण जलवायु में विशद् भिन्नतायें हैं। इनमें समुद्रतल से स्थान विशेष की ऊँचाई मुख्य है। ऊँचे स्थान अधिक ठण्डे होते हैं। इसी प्रकार उत्तरमुखी ढाल दूसरे ढालों की अपेक्षाकृत अधिक ठण्डी एवं आर्द्र होती है।

हिमशिखरों के समीपस्थ स्थानों में अपेक्षाकृत अधिक ठन्ड पड़ती है। जलवायु की भिन्नता के फलस्वरूप उष्ण, समशीतोष्ण एवं शीत कटिबन्धीय तीनों प्रकार के फलों की खेती सम्भव है।

पर्वतीय भूमि की उर्वरता अल्प जल एवं पोषक तत्व धारण क्षमता एवं तीव्र भूमि क्षरण के कारण कम है। अधिकांश भू–भाग वर्षा पर निर्भर होने के कारण मौसम में परिवर्तन के प्रति अतिसंवेदनशील है। पर्वतीय भू–भाग में कुल कृषिक भूमि का मात्र 10,62 प्रतिशत ही सिंचित है।

मैदानी भूमि की उर्वरता पर्वतीय भूमि की अपेक्षा काफी अधिक है परन्तु रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशी रसायनों के असंतुलित एवं अवैज्ञानिक प्रयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति तथा मृदा में कार्बन की लगातार कमी हो रही है जिसका कु–प्रभाव उत्पादकता तथा उत्पादन की लागत पर पड़ रहा है।

पर्वतीय तथा मैदानी कृषि की भिन्नताएँ निम्नलिखित तालिका में वर्णित हैं:–

मैदानी कृषि	पर्वतीय कृषि
मुख्यतः व्यवसायिक	जीवन निर्वाह का साधन
एक मौसम में मुख्यतः एक फसल	एक मौसम में ही मिश्रित फसलें
एकीकृत जोतें (चकबन्दी क्षेत्र)	छोटी एवं बिखरी जोतें
सिंचित भूमि का प्रतिशत–91.93 प्रतिशत	सिंचित भूमि का प्रतिशत–10.62 प्रतिशत
बीज प्रतिस्थापन दर 20–25 प्रतिशत रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 150–200 किलोग्राम/है0/वर्ष	बीज प्रतिस्थापन दर 4–5 प्रतिशत रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 5–7 किलोग्राम/है0/वर्ष
मुख्य फसलों की औसत उत्पादकता–	मुख्य फसलों की औसत उत्पादकता–
चावल–23.23 कुन्टल/है0 गेहूँ–33.22 कुन्टल/है0	चावल–12.95 कुन्टल/है0 गेहूँ–11.42 कुन्टल/है0 रागी–13.31 कुन्टल/है0 सांवा–12.94 कुन्टल/है0
नीति एवं क्रियान्वयन का केन्द्र बिन्दु– दीर्घकालिक अनुकूलतम लाभ अर्जन	नीति एवं क्रियान्वयन का केन्द्र बिन्दु दीर्घकालिक खाद्य, पोषण एवं आजीविका सुरक्षा

योजनाओं के अपेक्षित तत्व–	योजनाओं के अपेक्षित तत्व–
1. कृषि फार्म स्तर पर अधिकतम मूल्य संवर्धन	1. भूमि, जल एवं कृषिक विविधता संरक्षण।
2. मृदा स्वास्थ्य संवर्धन	2. उचित बीजों एवं रोपण सामग्री का अभिज्ञान तथा उत्पादन
3. गुणवत्ता एवं विपणन साक्षरता का प्रचार प्रसार	3. मिश्रित कृषि के लाभप्रद माडल का विकास।
4. कृषि प्रौद्योगिकी एवं कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन	4. जैविक कृषि का प्रचार–प्रसार
	5. स्थानीय फसलों/औषधीय पादपों एवं फलों के समुचित विपणन से अधिकतम लाभ अर्जन।

उत्तराखण्ड की कृषि का विश्लेषण निम्नवत् है:–

अन्तर्निहित क्षमतायें:

1. भौगोलिक एवं जलवायुगत विविधताओं के कारण प्रभूत कृषिक एवं वानस्पतिक विविधतायें विद्यमान हैं। इस कारण सभी प्रकार की फसलें (बहुसंख्य प्रजातियों सहित) लगायी जा सकती हैं।
2. औद्यानिकी के क्षेत्र में विविधतापूर्ण विकास की असीम सम्भावनायें वर्तमान हैं। मौसमी एवं गैर–मौसमी सब्जियों के अतिरिक्त चाय, रेशम, औषधि एवं सगन्ध पादप, मशरूम की खेती तथा मौन पालन वृहत् रूप में सम्भव है।
3. राज्य के पर्वतीय अंश में परम्परागत कृषि पद्धतियों के कारण प्राकृतिक एवं जैविक संसाधनों का क्षरण अपेक्षाकृत कम हुआ है।
4. तराई एवं भावर के क्षेत्रों में अत्यंत उपजाऊ मृदा तथा सिंचाई के संसाधन मौजूद हैं। यहाँ कृषि अत्यंत विकसित है। सही दिशा में अल्प प्रयास से उत्पादकता में आशातीत वृद्धि हो सकती है। बासमती चावल की देश एवं विदेश के बाजारों में काफी मांग है।
5. प्रदेश में नदियों एवं नालों की कुल लम्बाई लगभग 2800 कि0मी0 है। इसमें से 600 कि0मी0 लम्बाई में मत्स्य पालन सम्भव है। लगभग 25 हजार हैक्टेयर क्षेत्र वृहत् जलाशयों से आच्छादित है। इनका समुचित विकास करने पर प्रदेश उत्तर भारत के कई राज्यों की मत्स्य मांग की आपूर्ति करने में सक्षम होगा।

6. कृषि शिक्षा एवं शोध के दृष्टिकोण से राज्य अत्यंत सुविधासम्पन्न है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय–पंतनगर विश्वविद्यालय जनपद ऊधमसिंह नगर में अवस्थित है। इसे हरित क्रान्ति की जननी होने का गौरव प्राप्त है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून तथा विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा जैसी स्तरीय संस्थायें मौजूद हैं। प्रत्येक जनपद में एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित हैं। औद्यानिकी एवं वानिकी के क्षेत्र में शोध एवं प्रसार की महत्ता के दृष्टिगत वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार पौड़ी की स्थापना की गई है जिसका एक परिसर रानीचौरी, टिहरी में अवस्थापित है।

अक्षमतायें:–

1. कृषि पारिस्थितिकीय नियोजन एवं प्रबन्धन का अभाव।
2. भंगुर पारिस्थितिकी।
3. तीव्र गति से मृदा क्षरण।
4. छोटी एवं बिखरी जोतें। इस कारण अवस्थापना सुविधाओं में निजी निवेश का अभाव।
5. सिंचाई सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की वर्षा पर निर्भरता।
6. भौतिक अवस्थापना सुविधाओं का अभाव।
7. उत्पादों के भण्डारण, छँटाई, वर्गीकरण, प्रसंस्करण एवं विपणन (उत्तर फसल प्रबन्धन) से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं का अभाव, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में।
8. विपणन हेतु संस्थागत सुविधाओं एवं संस्थाओं का अभाव जिस कारण उत्पादकों को फसलों का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है मध्यवर्तियों द्वारा कृषकों का शोषण।
9. समयबद्ध एवं पर्याप्त कृषि निवेश वितरण तथा समसामायिक कृषि तकनीकों के प्रसार तंत्र की अपर्याप्तता।
10. वन्य जीवों विशेषकर बन्दरों, सूअरों, नीलगायों एवं हाथियों से फसलों को अत्यधिक हानि होती है। वन क्षेत्रों में सुदृढ़ वन्य जीव वास प्रबन्धन के अभावों के कारण वन्य जीव फसलों की ओर आकर्षित होते हैं।
11. सामाजिक एवं आर्थिक विषमतायें। वर्तमान परिदृश्य में पर्वतीय क्षेत्रों में कृषिकार्य मात्र कृषकों को आजीविका सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है।

अवसर:–

1. विभिन्न फसलों की वर्तमान उत्पादकता कम है। गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों एवं नई तकनीकों के प्रयोग से इसमें काफी वृद्धि सम्भव है।

2. प्रदेश में पर्याप्त वर्षा होती है। समुचित जलागम प्रबन्धन एवं वर्षा जल संभरण से वर्तमान में लगभग 70 प्रतिशत असिंचित भूमि में लगभग आधे अंश में निश्चित सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकती हैं। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जलाशय निर्मित करने पर गुरूत्व पर आधारित सिंचाई परियोजनायें अत्यंत कम आवर्तक व्यय से संचालित हो सकती हैं।

3. असिंचित क्षेत्रों में दलहनी एवं तिलहनी फसलों की विकसित कृषि की जा सकती है। वर्तमान में उत्तराखण्ड दलहनी एवं तिलहनी फसलों में आत्मनिर्भर नहीं है परन्तु इनके समुचित विकास से उत्तराखण्ड दूसरे राज्यों की मांग की आपूर्ति करने में भी समर्थ होगा।

4. फसल चक्र प्रबन्धन तथा विविधीकृत कृषि द्वारा कृषकों की आय–वृद्धि की असीम सम्भावनायें हैं। इस हेतु संविदा कृषि को बढ़ावा देने की आवश्यकता होगी ताकि बाह्य निजी निवेश अवस्थापना एवं विपणन हेतु आकर्षित हो सकें।

5. अधिक मूल्य की फसलों जैसे: बे–मौसमी सब्जियों, यूरोपियन सब्जियों, विभिन्न प्रकार के फलों की खेती सम्भव है जिनमें उत्पादन कम होने पर भी कृषक को लागत के सापेक्ष अधिक कीमत प्राप्त होती है।

6. पर्याप्त पोषण सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाले मोटे अनाजों जैसे: मंडुवा, कोदो, रागी, रामदाना, कुट्टू, झंगोरा, कौणी, गहत आदि की सम्पन्न तबके के लोगों में तथा विदेशों में मांग बढ़ रही है। इनके स्थानीय स्तर पर ही प्रसंस्करण एवं बेहतर विपणन सुविधाओं का विकास कर कृषकों को अधिक मूल्य दिलाया जा सकता है। इनसे कृषिक विविधता की सुरक्षा के साथ–साथ कृषकों की आमदनी भी बढ़ेगी।

7. एकीकृत पोषण एवं कीटनाशी प्रबन्धन, जीरो–टीलेज, सरफेस सीडिंग आदि तकनीकों का प्रसार कर अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता सुनिश्चित की जा सकती है।

8. प्रदेश में प्रतिवर्ष 650 लाख टन बायोमास वनों से उपलब्ध होता है। इससे कम्पोस्ट खाद बनायी जा सकती है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों के रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों से अछूते रहने के कारण जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैविक उत्पादों का काफी अधिक मूल्य देश एवं विदेशों में प्राप्त होता है। कम्पोस्ट खाद दूसरे प्रदेशों को अपनी जरूरतों की पूर्ति के पश्चात निर्यात भी की जा सकती है।

9. उत्तराखण्ड को कृषि के क्षेत्र में बीज प्रदेश, जैविक प्रदेश एवं ज्ञान प्रदेश का गौरव प्राप्त हो सकता है।

10. पशुपालन एवं मत्स्य पालन को एकीकृत कृषि का अभिन्न अंग बनाते हुए आय तथा रोजगार का अधिकाधिक सृजन किया जा सकता है।

आशंकायें:–

1. बढ़ती जनसंख्या एवं कृषि भूमि की घटती उपलब्धता के कारण कृषि उत्पादन पर दबाव बढ़ रहा है। इस कारण एक फसली कृषि तथा रसायनों एवं कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ सकता है जिससे दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में खाद्य सुरक्षा पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

2. बाजार पर आधारित कृषि से जैव–विविधता नष्ट हो सकती है तथा दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षा निश्चित नहीं की जा सकती है।

3. मृदा कार्बन का स्तर मैदानी क्षेत्रों में तेजी से घट रहा है। इस कारण मृदा स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा है।

4. नकदी फसलों के क्षेत्र में वृद्धि से खाद्य सुरक्षा फसलों के क्षेत्रों में कमी हो सकती है।

5. पृथ्वी के लगातार बढ़ते तापमान के कारण जलवायु चक्र में परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की पारिस्थितिकी अत्यंत भंगुर है। जलवायु चक्र में सूक्ष्म परिवर्तन भी कृषि उत्पादन को काफी हद तक प्रभावित करेंगे। यदि ऐसी फसल प्रजातियों का, जो जैविक और अजैविक तनावों को सहने में सक्षम है, का विकास समय रहते नहीं किया गया तो भविष्य में अत्यंत दुरूह समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

प्राथमिकताएं:–

खाद्य एवं पोषण सुरक्षा

खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हेतु निम्न प्रयास किये जायेंगे:

क. मैदानी क्षेत्रों में मृदा स्वास्थ्य सुधार तथा पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा एवं नमी संरक्षण तथा वर्षा जल संभरण।

ख. लघु एवं सीमान्त कृषकों के लाभ के लिए जैविक विधि के अन्तर्गत फार्मिंग सिस्टम एप्रोच पर आधारित फार्म इकोनोमिक मॉडलों का विकास तथा इनका प्रसार। बाजार मांग पर आधारित कृषि विविधीकरण इसका एक मुख्य अंग होगा।

ग. सिंचाई एवं जल प्रबन्धन। इस हेतु सृजित सुविधाओं का बेहतर रख–रखाव एवं नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा।

घ. फसल उत्पादन से सम्बंधित समस्याओं का अभिज्ञान एवं उनके निवारण हेतु कृषि शोध, कृषि शिक्षा एवं कृषि प्रसार तंत्र में सुधार।

च. बीज एवं पौध रोपण सामग्री के उत्पादन, मानक–निर्धारण, गुणवत्ता एवं विपणन तथा वितरण पर विशेष बल दिया जायेगा।

छ. पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबंदी/सामूहिक कृषि/संविदा कृषि को प्रोत्साहन।

ञ. जलागम आधारित भूमि एवं जल प्रबन्धन करते हुए कृषि, वानिकी, औद्यानिकी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन के विकास हेतु क्षेत्रगत विशेषताओं के सापेक्ष दीर्घकालीन क्षेत्रीय नियोजन तथा क्रियान्वयन।

झ. शासकीय तथा निजी साधनों के अनुकूलतम उपयोग द्वारा बहुआयामी कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रसार। प्रत्येक वर्ष न्याय पंचायत स्तर पर रबी एवं खरीफ मौसमों के प्रारम्भ से पूर्व कृषक महोत्सव आयोजित कर कृषि निवेश वितरण तथा कृषि सम्बन्धि सेवाएँ निकटस्थ स्थानों पर उपलब्ध करायी जायेंगी कृषक महोत्सव को कृषि प्रसार का सशक्त माध्यम बनाया जायेगा।

कृषकों की आर्थिक सुरक्षाः–

कृषकों को आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराने हेतु निम्न प्रयास किये जायेंगेः–

क. फसलों की उत्पादन लागत में यंत्रीकरण, अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर तथा बेहतर निवेश एवं तकनीक द्वारा कमी लाई जायेगी तथा किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

ख. प्रदेश में विशेष कृषि क्षेत्रों की स्थापना एवं कृषि/कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन।

ग. कृषि विपणन में नीतिगत एवं संस्थागत सुधार। निजी प्रयासों को प्रोत्साहन।

घ. कृषकों में इलैक्ट्रोनिक साक्षरता, फसल गुणवत्ता साक्षरता तथा विपणन साक्षरता का विकास।

च फसल एवं फसलोत्तर प्रबन्धन हेतु आधारभूत सुविधाओं जैसे कृषि ऋण, फसल बीमा, विपणन केन्द्र, भण्डारण एवं संग्रह केन्द, शीत गृह, दुग्ध एवं मत्स्य ग्रिड, कूलचेन, खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं आदि का विस्तार एवं प्रबन्धन किया जायेगा। प्रत्येक विकासखण्ड मुख्यालय पर कृषक सूचना एवं परामर्श केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

छ. मोटे अनाजों, दलहन/तिलहन, औषधीय एवं सगंध पादपों, बे–मौसमी तथा यूरोपीय सब्जियों, मशरूम, शीत जल मात्स्यिकी, दुग्ध प्रसंस्कृत उत्पादों को विशेष प्रोत्साहन। पर्वतीय कृषि उत्पादों से निर्मित उत्पादों जैसेः– प्रसाद, स्वास्थ्यकर खाद्य सामग्रियों, औषधियों आदि का विशेष प्रसार किया जायेगा। प्रसाद तथा निरामिष भोजन का धार्मिक पर्यटकों के मध्य विशद् प्रचार–प्रसार किया जायेगा। इससे कृषकों को प्रतिवर्ष 400 करोड़ रूपये की अतिरिक्त आय हो सकती है।

ज. महिलाओं एवं बेरोजगार युवकों को कृषि/कृषि पर आधारित उद्योग/कृषि पर्यटन आदि में स्वरोजगार हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना। कृषि व्यवसाय को महिलाओं के प्रबन्धन एवं भागीदारी के अनुसार विकसित किया जायेगा।

झ. अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्देशीय बाजारों के अनुरूप कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही परम्परागत उत्पादों को इन बाजारों में पहचान दिलाने का प्रयास किया जायेगा।

ट. फसल उत्पादन, कृषि प्रसार एवं विपणन में निजी क्षेत्र को सहयोग के लिए आकर्षित करने हेतु उपयुक्त वैधानिक सुधार किये जायेंगे तथा पब्लिक प्राईवेट पार्टिसिपेशन (PPP) विधा में योजनाओं एवं सुविधाओं के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

टिकाऊ खेती, जैव विविधता संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा:--

क. पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हुए कृषि उत्पादन में टिकाऊपन सुनिश्चित किया जायेगा।

ख. जैवविविधता को संरक्षित करने हेतु स्थापित जनन द्रव्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। कृषिक जैव विविधता का वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हुए इनके संरक्षण तथा बायो पाइरेसी को रोकने की व्यवस्था की जायेगी।

ग. पर्वतीय असिंचित कृषि क्षेत्रों को वर्ष 2020 तक पूर्ण रूप से जैविक कृषि से आच्छादित किया जायेगा तथा इन क्षेत्रों में औद्यानिकी को बढ़ावा दिया जायेगा।

कृषि शिक्षा एवं शोध:--

क. बारानी कृषि हाइड्रोपोनिक्स Genomics and Transgenics, पुष्प कृषि, मात्स्यिकी, कृषि आर्थिकी, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन फसलोत्तर प्राविधिकी एवं फार्म आर्थिक मॉडल के विकास के लिए बहुविषीय कृषि में शोध एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

ख. सुदूर शिक्षा पद्धति एवं पारम्परिक शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत अल्पावधि पाठ्यक्रमों का संचालन किया जायेगा जिससे कृषकों, कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों तथा कृषि निवेश विक्रेताओं तथा कृषि व्यवसाय प्रबन्धकों को अधुनातन प्राविधिकी का सामयिक ज्ञान हो सके।

ग. पं0 गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय के अन्तर्गत पाठ्यचर्या विकास प्रकोष्ठ तथा पाठ्य सामग्री विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।

घ. प्रदेश में औद्यानिकी एवं वानिकी के विकास के लिए एक पृथक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

च. कृषि एवं ग्राम्य विकास के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित तकनीकों के विकास में सम्पूर्ण देश में शीर्ष स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

छ. परम्परागत तकनीकी ज्ञान के संरक्षण एवं स्थानीय कृषि में इसके उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

अध्याय–2

भूमि प्रबन्धन

वर्तमान स्थिति

उत्तराखण्ड को भौगोलिक एवं प्रतिवेदित क्षेत्रफल क्रमशः 53.48 लाख है0 एवं 56.72 लाख है0 है। इसका भिन्न प्रयोजनों में वर्ष, 2008–09 का भूमि प्रयोग तथा प्रतिवेदित क्षेत्रफल से प्रतिशत निम्नलिखित तालिका एवं चित्र में द्रष्टव्य है:–

भूमि उपयोग	क्षेत्रफल है0 में	प्रतिशत
वन	3485847	61.45
कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लाई जा रही भूमि	216534	3.82
कृषि अयोग्य बंजर भूमि	224480	3.96
चारागाह एवं अन्य चराई की भूमि	198737	3.50
विविध वृक्षों, शस्यों और उपवनों के अन्तर्गत भूमि	383987	6.77
कृषि योग्य बंजर भूमि	303144	5.34
अन्य परती	70967	1.25
वर्तमान परती	35161	0.62
बोया गया वास्तविक क्षेत्र	753711	13.29

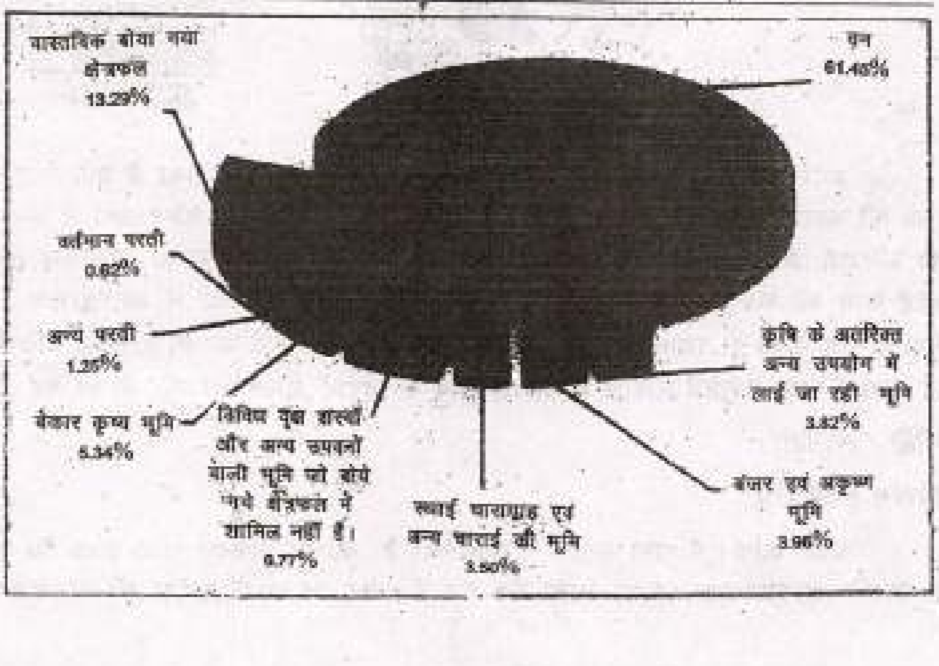

प्रदेश के अस्तित्व में आने के उपरान्त मैदानी क्षेत्रों में प्रतिवर्ष औसतन 2000 है० कृषि भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोग में स्थानान्तरित हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में परती भूमि में वृद्धि हो रही है।

प्रदेश की कृषि भूमि का 88 प्रतिशत भू–क्षरण से प्रभावित है। इसमें मृदा क्षरण की दर 4 टन/है०/वर्ष से अधिक है। कृषि भूमि का 35 प्रतिशत अतिशय भू–क्षरण से प्रभावित है जहाँ मृदा–क्षरण की दर 40 टन/है०/वर्ष है।

प्रदेश में 26 वृहद जलागम हैं जिनके अन्तर्गत 1140 सूक्ष्म जलागम हैं। इनमें से 204 सूक्ष्म जलागम हिमाच्छादित हैं। उत्तराखण्ड का जनपदवार मृदा उर्वरता मानचित्र निम्नवत् है :–

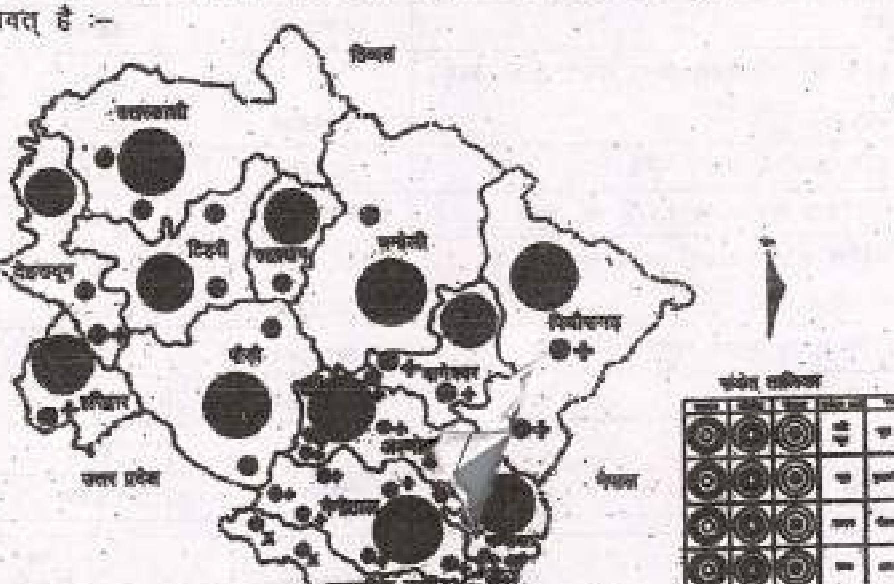

प्रदेश की मृदा में जहां पोटाशियम तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वहीं नत्रजन तत्व की सामान्य कमी है एवं फासफोरस तत्व की अत्यधिक कमी है। सूक्ष्म तत्वों में क्रमशः 40 प्रतिशत, 20 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत भूभाग में जस्ता/गन्धक, ताम्बा/मैगनीज तथा लौह तत्व की कमी है। बोरोन तथा मोलिब्लेडम तत्व फल पट्टियों में अत्यंत कम है। मैदानी भाग में 60 के दशक की तुलना में जैव कार्बन 2 प्रतिशत से घटकर 0.5–1.0 प्रतिशत हो गया है तथा पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश भाग की मृदाऐं अम्लीय प्रकृति की हो गई हैं।

नीति/रणनीति

विशेष कृषि क्षेत्र

प्रदेश वर्तमान में धान्य फसलों में आत्मनिर्भर है। वर्तमान उत्पादन 17.53 लाख मै० टन है जबकि आवश्यकता 15.23 लाख मै० टन है। सन् 2020 में प्रदेश की जनसंख्या

लगभग 111.29 लाख होगी जिसके लिए 18.85 लाख मै0 टन धान्य फसल उत्पादन की आवश्यकता होगी। दलहन/तिलहन फसलों में वर्तमान में आवश्यकता 3.11/3.33 लाख मी0टन है जबकि उत्पादन 0.42/0.32 लाख मै0 टन मात्र है। सन् 2020 में इनकी आवश्यकता बढ़कर 3.48/3.73 लाख मै0 टन हो जायेगी। अतः यह अनिवार्य होगा कि कृषि भूमि का अन्य प्रयोजनों के लिए स्थानान्तरण न्यूनतम हो तथा प्रत्येक फसल की उत्पादकता में वृद्धि के लिए युद्धस्तर पर प्रयास किये जायें। इस स्थिति के दृष्टिगत अभिज्ञानित क्षेत्रों को विशिष्ट कृषि क्षेत्र (साज) (Special Agriculture Zone-SAZ) का दर्जा दिया जायेगा। इसके चयन के मानक वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत निर्धारित भूमि उपयोग के अनुसार तय किये जायेंगे। विशिष्ट कृषि क्षेत्र का अभिप्राय निम्नलिखित होगा :–

- इन क्षेत्रों में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।
- इन क्षेत्रों में कृषि के प्रयोजन के लिए 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।
- इन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि एवं जल संरक्षण/जल संभरण तथा लघु सिंचाई योजनाओं से संतृप्त किया जायेगा तथा एक बार निःशुल्क समस्त कृषिक भूमि का मृदा परीक्षण कराया जायेगा।
- इन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर मण्डियां, संग्रह केन्द्र तथा प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे तथा पर्वतीय प्रजातियों के बीजोत्पादन पर विशेष बल दिया जायेगा।
- इन क्षेत्रों को कृषि यंत्रों तथा अन्य आवर्ती/अनावर्ती निवेशों से संतृप्त किया जायेगा तथा प्रत्येक कृषक परिवार के एक सदस्य को प्रशिक्षित किया जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी

- स्वैच्छिक चकबन्दी की इकाई उस ग्रामसभा के अधीन आने वाले समस्त राजस्व ग्राम लिए जायेंगे जिसकी ग्रामसभा की बैठक में सर्वसम्मति से इस आशय का संकल्प पारित हुआ हो। ऐसी ग्राम सभा को विशेष कृषि क्षेत्र का दर्जा दिया जायेगा।
- ऐसी इकाईयों में चकबन्दी की उद्घोषणा के पश्चात् तीन वर्ष की समाप्ति के पूर्व यदि ग्रामसभा का कोई निवासी अपने स्वामित्व की भूमि के आसन्न कोई भूमि क्रय करता है तो ऐसे क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी पर पूर्ण छूट दी जायेगी।
- प्रत्येक खाते की कुल भूमि में से 2 प्रतिशत भूमि की कटौती कर इसे सामुदायिक प्रयोजनों के लिए आरक्षित किया जायेगा। सामुदायिक भूमि का चयन जल संरक्षण, वर्षा जल संभरण एवं सिंचाई सुविधाओं के दृष्टिकोण से प्रथम प्राथमिकता पर किया जायेगा। द्वितीय प्राथमिकता में सम्पर्क मार्ग तथा सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं का सृजन आयेगा।

- ऐसी ग्राम सभाओं का भौगोलिक, भौमिक, भू–वैज्ञानिक तथा हाइड्रोग्राफिक दृष्टिकोण से तथा आर्थिक/सामाजिक अवस्थापना सृजन के दृष्टिकोण से विस्तृत सर्वेक्षण किया जायेगा तथा 10 वर्षीय दीर्घकालीन योजना निर्मित की जायेगी जिसमें सभी परियोजनायें एवं आगणन सन्निहित होंगे। ऐसी योजना का निर्माण जलागम निदेशालय द्वारा ख्यातिप्राप्त संस्थाओं एवं विशेषज्ञों की सेवायें लेकर किया जायेगा। इस दीर्घकालिक योजना के दो भाग होंगे : क–Core Plan जो प्रमुख भौतिक एवं आर्थिक अवस्थापना विकास से सम्बन्धित होगा एवं ख–Peripheral Plan जो अन्य अवस्थापना विकास से सम्बन्धित होगा। Core Plan को स्वैच्छिक चकबन्दी की घोषणा किये जाने की तिथि से 3 वर्ष के अन्तर्गत मूर्तरूप दिया जायेगा। Core Plan की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेंगे। Core Plan के वित्त पोषण के लिए न्यूनतम मानक रु0 15 हजार प्रति है0 कृषि भूमि होगा। जल संरक्षण, वर्षा जल संभरण, सिंचाई सुविधाओं का विकास, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का विकास, ग्रामीण सड़क एवं पगडण्डियां एवं कुटीर उद्योग प्रक्षेत्र Core Plan के अनिवार्य घटक होंगे।
- स्वैच्छिक चकबन्दी के लिए अस्थाई आधार पर विभिन्न विभागों से कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर लेकर आवश्यकतानुसार एकक या एककों के रूप में गठित किये जायेंगे।

जलागम विकास

- जलागम निदेशालय द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रसारित *जलागम विकास परियोजनाओं के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008* के अनुरूप ही सभी जलागम एवं भूमि तथा जल विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किये जायेंगे।
- अभिज्ञानित सूक्ष्म जलागमों के विकास के लिए पर Remote Sensing and Geographic Information System पर आधारित विस्तृत सर्वेक्षण किया जायेगा एवं सूक्ष्म जलागमों के विकास हेतु विस्तृत योजनायें निर्मित की जायेंगी।
- सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में जहाँ वन भूमि एवं कृषि भूमि मिलती है ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों (Fringe Areas) के लिए सहभागिता के आधार पर विशेष योजनायें क्रियान्वित की जायेंगी जिसमें जैव–अवशिष्ट (Biomass) से जैव उर्वरक निर्माण, चीड के पत्तों से ब्रिकेट का निर्माण तथा मसालों, संगध एवं औषधीय पादपों का कृषिकरण, कृषि वानिकी, आसन्न वन क्षेत्रों में शाकाहारी वन्य जीवों के लिए वासस्थल प्रबन्धन एवं लघु वनोपज आधारित कुटीर उद्योग/आजीविका संवर्धन गतिविधियां आदि सम्मिलित होंगी। इन योजनाओं का नियोजन एवं क्रियान्वयन जलागम निदेशालय द्वारा उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद् के सहयोग से किया जायेगा।

मृदा स्वास्थ्य सुधार

- प्रदेश के समस्त किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा तथा मृदा परीक्षण परिणामों के अनुरूप जैविक खाद तथा रासायनिक उर्वरकों (केवल मैदानी क्षेत्र के लिए) के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित किया जायेगा।
- मैदानी क्षेत्र में हरी खाद तथा पर्वतीय क्षेत्र में जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- बंजर तथा अनुपयोगी भूमियों पर बहुवार्षिक दलहली फसलों की कृषि को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- रासायनिक उर्वरकों एवं जैविक खाद/वर्मीकम्पोस्ट आदि को 35 से 45 से0मी0 की गहराई तक डालने की तकनीकी का प्रचार-प्रसार जिससे इन तत्वों का न्यूनतम ह्रास हो, जड़ों का अपेक्षित विकास हो एवं जड़ों के निकट जीवाणु संक्रिया को बढ़ाया जा सके।
- प्रदेश में Public Private Participation (PPP) के आधार पर उच्च तकनीक युक्त एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला तथा प्रत्येक जनपद में एक सचल मृदा एवं उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला की व्यवस्था की जायेगी। विभागों के अन्तर्गत पूर्व से स्थापित प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
- मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता की बेहतरी एवं कृषि को टिकाऊ एवं पर्यावरण सम्मत रखने के दृष्टिकोण से सर्वमान्य तकनीक *"एकीकृत पादप पोषक प्रबन्धन"* पर विशेष बल दिया जायेगा।
- पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता हेतु विभिन्न स्रोतों यथा फसल चक्रों में दलहनी फसलों का समावेश, हरी खाद का प्रयोग, फसल अवशेषों का उपयोग, जीवांश/कार्बनिक खाद, वर्मी कम्पोस्ट, जैव उर्वरकों, माइकोराइजा, ब्लू ग्रीन एल्गी, रासायनिक उर्वरकों (मुख्य, द्वितीयक एवं सूक्ष्म तत्व) के एकीकृत प्रयोग हेतु कृषक जागरूकता अभियान के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
- पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकतर भूमि में अम्लीयता का स्तर अधिक है। अम्लीयता के सुधार हेतु उचित उपाय किये जायेंगे।
- फसल सघनता का स्तर विभिन्न जलवायु पारिस्थितिकीय स्थिति के अनुसार Biotic तथा Abiotic Stresses को ध्यान में रखकर निश्चित किया जायेगा।

भूमि उपयोग

- सकल भूमि उपयोग को उपयुक्तता एवं आवश्यकता के आधार पर नियंत्रित करने के लिए पृथक से सम्यक विचारोपरान्त अधिनियम एवं संगत नियमावली एवं विनियम प्रख्यापित एवं अधिसूचित किये जायेंगे। इस हेतु उपग्रह से प्राप्त चित्रों का विश्लेषण कर विस्तृत विवरणिका (Inventory) निर्मित की जायेगी।
- प्रदेश में भूमि उपयोग को नियंत्रित करने के लिए भूमि उपयोग परिषद् की स्थापना की जायेगी।

अध्याय–3

सिंचाई एवं जल प्रबन्धन

वर्तमान स्थिति

उत्तराखण्ड देश के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र गंगा–यमुना के अन्तर्वेदी क्षेत्र (दोआब) की प्रमुख नदियों का उद्‌गम स्थल है, लेकिन भौगोलिक कारणों से प्रदेश में सिंचाई सुविधा केवल 45.13 प्रतिशत कृषि भूमि में ही उपलब्ध है। उत्तर भारत की अनेक नदियों का उद्‌गम स्थल होने के अलावा उत्तराखण्ड में छोटे–बड़े कुल 238 हिमनद हैं, जो कि 755 वर्ग कि0मी0 क्षेत्रफल में फैले हैं। प्रदेश में एक वर्ष में औसतन 1240 मि0मी0 वर्षा होती है। यदि वार्षिक वर्षा का 5 प्रतिशत तक संग्रहित कर लिया जाये, तो सिंचाई के साथ पेयजल की भी समस्या का निदान सम्भव है, साथ ही भूक्षरण की समस्या भी सीमित की जा सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जल का उचित प्रबन्धन किया जाये, जिसके लिये सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के अन्तर्गत नमी संरक्षण एवं जल संभरण के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे।

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्र में सिंचाई/पेयजल हेतु जल उपलब्धता की स्थिति निम्नलिखित तालिका में वर्णित है :–

जल की कुल आवश्यकता	454000 है0 मी0
जल की कुल उपलब्धता वर्तमान में	49000 है0 मी0
जल की कुल कमी	405000 है0 मी0

नीति/रणनीति

- वर्षा जल संभरण एवं भूगर्भ जलागारों को रिचार्ज सम्बन्धी कार्यों को प्राथमिकता।
- जलागम योजनाओं में कम से कम 45 प्रतिशत धनराशि का जल संरक्षण कार्यों में उपयोग।

- वन क्षेत्र एवं बंजर भूमि में जल संरक्षण हेतु चाल व खालों, रिचार्ज पिटों का निर्माण/जीर्णोद्धार तथा चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों के रोपण को प्राथमिकता।
- पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि भूमि में इनसिटू (In situ) नमी संरक्षण पर बल।
- प्राकृतिक नौलों व घराटों के जीर्णोद्धार पर विशेष बल।
- सदाबहार नालों में पक्के चैकडेम बनाकर सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने पर बल।
- उपलब्ध जल के अनुरूप फसल चक्रों के चयन एवं लाभदायी फसल चक्र के विकास पर बल दिया जायेगा।
- जल उपयोग क्षमता में वृद्धि हेतु स्प्रिंकलर, बूंद–बूंद सिंचाई और टपक सिंचाई पर विशेष बल। मैदानी क्षेत्रों में लेजर लैवलर के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- पर्वतीय क्षेत्रों में उन फसलों का प्रसार जिनमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है एवं जिनके अपेक्षाकृत अधिक मूल्य प्राप्त होते हैं जैसे:– दलहन, तिलहन, मसाले आदि।
- सामूहिक सिंचाई प्रबन्धन को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

अध्याय–4

जलवायु एवं फसल प्रबन्धन

वर्तमान स्थिति

कृषि उत्पादन का जलवायु से सीधा सम्बन्ध है और फसलों का चुनाव, फसल प्रणाली तथा फसल सघनता मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के वायुमण्डलीय तापक्रम तथा वर्षा पर निर्भर करती है। वातावरण के बिगड़ते संतुलन तथा बढ़ती आबादी और औद्योगीकरण के कारण विश्व स्तर पर पर्यावरण में बदलाव हो रहा है। जैव विविधता का ह्रास होने के साथ–साथ फसलों में लगने वाले बीमारियों तथा क्रीड़ों में भी बदलाव आ रहा है।

प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के निम्न प्रभाव दृष्टिगोचर हुए हैं :–

वर्षा का स्वरूप अनियमित, छितरी एवं अल्पावधि में परिवर्तित हो रहा है।

खरीफ मौसम का शीर्ष वर्षाकाल जुलाई से मध्य अगस्त खिसक गया है। खरीफ की कुल वर्षा अवधि में भी कमी हो गई है।

रबी मौसम में विगत कई वर्षों से वर्षा काल अनियमित हो गया है एवं शीर्ष वर्षा का समय अकसर फसल कटाई से मिल रहा है जिससे उत्पादकता प्रतिकूलतः प्रभावित हुई है।

विगत 40 वर्षों में दिन का तापमान घट रहा है और रात्रि का तापमान बढ़ रहा है। ऐसा बादलों के कारण हो रहा है। तीव्र धूप की औसतन प्रतिदिन अवधि में गत 100 वर्षों में 2 घंटे की कमी हुई है जिसके कारण फसलों की उत्पादकता प्रभावित हो रही है।

पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, बादल फटने, भू–स्खलन, सूखा आदि में वृद्धि हुई है जिसके कारण उत्पादन एवं उत्पादकता प्रभावित हुई हैं।

नीति/रणनीति

- मौसम के सही पूर्वानुमान एवं किसानों को इसकी जानकारी समय से देने के लिए प्रयास किये जायेंगे।
- मौसम परिवर्तन के अनुरूप फसल प्रजातियों का विभिन्न कृषि जलवायु पारिस्थितिकी के अनुरूप विकास किया जायेगा तथा उनके प्रचार–प्रसार पर बल दिया जायेगा तथा इस दिशा में शोध कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- लघु मध्यम एवं दीर्घ कालिक मौसम पूर्वानुमान हेतु आवश्यकतानुसार स्वचालित मौसम पूर्वानुमान केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

अध्याय–5

बीज एवं रोपण सामग्री प्रबन्धन

नीति/रणनीति

उच्च कोटि के बीच और रोग मुक्त रोपण सामग्री जिसमें इन–विट्रो कल्चर्ड प्रोपेगुल्स शामिल हैं, फसल उत्पादकता और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।

- उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्यान्नों, व्यवसायिक फसलों, फल–सब्जी, फूल, कन्द, सगन्धित एवं औषधीय पौधों, चाय तथा चारे एवं वानिकी फसलों के महत्व को देखते हुए इनके श्रेष्ठ गुणवत्ता सम्पन्न उन्नत किस्म के बीज एवं पौध के विकास के लिए शोध कार्यक्रम एवं इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
- पंचवर्षीय बीज योजना निर्मित कर इसके अनुरूप आगामी पाँच वर्षों में अपेक्षित स्तर तक बीज प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा। संकर एवं उन्नतशील प्रजातियों के बीजों के वितरण पर इस हेतु विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- निजी क्षेत्र में रोपण हेतु आधुनिक पौध नर्सरियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- कृषकों को संगठित कर विभिन्न फसलों के क्लस्टर चयन कर "बीज ग्रामों" की स्थापना करते हुए अभ्यंतर घाटी बीज उत्पादन कार्यक्रम को सुदृढ किया जायेगा।

- राज्य की बीज उत्पादक संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- स्थानीय फसलों के बीजों को चिन्हित करके उनके संरक्षण पर बल दिया जायेगा।
- जैविक कृषि के अन्तर्गत बीज उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- पर्वतीय क्षेत्र में कृषकों को सब्जी बीज उत्पादन (High value, low volume) पर प्रशिक्षित किया जायेगा।
- उत्तराखण्ड बीज एवं तराई विकास निगम तथा उत्तराखण्ड बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण का पुर्नगठन एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

अध्याय–6

कृषि विविधिकरण

प्रदेश की विशेष भौगोलिक स्थिति, जोतों के आकार तथा जलवायिक स्थिति की पृष्ठभूमि में रोजगार उपलब्ध कराने एवं आय वृद्धि के दृष्टिकोण से कृषि विविधिकरण को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके अन्तर्गत निम्न गतिविधियों पर विशेष बल दिया जायेगा:–

औद्यानिकी

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में फलों का वार्षिक उत्पादन लगभग 7.17 लाख मै0 टन *(देश के सापेक्ष 1.22 प्रतिशत)*, सब्जियों का उत्पादन 10 लाख मै0 टन *(देश के सापेक्ष 0.90 प्रतिशत)*, मसालों का उत्पादन 0.53 लाख मै0 टन है *(देश के सापेक्ष 0.93 प्रतिशत)* तथा पुष्प उत्पादन लगभग 12.30 करोड़ पुष्प प्रतिवर्ष *(देश के सापेक्ष 3.22 प्रतिशत)* है। प्रदेश में व्याप्त अपार सम्भावनाओं के सापेक्ष उत्पादन अभी काफी कम है। सन् 2016 तक इसे कम से कम तीन गुना करने की आवश्यकता है।

नीति/रणनीति

औद्योनिकी के क्षेत्र में पूँजी निवेश की आवश्यकता काफी अधिक होती है तथा जोखिम भी अपेक्षाकृत अधिक है। इस दृष्टिकोण से औद्यानिक फसलों को उन क्षेत्रों में प्रथमतः बढ़ावा दिया जायेगा जहाँ सड़क, सिंचाई एवं विपणन की अवस्थापना सुविधायें बेहतर हैं। विभिन्न औद्यानिक फसलवार ग्रामों के समूह निश्चित कर औद्यानिकी का प्रचार–प्रसार रणनीति का महत्वपूर्ण अंग होगा। जहां पूर्व से उत्पादन अधिक है उन क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधायें सृजित की जायेंगी। प्रदेश में वाइन प्रसंस्करण के लिए फलोत्पादन की प्रभूत सम्भावना है अतः पृथक वाइन नीति प्रख्यापित की जयेगी जिसमें इस सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक सुविधाओं, अनुदान आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार की प्रतिबद्धतायें वर्णित होंगी।

अधिकांशतः औद्यानिक उत्पादन प्रसंस्करण एवं विपणन सुविधाओं के अभाव में नष्ट हो जाता है। इसके दृष्टिगत प्रसंस्करण, विपणन तथा भण्डारण की अवस्थापना सुविधाओं के सृजन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

जोखिम को कम करने के लिए अभिज्ञानित क्षेत्रों में अभिज्ञानित फसलों को बीमा योजना से आच्छादित किया जायेगा।

- गुणवत्तायुक्त रोपण समग्री उपलब्ध कराने के लिए पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक विकासखण्ड में निजी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में एक उच्च तकनीकी युक्त आदर्श नर्सरी स्थापित की जायेगी जिससे प्रमुख औद्यानिक फसलों के लिए उच्च उत्पादन क्षमता युक्त, रोगमुक्त प्रजातियों की रोपण सामग्री बहुतायत से उपलब्ध करायी जा सके। आवश्यकतानुसार विदेशों की प्रमाणित नर्सरियों से उच्च गुणवत्ता रोपण सामग्री का आयात किया जायेगा।
- औद्यानिक फसल प्रबन्धन–
    - पुराने बागों का जीर्णोद्धार एवं नये बागों की स्थापना।
    - कृषि पारिस्थितिकीय आधार पर फलोद्यानों का वैज्ञानिक प्रबन्धन, जिसमें नमी संरक्षण, पोषण, सिंचाई कटाई–छंटाई सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराने एवं प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
    - सब्जियों की हाइब्रिड प्रजातियों का विकास कर उनका प्रसार किया जायेगा। शीतोष्ण सब्जी बीजों के उत्पादन हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगे।
    - सब्जी का विदेशी प्रजातियों को उगाने एवं उनके उपयोग एवं वितरण की संभावनाओं पर विशेष बल दिया जायेगा।
    - बेमौसमी सब्जियों को अधिकाधिक फसल चक्रों में सम्मिलित करने का प्रयास किया जायेगा।
    - संरक्षित औद्यानिकी को उन क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जायेगी जहां विपणन सुविधायें उपलब्ध हैं। इसके लिए प्लास्टिक के उपयोगों यथा–प्लास्टिक मल्चिंग, ड्रीप, स्प्रींकलर इरीगेशन, शेडनेट्स, ग्रीन हाउसेज, लो टनेल्स, एण्टी बर्डनेट्स, प्लास्टिक प्रोट्रेज, रूट ट्रेनर ट्रेज, हेलनेट्स, फर्टीगेशन आदि के प्रयोग हेतु कृषिकों को प्रोत्साहित किया जायेगा।
    - कृषकों को फसल उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न कार्यों में निपुण बनाया जायेगा इसके लिए प्रत्येक ग्राम के कम से कम एक चयनित कृषक को Skill Devlopment के लिए उपयुक्त स्थानों पर आवश्यक प्रशिक्षण निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
    - तकनीकी हस्तांतरण की प्रभावी व्यवस्था की जायेगी। अग्रणी तकनीकों जैसे–Canopy Management, High Density Planting, True Potato Seed Application, Tissue Culture, Micro Irrigation, Fertigation, Rain Water Harvesting के लिए उद्यान विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जायेगा जो इन तकनीकों में कृषकों को प्रशिक्षित करेंगे।

- फसल विविधीकरणः–
  - ○ व्यवसायिक दृष्टि से लाभदायी पुष्प जैसे गुलाब, कारनेशन, ग्लेडिओलाई, गेंदा, ट्यूबरोज, जेरबेरा, आर्किड, लिलियम आदि के उत्पादन हेतु विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे तथा विपणन हेतु आधारभूत सुविधाओं का सृजन किया जायेगा।
  - ○ औषधीय पौधों के सतत उपयोगार्थ हर्बल बायोवैलीज को अभिज्ञानित किया जायेगा तथा इन्हें संरक्षण के विधिक दायरे में लाया जायेगा। ऐसी बायोवैलीज में किसानों की उद्यम पूंजी व अन्य सहयोग के जरिए मदद की जायेगी ताकि वे स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए मूल्यवान औषधीय पौधों एवं व्यावसायिक दृष्टि से लाभप्रद सगन्ध पादपों का संरक्षण, चयन और बहुगुणन कर सकें।
  - ○ मसाले जैसे–बड़ी इलाइची, काला जीरा, केशर, हॉप्स, अदरक, लहसुन, तेजपत्ता, दालचीनी एवं मेथी की खेती पर विशेष बल दिया जायेगा।

पशुपालन एवं पशु नस्ल सुधारः–

वर्तमान स्थितिः–

प्रदेश में गोवंशीय पशुधन की संख्या 22.35 लाख है, महिषवंशीयों की संख्या 12.20 लाख, भेड़ों की संख्या 2.90 लाख एवं बकरियों की संख्या 13.35 लाख एवं अन्य पशुओं की संख्या 0.61 लाख है। प्रदेश में कुल पशुधन 51.41 लाख है तथा कुक्कुटों की संख्या 26.02 लाख है। वर्तमान में प्रदेश की अनुमानित जनसंख्या लगभग 97 लाख है तथा प्रतिवर्ष दुग्ध उत्पादन 13.77 लाख मै0 टन है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता 388 मि0ली0 है। यदि यहां आने वाले प्रतिदिन औसत 54645 यात्रियों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाये तो प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता 385 मि0ली0 है। वर्ष 2016 में प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 341 मि0ली0 होगी। इसे वर्तमान स्तर अर्थात् 385 मि0ली0 प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रखने की आवश्यकता होगी।

मांस की प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन उपलब्धता वर्तमान में मात्र 2.8 ग्राम है। इसे 25 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक करने की आवश्यकता है अर्थात् मांस उत्पादन लगभग 9 गुना करने की आवश्यकता है।

नीति / रणनीतिः–

पशुधन का स्वामित्व कृषि भूमि की अपेक्षा अधिक समतामूलक है। लघु एवं सीमान्त कृषकों के पास भी पशुधन की उपलब्धता वृहत् भूस्वामी कृषकों के समतुल्य है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 12.08 प्रतिशत पशुपालन से प्राप्त होता है। राज्य में कृषि के अन्तर्गत बोया गया कुल क्षेत्रफल मात्र 13.55 प्रतिशत है। वन भूमि लगभग 65 प्रतिशत है जहां से चारे योग्य बायोमास कुशल वन प्रबन्धन के द्वारा बहुतायत से उपलब्ध हो सकता है। पशुपालन के क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक पूंजीनिवेश किये जाने पर तथा कुशलतापूर्वक नई पहल किये जाने पर लाभ लागत अनुपात फसल उत्पादन की अपेक्षा काफी अधिक हो सकता है। साथ ही फसल उत्पादन एवं पशुधन संवर्धन एक दूसरे की अनूपूरक हैं जिनसे कृषिक अर्थव्यवस्था दीर्घकाल तक स्थिर रह

सकती है। जैविक कृषि पशुधन उपलब्धता एवं संवर्धन पर निर्भर है। देश के आर्थिक विकास के साथ–साथ पशुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य उत्पादों की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। ये उत्पाद अब उच्च वर्ग के साथ–साथ शहरी मध्य वर्ग के Food Basket में सम्मिलित हो गये हैं। इन कारणों से पशुपालन राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र के उन्नयन के लिए निम्न नीति/रणनीति अंगीकृत की जायेंगी।

- पशुधन विकासः–
  - पशुधन प्रजनन नीति 2005 के अनुसार आवश्यक सुविधायें सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
  - पंचगव्य से विभिन्न व्यवसायिक उत्पादों की एक लम्बी श्रृंखला निर्मित की जा सकती है इस पर अनुसंधान एवं उत्पाद–विकास के लिए निजी सहभागिता के आधार पर एक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पशुधन विकास बोर्ड के अधीन की जायेगी। वर्तमान में गोमूत्र का आसवन कर आयुर्वेदिक संस्थानों को विक्रय किया जा रहा है। ऐसे आसवन संयंत्र पशुपालक स्वयं सहायता समूहों को निर्धारित अनुदान पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
  - जेनेटिक विविधता के संरक्षण और पशु पालकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए चरवाहा समुदायों के पशु अनुरक्षण और प्रजनन के बारे में देशज ज्ञान को प्रलेखबद्ध करने की आवश्यकता है। देशज पशुओं की नस्लों और प्रजातियों के समुदाय आधारित संरक्षण और विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा, ऐसे क्षेत्रों पर विशष ध्यान दिया जायेगा जहां जेनेटिक विविधता तथा संबद्ध देशज रूप से सुविकसित हैं। पशु प्रतातियों के संबंध में स्थल पर ही संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य फार्मों का उपयोग किया जायेगा। पशु जेनेटिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए चारागाहों की व्यवस्था की जायेगी। विशेष जैव और आर्थिक विशेषताओं का प्रलेखन नए जीवविज्ञान और नई पोषाहार जरूरतों अथवा चर्म/चमड़े के गुणवत्ता जैसी अन्य आर्थिक नस्लों के संदर्भ में किया जायेगा। रोग से सुरक्षा सम्बन्धी सुविधायें जुटाई जायेंगी और रोग सह्य किस्मों के चयन को बढ़ावा दिया जायेगा।
  - पशु गणना, प्रबन्धन, उत्पादन एवं प्रजनन सम्बंधी सूचनाओं का उचित संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा।
  - सेवारत पशु चिकित्सकों एवं अन्य सहायकों को आवश्यतानुसार प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष पूर्व प्रशिक्षित पैरावेट्स का निःशुल्क पुर्नबोध प्रशिक्षण पंतनगर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक वर्ष 50 नये चयनित व्यक्तियों को पैरावेट्स का प्रामाणिक स्तर (Certificate Level) का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

- मांस उत्पादन के लिए उपयोगी भेड़ प्रजातियों का प्रसार किया जायेगा। इसके लिए कृषकों को उन्नत नस्ल के मेमने आयात कर उपलब्ध कराये जायेंगे।
- उच्च गुणवत्ता के मवेशियों की आपूर्ति हेतु क्रय–विक्रय को विनियमित किया जायेगा।
- छोटे जुगाली करने वाले पशुओं (Small Ruminants) को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे।
- पशुपालन को प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक निवेशों की आपूर्ति, चिकित्सकीय प्रबन्धन का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
- गोवंश की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए सभी सम्भव उपाय किये जायेंगे।
- शूकर पालन व्यवसाय को प्रोत्साहन के लिए विशेष योजनायें संचालित की जायेंगी।

• पशु पोषण सुरक्षाः–

- दुग्ध समितियां तथा वन पंचायतें पशुपोषण सुरक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगी। वन पंचायतों का कार्य वन पंचायत भूमि पर चारा विकास होगा जिसके लिए वे प्रत्येक मौसम में उपलब्ध होने वाली चारे की प्रजातियों का रोपण आवश्यकतानुसार सुनिश्चित करायेंगी। वन पंचायतें वन विभाग के समन्वय से वनों से प्राप्त होने वाले चारे इत्यादि पर नियंत्रण एवं समतामूलक उपभोग सुनिश्चित करेंगीं। दुग्ध समितियां अपने सदस्यों को बाहर से चारे/पोषक तत्वों आदि की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगीं।
- पशुपालन विभाग द्वारा प्रत्येक कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र के अनुरूप पंतनगर विश्वविद्यालय के सहयोग से संतुलित पशु आहार, जिसमें स्थानीय उपलब्धता एवं बाहर से प्राप्त होने वाली सामग्री के आधार पर पशुप्रजातिवार/लिंगवार Prescription निर्मित किया जायेगा एवं इनका व्यापक प्रचार–प्रसार कृषक महोत्सव की अवधि के दौरान किया जायेगा।
- ऊँचे पहाड़ों पर शीतोष्ण चारागाह जिनका क्षेत्रफल लगभग 1.84 लाख है, का संरक्षण एवं वैज्ञानिक प्रबन्धन तथा इन पर हो रही अनियमित एवं अनियंत्रित चराई पर नियंत्रण किया जायेगा।
- घास एवं दलहनी प्रजातियों जैसे कि क्लोवर, टालफेस्क्यू आदि को तथा चारा वृक्ष जैसे कि शहतूत, भीमल एवं चमलाई आदि को लगाने पर ध्यान दिया जायेगा।
- निचली घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों में बरसीम, जई, चरी आदि के उत्पादन पर बल दिया जायेगा।
- मानव एवं पशुओं हेतु समान रूप से उपयोगिता वाली फसलों जैसे झंगोरा, मक्का, मंडुवा आदि को प्राथमिकता दी जायेगी।

- मैदानी क्षेत्रों में कम्बाइन मशीन द्वारा कटाई के उपरान्त धान एवं गेहूँ के पुआल को फील्ड बेलिंग मशीन द्वारा गट्ठर बनाकर एवं अमोनिया (यूरिया) से उपचारित कर भण्डारण हेतु 'फाडर बैंक' की स्थापना तथा उसे 'रेडी–टू–फीड' में परिवर्तित करने हेतु विभिन्न व्यवसायियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- चारे की फसलों की शीत सहनशील (कोल्ड टालरैंट) प्रजातियों का विकास किया जायेगा।
- अधिक ढाल वाली एवं परती भूमियों में नैपियर घास तथा दीर्घकालिक अरहर आदि की फसलों का रोपण कराया जायेगा।
- गन्ना मिलों से उत्पादित होने वाले शीरे के पशुपालन विभाग को आवंटन के लिए शीरा नीति में उचित प्राविधान किया जायेगा ताकि पंतनगर विश्वविद्यालय एवं पशुलोक ऋषिकेश में स्थापित फीड मिलों को फीड ब्लॉक बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में शीरे की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- चारा बैंक योजना दुग्ध समितियों के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी। इस हेतु राज्य के वित्तीय संसाधनों से चारा बैंक के लिए शेड आदि के लिए धनराशि दी जायेगी। सहकारी बैंकों द्वारा चारे की खरीद के लिए सम्बंधित दुग्ध समिति को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। मैदानी क्षेत्रों से चारे के आयात के लिए निर्धारित मानकानुसार परिवहन अनुदान भी इन समितियों को उपलब्ध कराया जायेगा।
- डेयरी पशुओं में अपर्याप्त पोषाहार ही दूध की कम पैदावार का प्रमुख कारण है। सेलुलोसिक अपशिष्टों को उपयुक्त उपचार और संवर्धन के जरिये उत्तम पशु खाद्य के रूप में बदलने, पोषण समृद्ध चारा पौधों के रोपण और प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए पारम्परिक तथा गैर–पारम्परिक दोनों ही तरीकों को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

- दुग्ध विकासः–
  - प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों को सुदृढ़ किया जायेगा एवं अधिकाधिक दुग्ध उत्पादकों को इनसे सम्बद्ध किया जायेगा। इन समितियों में आवश्यक तकनीकी निवेश उपलब्ध कराये जायेंगे।
  - दुग्ध उत्पादकों को उच्च गुणवत्ता के दुधारू पशु क्रयार्थ ऋण एवं अनुदान, संतुलित पशु आहार तथा आदर्श पशु प्रबन्धन की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी।
  - दुग्ध सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु दुग्ध उत्पादों का विविधीकरण एवं मूल्य संवर्धन किया जायेगा। इन समितियों द्वारा दूध के अतिरिक्त अन्य उत्पादों का भी विपणन किया जायेगा।

कुक्कुट विकास

- कुक्कुट पालन को एक कृषि कार्यकलाप के रूप में प्रोत्साहन हेतु आवश्यक निवेशों का समुचित प्रबन्धन, कुक्कुट उत्पादों का विपणन एवं बैकयार्ड मुर्गी पालन के अन्तर्गत द्विउद्देशीय कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित किया जायेगा।
- प्रदेश में चकोर, बटेर, हरियल, टर्की तथा मुर्गों के विभिन्न प्रजातियों के प्रजनन एवं पालन की प्रचुर संभावनायें हैं। सामान्यतः उपलब्ध न होने एवं अच्छे स्वादयुक्त होने के कारण इनके मांस की महानगरीय बाजारों में तथा विदेशी बाजारों में अपेक्षाकृत अधिक कीमत प्राप्त होती है। अतः चयनित क्षेत्रों में इनके पालन के लिए विशेष परियोजनायें क्रियान्वित की जायेंगी।

मत्स्य उत्पादन

वर्तमान स्थिति

प्रदेश का वार्षिक मत्स्य उत्पादन 6 हजार मै० टन है जबकि खपत 25 हजार मै० टन है। यदि मत्स्य उत्पादन को पूर्णतः विकसित किया जाये तो वार्षिक उत्पादन 62 हजार मै० टन तक हो सकता है। प्रदेश की नदियों की कुल लम्बाई लगभग 2800 कि०मी० है। इसमें से 700 कि०मी० लम्बाई में Running Water Fish Culture को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रदेश के वृहत् जलाशयों का कुल क्षेत्रफल लगभग 25 हजार है० है। वर्तमान में इनसे 20–25 किलोग्राम प्रति है० प्रतिवर्ष मत्स्य उत्पादन हो रहा है, उचित प्रबन्धन द्वारा इसे बढ़ाकर 100–150 किलोग्राम प्रति है० प्रति वर्ष किया जा सकता है। प्रदेश में शीत जल मात्स्यिकी के विकास की अपार संभावनायें हैं।

नीति/रणनीतिः–

- मत्स्य नीति 2003 का पुनरीक्षण किया जायेगा। इसके अनुसार आवश्यक सुविधायें सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- मत्स्य पालन द्वारा पोषण सुरक्षा एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा। इसके लिएः–
  - प्रदेश की विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप मत्स्य पालन तकनीकी का विकास किया जायेगा।
  - मत्स्य पालन हेतु आवश्यक निवेशों जैसे मत्स्य बीज, आहार, तकनीकी परामर्श, विपणन, कूल चेन आदि की व्यवस्था की जायेगी।
  - कम ऊँचाई के क्षेत्रों में कार्प, मध्य ऊँचाई के क्षेत्रों में कार्प, महाशीर एवं स्नो–ट्राउट तथा अधिक ऊँचाई के जलक्षेत्रों में विदेशी ट्राउट के पालन का विकास किया जायेगा।

- उपयुक्त कृषि जलवायु के क्षेत्र में बहते हुए पानी में पूर्ण रूप से आहार पर आधारित सघन मत्स्य पालन तकनीकी को अपनाया जायेगा तथा मत्स्य आहार बनाने के लिए फीड–मिल का निर्माण किया जायेगा।
- नदियों में विलुप्त हो रही महाशीर प्रजाति मात्स्यिकी के पुनर्स्थापन एवं विकास हेतु 'रिवर हैचिंग' तकनीकी को अपनाया जायेगा। महाशीर के पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पादन के लिए हैचरी की स्थापना की जायेगी।
- पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नदियों एवं झीलों में मत्स्य आखेट की सुविधा प्रदान की जायेगी।
- मछुआरों के परिवारों और महिलाओं को मत्स्य पालन से सम्बन्धित सभी पहलुओं की गुणवत्ताप्रद जानकारी देने हेतु 'सभी के लिए मछली' परियोजना के अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्थायें की जायेंगी।
- प्रदेश में कार्प प्रजाति का उत्पादन Gold Fish से संकरण के कारण काफी कम हो गया है। अतः इनके उच्च गुणवत्तायुक्त बीजों का आयात कर अगले पांच वर्षों में शत–प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन किया जायेगा। अन्तःप्रजनन से बचने के लिए विभिन्न श्रोतों से बीज मंगा कर अनवरत रूप से प्रतिस्थापन का कार्य किया जोयगा।
- हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर जनपदों के जलप्लावित क्षेत्रों में वृहत् मत्स्य आस्थान विकसित करने हेतु विशेष योजनायें संचालित की जायेंगी जिससे शीघ्र बढ़ने वाली प्रजातियों का विकास किया जा सके।
- Running Water Culture तथा Cage Culture तकनीकों से मत्स्य उत्पादकता में कई गुनी वृद्धि सम्भव है। इसके साथ ही एक तथ्य यह है कि नदियों में अवैध शिकार के कारण प्रदेश की प्रसिद्ध विशिष्ट मत्स्य प्रजातियों जैसे महाशीर एवं सुनहरी तथा रूपहली ट्राउट का ह्रास हो रहा है। अवैध शिकार पर नियंत्रण के लिए तथा मत्स्य उत्पादकता के विकास के लिए नदियों को तीन प्रकार के क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जायेगा– संरक्षित क्षेत्र, विकास क्षेत्र एवं आखेट क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र आरक्षित वनों के अन्तर्गत होंगें। अन्य दो क्षेत्र राजस्व क्षेत्रों के अन्तर्गत होंगे। संरक्षित क्षेत्रों में आखेट प्रतिबन्धित करने हेतु प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। आखेट क्षेत्रों में सम्बन्धित ग्रामसभाओं एवं निजी उद्यमियों के मध्य लीज की व्यवस्था निर्मित तथा कार्यान्वित की जायेगी।

मशरूम उत्पादन

उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियां एवं जलवायु विश्व में पायी जाने वाली मशरूम की लगभग सभी प्रजातियों के उत्पादन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। खाद्यान्न उत्पादन में आयी स्थिरता के कारण पैदा हो रही कुपोषण की समस्या का मशरूम एक

प्रमुख विकल्प है। विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का व्यावसायिक उत्पादन कर निर्यात किया जाये तो उल्लेखनीय रूप से विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मशरूम उत्पादन हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जायेगाः—

- निर्यात को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त मशरूम प्रजातियों का विकास एवं उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
- कृषकों को गुणवत्तापूर्ण स्पान, कम्पोस्ट व आवरण मृदा (केसिंग स्वायल) आपूर्ति सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- निर्यात दृष्टिगत, पैदावार व गुणवत्ता लक्षित उपयुक्त मशरूम प्रजातियों का विकास किया जायेगा।
- प्रकृति प्रदत्त महत्वपूर्ण औषधीय मशरूम की कर्षण तकनीक व औषधि निर्माण पर अनुसंधान किया जायेगा।

चाय उत्पादन

उत्तराखण्ड राज्य में चाय की खेती की सम्भावनाओं को देखते हुए निम्न कार्य संचालित किये जायेंगें।

- चाय हेतु उपयुक्त क्षेत्रों को चिन्हित कर भूमि बैंक की स्थापना की जायेगी तथा संविदा कृषि के माध्यम से चाय की खेती को बढ़ावा दिया जायेगा।
- पुराने चाय बागानों का जीर्णोद्धार तथा नये बागानों की स्थापना की जायेगी।
- चाय प्रसंस्करण की सुविधाओं का विकास किया जायेगा।

मधुमक्खी पालन

प्रदेश में मधुमक्खी पालन को स्वरोजगार तथा फसलों एवं फलों में उत्पादकता की वृद्धि हेतु निम्नवत प्रोत्साहित किया जायेगा।

- मधुमक्खी पालन हेतु प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बद्ध तकनीकों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
- जलवायु के अनुरूप उचित प्रजातियों के विकास को बढ़ावा दिया जायेगा।

रेशम कीट पालन

प्रदेश में रेशम कीट पालन हेतु शहतूत की खेती तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बाईवोल्टीन रेशम के उत्पादन को एक अनुपूरक व्यवसाय के रूप में निम्न बिन्दुओं के आधार पर विकसित किया जायेगा।

- शहतूत वृक्षारोपण में वृद्धि हेतु निजी फार्मों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

- निजी रीलर्स एवं महिला सहकारी समितियों को प्रोत्साहित कर आधुनिक सहायता प्रदान की जायेगी।
- पैराटेक्निकल कर्मियों तथा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्राविधिकियों का प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
- कृषि ऋण योजना में रेशम उत्पादन व्यवसाय का समावेश किया जायेगा।
- रेशम विकास कोष एवं रेशम एक्सचेंज केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
- रेशम विकास अधिनियम बनाकर सार्वजनिक तथा निजी संस्थाओं का योगदान परिभाषित किया जायेगा।

कृषि वानिकी

प्रदेश में लगभग 4.09 लाख है0 भूमि बंजर एवं परती के रूप में उपलब्ध है। यह कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का लगभग 7.21 प्रतिशत है। चूंकि कृषि वानिकी में दीर्घकालीन निवेश वांछित है एवं लागत लाभ अनुपात अन्य गतिविधियों की अपेक्षा काफी कम है अतः इस क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश/सार्वजनिक पूंजी निवेश की सम्भावना वर्तमान में अत्यंत क्षीण है परन्तु वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने हेतु बॉयोफ्यूल के उत्पादन हेतु तथा कार्बन क्रेडिट अर्जित करने हेतु कृषि वानिकी को बढ़ावा देना आवश्यक है। इस हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ध्यान आकर्षित करते हुए उनके माध्यम से अनुदान/न्यून ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर प्रोजेक्ट आधारित योजना क्रियान्वित किया जाना ही उचित विकल्प है। Compensatory Afforestation हेतु केन्द्र सरकार के पास राज्य सरकार द्वारा दी गई धनराशि भी उपलब्ध है। इस धनराशि से कृषि वानिकी योजनायें क्रियान्वित किये जाने का प्रयास किया जायेगा। बंजर एवं परती व्यक्तिगत भूमि के लिए विशेष पैकेज निर्मित किया जायेगा।

- उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में निम्नलिखित कृषि वानिकी पद्धतियों का प्रसार किया जायेगा।

    1. कृषि वनवर्धन पद्धति (Agri-Silviculture System)
    2. वनवर्धन चारागाह पद्धति (Silvi-Pastoral System)
    3. कृषि वनवर्धन चारागाह पद्धति (Agri-Silvi-Pastoral System)
    4. कृषि उद्यान पद्धति (Agri-Horticultural System)
    5. वनवर्धन उद्यान पद्धति (Silvi-Horticultural System)
    6. कृषि उद्यान वनवर्धन पद्धति (Agri-Horti-Silviculture System)
    7. बहुउपयोगी पौधे लगाने की पद्धति (Plantation of Multipurpose Trees)
    8. बाड़युक्त कृषि वानिकी पद्धति (Hedge-Agroforestry System)
    9. वनवर्धन जल पद्धति (Silviculture-Aqua System)

इनमें निम्नलिखित प्रजातियां मुख्यतः सम्मिलित होंगी:-

ईंधन प्रजातियाँ	चारा प्रजातियाँ	काष्ठ प्रजातियाँ
कम ऊँचाई (1000 मीटर तक) वाले क्षेत्र		
जैट्रोफा, बबूल, सुबबूल, सिरिस, यूकेलिप्टस, जामुन, तुन, सेमल।	शहतूत, सिरस, कचनार, बकेन, तुन, खैर, बाँस।	तुन, शीशम, पॉपलर, बाँस, साल, सागौन, कदम्ब, बकेन, मुनदानी, यूकेलिप्टस।
मध्यम ऊँचाई (1000 से 2000 मीटर तक) वाले क्षेत्र		
रोबीनिया, सिरस, सैलिक्स, पहाड़ी पीपल, सिल्वर ओक, उत्तीस	भिमल, बाँज, खड़िक, शहतूत, बकेन, कचनार, तुन, किमरल, सैलिक्स।	चीड़, देवदार, सुरई, कैल, बाँज, कांचुला, पुतली, अखरोट, बकेन, पांगर, सैलिक्स।
अधिक ऊँचाई (2000 मीटर से अधिक) वाले क्षेत्र		
बाँज, खरसू, रोबीनिया, पहाड़ी पीपल, उत्तीस, फाइकस, प्रूनस, बेतुला, क्यूप्रेसस, मोरू (किलोंज)	खड़िक, तिमला, खरसू, मोरू, बेतुला, बाँज, खरसू, रोराटा, रोबीनिया, फाइकस, प्रूनस।	देवदार, एल्नस, क्यूप्रेसस, बाँज, फर, अखरोट, कांचुला, अंगु, कैल।

अध्याय–7

जैविक प्रदेश

परिकल्पना

प्रदेश का वर्षा पर आधारित पर्वतीय भू–भाग हरित क्रान्ति के दौर से लगभग अछूता रहा। हरित क्रान्ति क्षेत्रों की भांति यहां उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई परन्तु प्रभूत जैव विविधता तथा नैसर्गिक परिवेश एवं साधन सुरक्षित रहे। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता लगभग स्थिर रही। आधुनिक कृषि निवेशों के न्यूनतम उपयोग से कृषि लागत में भी हरित क्रान्ति क्षेत्रों की अपेक्षा अत्यंत कम वृद्धि हुई। वर्तमान संदर्भ में ये कमियां ही जैविक कृषि तकनीकों के विकास के कारण नये अवसर के रूप में अवतरित हो रही हैं। जैविक कृषि से दीर्घकालिक खाद्य, पोषण एवं पर्यावरण सुरक्षा निश्चित की जा सकती है। प्रदेश के वर्षा पर आधारित भू–भाग नैसर्गिक स्थिति में होने अर्थात् रासायनिक प्रदूषण की अनुपस्थिति तथा सूक्ष्म जीवाणुओं की असंख्य प्रजातियों की उपस्थिति के कारण जैविक कृषि के लिए आदर्श है। जैविक कृषि न्यून बाह्य निवेश आधारित दीर्घकालिक स्थाई कृषि प्रबन्धन पद्धति (Low External Input Sustainable Agriculture System-LEISA) है।

वर्तमान स्थिति

राज्य के आविर्भाव के पश्चात की गई उल्लेखनीय पहलों के कारण उत्तराखण्ड देश का अग्रणी जैविक प्रदेश बन गया है। वर्ष 2010–11 के अन्त तक लगभग 70 हजार है0 जैविक कृषि से आच्छादित हो गया है।

- संस्थागत ढांचा:–
  - उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद वर्ष 2003 में स्थापित हुआ। विभिन्न एजेन्सियों के मध्य समन्वय, क्षमता विकास, योजना निर्माण, जैविक प्रमाणीकरण हेतु आन्तरिक नियंत्रण पद्धति के आधार पर कार्य तथा विपणन हेतु सुविधायें उपलब्ध कराना इसके दायित्वों में सम्मिलित है।
  - उत्तराखण्ड जैविक अभिप्रमाणन अभिकरण वर्ष 2003 में स्थापित हुआ। यह पूरे देश में अपने प्रकार की एकमात्र एजेन्सी है जिसे विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त नीदरलैण्ड की अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी DET NORKSE VERITAS द्वारा ISO 9001:2000 and ISO 65 अभिप्रमाणन प्राप्त है। इसका कार्य जैविक प्रमाणीकरण तथा अभिलेखीकरण है। यह उत्तराखण्ड के अतिरिक्त दस अन्य राज्यों में कार्य कर रही है।
  - तीन उत्कृष्टता केन्द्र–ढकरानी (देहरादून), मझखाली (अल्मोड़ा) एवं खटीमा (ऊधमसिंह नगर) में स्थापित किये गये। मझखाली के उत्कृष्टता केन्द्र को जैविक प्रशिक्षण एवं शिक्षण संस्थान के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया है।
  - जैविक बासमती एवं जैविक स्थानीय फसलों के ग्रामसमूहों में से प्रत्येक में किसानों के स्वयं सहायता समूह गठित कर दिये गये हैं। इन समूहों से चयनित सदस्यों को सतत् प्रशिक्षण/पुनर्बोध प्रशिक्षण दिया गया है।
  - विपणन के लिए कृषक अभिरूचि समूहों का गठन किया गया है तथा प्रत्येक वर्ष दो बार बड़े निर्यातकों एवं विक्रेताओं के साथ सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया संचालित करने हेतु सत्र आयोजित किये जाते हैं।

नीति/रणनीति:–

इसके चार प्रमुख तत्व हैं– 1. प्राविधिकियों का सृजन एवं प्रसार 2. जैविक प्रमाणन तंत्र विकसित करना 3. विपणन नेटवर्क एवं तंत्र की स्थापना 4. उत्तराखण्ड की जैव सम्पदा का अभिलेखीकरण एवं संरक्षण।

- *प्राविधिकियों का सृजन एवं प्रसार*
- जैविक पद्धति के अन्तर्गत मिश्रित खेती हेतु विभिन्न कृषि जलवायिक परिस्थितियों के सापेक्ष लाभप्रद एग्रोनोमिक माडल का विकास एवं प्रसार।
- जैविक कृषि से सम्बन्धित साहित्य की स्थानीय भाषा में तैयारी एवं वितरण।
- जैविक कीट एवं बीमारियों के प्रभावी नियन्त्रण के लिये प्रचुर मात्रा में जैव नियंत्रकों (बायो कन्ट्रोल एजेन्ट) का उत्पादन किया जायेगा।
- कीट एवं रोगरोधी फसल प्रजातियों का चयन एवं इनकी सीड लाइन तैयार करना।
- परम्परागत ज्ञान तथा औषधीय पौधों का "हरित स्वास्थ्य अभियान" (Green Health Campaign) में उपयोग। इसके अन्तर्गत हर्बल गार्डन की स्थापना करने के साथ–साथ परम्परागत पद्धति पर आधारित तरीकों द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण को प्रोत्साहन।
- जैविक माईक्रोबियल इनोकुलम के उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए निजी सहभागिता से उत्पादन केन्द्रों की स्थापना। वर्मिकल्चर से कम्पोस्ट उत्पादन का प्रसार। स्थानीय फसल अवशेषों, पत्तियों तथा अन्य अनुपयोगी जैविक सामग्रियों का कम्पोस्ट में परिवर्तन को बढ़ावा।
- कृषि उत्पादन लागत में कमी, पर्यावरण, भूमिगत जल प्रदूषण एवं जैव विविधता की संरक्षा हेतु समेकित नाशीजीव प्रबन्धन को व्यापक रूप से अपनाया जायेगा। जिसके लिये विस्तृत प्रशिक्षण एवं प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जायेगा।
- वन बॉयोमास से निकटवर्ती ग्रामों में कम्पोस्ट खाद निर्मित करने को विशेष प्रोत्साहन ताकि एक ओर सूक्ष्म पोषक तत्वों की मृदा में आपूर्ति से मृदा स्वास्थ्य एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो वहीं दूसरी ओर आबादी के निकटवर्ती वनों को आग से बचाया जा सके।
- निजी सहभागिता से प्रत्येक विकासखण्ड में शुष्क गौशालाओं की स्थापना जिनसे पंचगव्य प्राप्त होगा जिसका विभिन्न सामग्रियों के उत्पादन में प्रयोग किया जायेगा साथ ही कम्पोस्ट खाद स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगी।
- *जैविक प्रमाणन तंत्र का विकास*
- मृदा तथा उपज के रासायनिक एवं जैनेटिक विश्लेषण हेतु प्रारम्भ में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रयोगशालाओं से नेटवर्किंग तथा भविष्य में आवश्यकता पाये जाने पर प्रदेश की अपनी उच्च स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना।

- प्रमाणन की प्रक्रिया का मानकीकरण।
- जैव–प्रमाणन हेतु निरीक्षक तैयार करने हेतु शिक्षण/प्रशिक्षण।
- खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता को विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा निर्धारित Codex Alimentarius मानको के अनुरूप लाना।
- कृषकों, उपभोक्ताओं तथा विपणन व्यावसायियों में खाद्य सुरक्षा साक्षरता का प्रसार।
- *विपणन नेटवर्क एवं तंत्र की स्थापना*
- स्वयं सहायता समूहों एवं कृषक अभिरूचित समूहों में विपणन साक्षरता का व्यापक प्रचार–प्रसार।
- बाजार आधारित फसल नियोजन का प्रचार–प्रसार।
- कृषक अभिरूचि समूहों एवं बड़े निर्यातकों/विक्रेताओं के मध्य सामूहिक सौदेबाजी सत्र प्रत्येक फसल मौसम के प्रारम्भ के पूर्व आयोजित करना।
- जैविक उत्पाद विक्रय के लिए कृषक समूहों की भागीदारी से अन्तर्राज्यीय सहकारी विपणन संस्थाओं की स्थापना।
- कृषक समूहों द्वारा महानगरों एवं प्रदेश के प्रमुख नगरों में उपभोक्ता को सीधे विपणन सम्बंधी सुविधायें/संस्थायें/व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।
- *उत्तराखण्ड की जैव सम्पदा का अभिलेखीकरण एवं संरक्षण*
- महत्वपूर्ण लुप्त प्राय औषधीय एवं सगन्ध पादपों का In-Situ एवं Ex-Situ संरक्षण। इसके लिए बॉयोटेक्नोलॉजी तकनीकों का प्रयोग किया जायेगा तथा जनन द्रव्य केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
- कृषि जैव विविधता वाले समृद्ध क्षेत्रों में जनेटिक और विधिक जानकारी देने का कार्यक्रम शुरू करना। परम्परागत फसलों की परम्परागत किस्मों का संरक्षण करना।
- उपयुक्त स्थानों पर बीज भण्डार, अनाज भण्डार एवं जनन द्रव्य भण्डारों/पौधशालाओं की स्थापना।
- जैव विविधता रजिस्टरों के माध्यम से पारम्परिक जानकारी का प्रलेखन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं की सहभागिता ली जाएगी, जो इसका काफी ज्ञान रखती हैं। पारम्परिक कृषि पद्धतियों का संरक्षित डाटाबेस तैयार करना (इसे बौद्धिक सम्पदा के रूप में सम्बंधित अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकृत किया जायेगा)।
- खाने योग्य पोषक तत्वों से भरपूर जंगली पौधों पर शोध।

- प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण की व्यवस्था करना एवं किसानों को अपनी प्रजातियों के पंजीकरण तथा नेशनल जीन फंड से लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना।

दीर्घकालीन लक्ष्य

✓जैविक कृषि के विकास हेतु स्थापित संस्थानों जैसे कृषि विज्ञान केन्द्र, जैविक अभिप्रमाणन अभिकरण, जैविक परिषद एवं अन्य सम्बद्ध संस्थानों की क्षमता वृद्धि।

✓पर्वतीय वर्षा पर आधारित क्षेत्रों का जैविक कृषि पद्धति से पूर्ण आच्छादन।

✓प्रदेश एवं देश के बाजारों में विपणन नेटवर्क स्थापित करना।

✓जैव विविधता का संरक्षण।

अध्याय–8

अन्नपूर्णा प्रदेश

क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर नियोजन

प्रदेश में विभिन्न कृषि जलवायिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में अवस्थापनाओं, प्राकृतिक संसाधनों, फसल पद्धतियों एवं फसल उत्पादन की विशिष्टताओं में काफी अन्तर है। इस हेतु प्रदेश की विभिन्न कृषि जलवायिक परिस्थितियों की विशेषताओं का अधिकतम लाभ लेने एवं क्षेत्रीय परिस्थितियों में अधिकतम उत्पादन के लिए क्षेत्रीय नियोजन पर विशेष बल दिया जायेगा। इस क्रम में:–

- प्रत्येक जनपद के लिए कृषि पारिस्थितिकीय स्थितियों के सापेक्ष निर्मित रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना (Strategic Research and Extention Plan) में अभिज्ञानित कृषि प्रसार, शोध एवं व्यवस्था सम्बंधी कमियों को दूर करने के प्रयास किये जायेंगे।
- प्रत्येक जनपद के लिए दीर्घकालिक कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों की योजना निर्मित की जायेगी तथा इसके अनुरूप ही कार्यक्रमों का स्वरूप एवं वार्षिक वित्त पोषण निर्धारित किया जायेगा।
- जनपदीय कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरणों "आत्मा" तथा इसके अन्तर्गत विकासखण्ड स्तर पर गठित कृषक सूचना एवं परामर्श समितियों से कृषि एवं सम्बद्ध विभागों तथा कृषि विश्वविद्यालयों के मध्य परस्पर सूचना एवं विचारों का आदान–प्रदान की सतत्ता कायम रखने के लिए संस्थागत सुधार किये जायेंगे। वार्षिक कृषि योजना के निर्माण में कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरणों एवं कृषक सूचना एवं परामर्श समितियों की प्रमुख भूमिका सुनिश्चित की जायेगी।

- रबी, खरीफ एवं जायद फसलों की ग्रामवार उत्पादकता के स्तर में काफी भिन्नतायें Crop Cutting प्रयोगों के परिणामों से उद्घाटित हुई हैं। इनमें कहीं–कहीं 150 प्रतिशत तक का अन्तर है। पर्वतीय क्षेत्र में यह स्वाभाविक है परन्तु सिंचित मैदानी क्षेत्रों में भी जहां एक स्थान से दूसरे स्थान में भिन्नतायें अपेक्षाकृत काफी कम हैं, ऐसा अन्तर दृष्टिगोचर हुआ है। अतः रणनीति के तौर पर प्रत्येक न्याय पंचायत में न्यूनतम उत्पदकता वाले ग्रामों का चयन कर इनमें कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के कार्यक्रमों को केन्द्रित किया जायेगा।

रणनीतिक प्रबन्धन

- ग्रामीण स्तर पर कृषक समूहों जैसे कृषक सहकारी समितियों, स्वयं सेवी समूह, फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप, कृषक उत्पाद समूह (कॉमोडिटी एसोसिएशन) का गठन कर कृषि प्रसार कार्यक्रमों को एकल कृषक के स्थान पर लाभार्थी समूहों तथा स्वयं सेवी समूहों के माध्यम से किये जाने को प्रोत्साहित किया जायेगा, ताकि कृषकों को अपने उत्पादों के प्रमाणीकरण, प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन विपणन तथा आवश्यक ऋण आदि की सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े।
- फसल सघनता में वृद्धि की जायेगी।
- सभी कृषि क्रियाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर बल दिया जायेगा।
- कृषि के लिये प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को तकनीकी दृष्टि से उचित, आर्थिक दृष्टि से लाभकारी, पर्यावरण हितैषी तथा सामाजिक दृष्टि से व्यवहारिक एवं दीर्घकालिक बनाया जायेगा।
- पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए उर्वरकों का संतुलित प्रयोग बढ़ाने हेतु एकीकृत पादप पोषण प्रबन्धन, एकीकृत कीटनाशी प्रबन्धन एवं जैविक खेती पर विशेष बल दिया जायेगा।
- प्रदेश में कार्यरत शोध संस्थानों को सुदृढ किया जायेगा जिससे वे स्थानीय समस्याओं पर आधारित शोध कार्य, प्रजनक बीज एवं रोपण सामग्री उत्पादन में सक्षम हो सकें।

दलहनी एवं तिलहनी फसलों का विकास एवं आपूर्तिः–

- तोरिया एवं पीली सरसों के उत्पादकता में वृद्धि हेतु यथोचित प्रयास करने के साथ ही उत्पादन एवं क्षेत्र विस्तार पर बल दिया जायेगा।

- सफेद तिल की खेती को पूर्वोत्तर राज्यों की तरह बढ़ावा दिया जायेगा एवं शोध कार्य भी प्रारम्भ किये जायेगें।
- मूंगफली की खेती की पहाड़ों पर काफी सम्भावना है। अतः विभिन्न ऊँचाई के लिए मूंगफली की उन्नतशील प्रजातियों का विकास किया जायेगा।
- सोयाबीन प्रदेश के भाबर एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिये नकदी फसल सिद्ध हुई है। इसके उत्पादन में निरन्तरता बनाये रखने की दृष्टि से इसके संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त तिलहनी फसलों के साथ–साथ खाद्य तेल देने वाले स्थानीय वृक्षों यथा चिउड़ा, चुल्लू के समुचित प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

- उर्द, मूँग, सोयाबीन, भट्ट, कुल्थी, मसूर जैसी दलहनी फसलों पर शोधकार्य और सुदृढ़ किया जायेगा।
- मण्डुआ के बाद परती भूमि में मसूर को बढ़ावा दिया जायेगा।
- विभिन्न दलहनी फसलों के क्लस्टर चयन कर "दाल घाटी" के रूप में विकास किया जायेगा।
- पर्वतीय क्षेत्र के सिंचित क्षेत्रों में जायद के अन्तर्गत दलहनी फसलों एवं मक्का को बढ़ावा दिया जायेगा।

धान्य फसलों का विकास

धान्य फसलों के विकास हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जायेगा।

- फसल अवशेष, हरी खाद एवं जैव उर्वरकों के प्रयोग पर विशेष बल दिया जायेगा।
- धान के संकर बीज को बढ़ावा दिया जायेगा।
- निरन्तर धान–गेहूँ फसल चक्र अपनाने वाले क्षेत्रों में अन्य फसल प्रणाली का समावेश किया जायेगा।
- उर्वरकों के संतुलित उपयोग एवं वृहत् प्रसार पर विशेष बल दिया जायेगा।
- धान–गेहूँ फसल प्रणाली में उत्पादन लागत में कमी तथा समय की बचत हेतु जीरो टिल फर्टिड्रिल को बढ़ावा दिया जायेगा।
- धान उत्पादन के लिए श्री तकनीक (System of Rice Intensification Technique) को सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जायेगा।

कृषि यंत्रीकरणः–

किसानों को क्षेत्र और फसल विशिष्ट मशीनों और यंत्रों की आवश्यकता होती है ताकि वे सही समय पर फसल बोने और खरपतवार का प्रबन्धन करने व फसलोत्तर कार्य में सुधार करने का कार्य कर सकें। महिलाओं को विशेष रूप से अपने अनुकूल यंत्रों की आवश्यकता होती है जिनमें मेहनत कम लगे, उत्पादन बढ़े और उनका समय बचे तथा उनका उपयोग सरलता से किया जा सके। कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है साथ ही वृहत क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम मानव–दिवसों में कृषिकरण सम्भव है।

- पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे एवं सीढ़ीदार खेतों के लिए उपयुक्त कृषि यंत्रों का विकास, उत्पादन एवं वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।
- पावर टिलर, थ्रेशर, सीड ड्रिल, वाटर लिफ्टिंग पंप जैसे यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी तथा ट्रैक्टर एवं पशुचालित, जीरोटिल, फर्टिसीड ड्रिल, कृषि रक्षा यंत्रों के प्रयोग पर विशेष बल दिया जायेगा।
- बायोगैस प्लान्ट एवं बायोगैस चालित उन्नतशील उपकरण तथा इंजन इत्यादि के प्रयोग पर विशेष बल दिया जायेगा।
- छोटे कृषि यंत्रों का निर्माण ग्रामीण शिल्पकारों से ग्राम/विकासखण्ड स्तर पर निर्माण करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। उन्हें कृषि यंत्रों की मरम्मत के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- मैदानी क्षेत्रों हेतु लेजर लैवलर, रीपर, हार्वेस्टर, रोटावेटर/ट्रांस्प्लांटर के प्रयोग पर विशेष बल दिया जायेगा।
- कृषि महोत्सव के दौरान नये विकसित यंत्रों का प्रदर्शन किया जायेगा।
- प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं मूल्य संवर्धन हेतु निर्मित उपकरण कृषकों को उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास किये जायेंगें।
- पोटेटो प्लान्टर, पोटेटो डिगर, गन्ना हार्वेस्टर, मक्का थ्रैशर, मंडुवा थ्रैशर को भी कृषकों द्वारा उपयोग करने पर विशेष बल दिया जायेगा।

फसल सुरक्षा

प्रदेश में सघन एवं निरन्तर खेती के कारण रोग एवं कीटों के प्रकोप में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इनमें से झोका, झुलसा, सफेद चूर्णा, एन्थ्रैकनोज, राइजोक्टोनिया, स्मट, स्कैब आदि बीमारियां तथा कुरमुला, कटवार्म, हैल्योथिस आदि कीट प्रमुख हैं।

- प्रदेश की पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए समेकित रोग एवं कीट के उचित प्रबन्धन हेतु समेकित रोग एवं कीट नियंत्रण पर बल दिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत रोगरोधी प्रजातियों एवं जैविक नियंत्रण विधियों का विशेष ध्यान रहेगा।
- रासायनिक नियंत्रण आवश्यकतानुसार ही अपनाया जायेगा।
- क्षेत्रानुसार फसलों की कीट एवं रोग प्रतिरोधी प्रजातियों के विकास के साथ–साथ एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन हेतु जैव नियंत्रकों की उपलब्धता, निजी क्षेत्रों की भागीदारी तथा तकनीक का प्रचार–प्रसार किया जायेगा।
- रासायनिक जीवनाशी एवं खरपतवारनाशी के गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को सुदृढ किया जायेगा तथा इसके रासायनिक विश्लेषण हेतु उच्च कोटि की प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी।
- पर्वतीय क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार फसल सुरक्षा एवं कीट प्रबन्धन से सम्बन्धित सामग्री/उपकरण/साहित्य अनुदान पर उपलब्ध कराये जायेंगें।

कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक एवं सेवा प्रदाय व्यवस्था में सुधार

- प्रत्येक न्याय पंचायत में चयनित अटल आदर्श ग्रामों में कृषि निवेश केन्द्र स्थापित किये जायेंगें जहां कृषि विभाग के दो कर्मचारी उपलब्ध रहेंगें। कृषि विभाग के समस्त कार्यक्रमों/योजनाओं के सम्बन्धित न्याय पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन के लिए ये कर्मचारी उत्तरदायी होंगें। यह केन्द्र ग्राम सचिवालय का अंग होगा। इन केन्द्रों पर गुणवत्तायुक्त प्रमुख कृषि निवेशों जैसे कि उन्नत बीज, उर्वरकों एवं कृषि रक्षा रसायनों आदि की सामयिक एवं यथेष्ठ मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
- जनपद स्तर पर कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में कृषक सलाहकार समिति के सभी गैर–सरकारी सदस्यों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
- सभी कार्यक्रमों के वार्षिक सामाजिक सम्प्रेक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा तकनीकी प्रकृतिके कार्यक्रमों की 10 प्रतिशत अंश तक अन्य निरपेक्ष ख्यातिप्राप्त संस्था से तकनीकी सम्परीक्षा तथा मूल्यांकन कराया जायेगा। इस हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जायेगी।
- सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सामयिक निरीक्षण सुनिश्चित किया जायेगा।

अध्याय–9

सहायक सेवायें

कृषि विपणन

वर्तमान में कृषकों को उनके उत्पादन से प्राप्त होने वाले विक्रय मूल्य उपभोक्ताओं के लिए क्रय मूल्य से काफी कम है। कृषकों एवं उपभोक्ताओं दोनों वर्गों का मध्यवर्तियों द्वारा शोषण किया गया है। इससे इन दोनों वर्गों की क्रय शक्ति में कमी रही है जिससे अर्थव्यवस्था के विकास की दर कम रही है। पर्याप्त प्रतिस्पर्धा न होने के कारण क्रेताओं की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों वर्गों का नुकसान हुआ है। संगठित खुदरा विक्रय तंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। मूल्य संवर्धन के क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक निवेश की कमी से नई प्राविधिकी नहीं आ सकी है। शीघ्र नाशवान वस्तुओं जैसे सब्जी, फल इत्यादि में अनुपयोगिता (wastage) की दर को कम नहीं किया जा सका है। अवस्थापना सुविधाओं के अभाव में पूरे देश को कृषि उत्पादों के संदर्भ में एकल राष्ट्रीय बाजार (Single Notional Market) में परिवर्तित करने के संकल्प को व्यवहार रूप में परिणत नहीं किया जा सका है।

नीति / रणनीतिः–

उपरोक्त खामियों को दूर करने के दृष्टिकोण से कृषि विपणन के क्षेत्र मे निम्नलिखित त्रिआयामी सुधार क्रियान्वित किये जायेंगेः–

1. प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन 2. अवस्थापना सुविधाओं का विकास 3. विपणन सम्बंधी जानकारी का समुचित एवं सामयिक प्रसार

- *प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन*

○ राष्ट्रीय कृषक नीति के अनुसार किसानों की आय वृद्धि में बाधक सभी नियमों एवं विनियमों की समीक्षा कर उन्हें संशोधित किया जायेगा।

○ कृषकों के ग्रामवार स्वयं सहायता समूह निर्माण को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा उन्हें कृषि विपणन हेतु प्रारम्भिक प्रशिक्षण दिया जायेगा ताकि वे सामूहिक रूप से बड़े खुदरा व्यापारियों / निर्यातकों से सौदेबाजी कर सकें।

○ निजी मण्डी स्थापना, संविदा पर आधारित कृषि, कृषक समूहों द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे विपणन के लिए बाजारों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इसके लिए मण्डी अधिनियम में अनुकूल व्यवस्था की गई है। संविदा कृषि मण्डी शुल्क एवं सेस से पूर्णतः मुक्त रखी गई है।

○ जमाखोरी एवं सट्टेबाजी पर कठोर प्रतिबन्धों के अधीन कृषि उत्पाद एक्सचेंज की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क के अधीन पोषक मिलेट्स जैसे कुट्टू, मँडुवा, सांवा, काकुन और रागी इत्यादि फसलों के भण्डारण एवं विक्रय के माध्यम से खाद्य सुरक्षा समूह (Food Security Basket) का विस्तार किया जायेगा।

○ राज्य में पोषण (Nutrition) के दृष्टिकोण से संकटापन्न क्षेत्रों का अभिज्ञान कर इन क्षेत्रों में पोषण–युक्त स्थानीय फसलों के विकास हेतु आवश्यक प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा मृदा में विशेष प्रकार के प्राकृतिक खनिजों जैसे आयरन पाईराइट, जिप्सम, रॉक फास्फेट आदि को उर्वरक के रूप मे उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।

- *अवस्थापना सुविधाओं का विकास*

○ कृषि उत्पाद बाजार समितियों और राज्य कृषि विपणन बोर्डों के कार्यों को मात्र नियमन कार्यों से रूपांतरित किया जायेगा, ताकि स्थानीय उत्पादों की ग्रेडिंग, ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग तथा बाजारों के विकास को बढ़ावा दिया जा सके। साथ मण्डी अधिनियम में इस हेतु वित्त पोषण सुरक्षित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थायें की जायेंगी।

○ मण्डियों की स्थापना के दृष्टिकोण से प्रदेश के लिए एक वृहद योजना निर्मित कर कृषि उत्पादों की आवक के आधार पर उपयुक्त स्थानों पर सार्वजनिक/सहकारी/निजी क्षेत्र में रज्जु मार्ग, मण्डियों एवं प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। फल एवं सब्जियों के विपणन हेतु गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डलों में एक–एक उपयुक्त स्थान पर सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में टर्मिनल मार्केट की स्थापना की जायेगी।

○ जिला पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में ग्रामीण हाट/पैठ तथा पशु बाजारों को अवस्थापना विकास कर सुदृढ़ किया जायेगा।

○ फल–सब्जी मण्डियों तथा मत्स्य बाजारों में शीघ्र नाशवान उत्पादों के भण्डारण/अवशीतन श्रृंखला स्थापित करने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

○ मण्डी स्थलों तथा उप मण्डी स्थलों में आवश्यकतानुसार सार्वजनिक क्षेत्र में कृषकों को अपना उत्पाद भण्डारित करने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

○ जिन कृषि उत्पादों की देश एवं विदेश में पहचान है एवं जिनमें तुलनात्मक लाभ अधिक है उनके विपणन/निर्यात हेतु एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की स्थापना की जायेगी तथा पूर्व से स्थापित जोन्स को सुदृढ़ किया जायेगा।

○ सामुदायिक खाद्यान्न बैंकों की स्थापना को बढ़ावा दिया जायेगा, जिससे अल्प प्रयुक्त फसलों के विपणन में मदद मिलेगी और इस प्रकार कृषि जैव विविधिता के संरक्षण में आर्थिक विकास को बल मिलेगा।

- *विपणन सम्बन्धी जानकारी का समुचित एवं सामयिक प्रसार*

○ मण्डी परिषद् में संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी के अधीन कृषि तथा औद्यानिक उत्पादों के मूल्य तथा आवक के सम्बन्ध में सूचना तंत्र को अधिक गतिशील एवं व्यापक बनाने हेतु एक पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।

○ विकासखण्ड मुख्यालय पर स्थित किसान सूचना एवं परामर्श केन्द्रों को स्वैन (State Wide Area Netwaork) से जोड़ा जायेगा तथा इन्हें निजी सहभागिता प्रबन्धन के अधीन क्रियान्वित किया जायेगा। प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले इन्टरनेट कियोस्क पर कृषि उत्पादों के बाजार भाव से सम्बन्धित अद्यतन सूचनायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

○ सूचना प्रौद्योगिकी का कृषिकरण तकनीक एवं कृषि विपणन के प्रचार–प्रसार में अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

○ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मण्डियों में इलैक्ट्रोनिक आक्शन की व्यवस्था की जायेगी।

○ मण्डी शुल्क के रूप में होने वाली कुल धनराशि का 1 प्रतिशत कृषि विपणन शोध के लिए व्यय किया जायेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें

सूचना प्रौद्योगिकी का अनुकूलतम उपयोग फसल प्रबन्धन, विपणन, भूमि की प्रकृति एवं मौसम सम्बन्धि सूचनाओं को मुहैया कराने के लिए किया जायेगा। उपग्रह चित्र आधारित भौगोलिक सूचना तंत्र का विकास क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर आधारित सूक्ष्म नियोजन, कार्यक्रम निर्धारण एवं कार्यान्वयन के लिए किया जायेगा।

कृषि ऋण एवं सहकारी समितियाँ

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक शाखाओं के संदर्भ में असेवित क्षेत्रों को वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) के अन्तर्गत लाने हेतु पहल की गई है। बैंकिंग तंत्र को राज्य सरकार द्वारा इस हेतु अपेक्षित सहयोग दिया जायेगा।
- स्वयं सहायता समूहों और कृषक उत्पादक समूहों को प्रोत्साहित किया जायेगा जिससे वे कृषि ऋण की पूर्ति में सहायक बन सकें। इसके लिए यथावश्यक सहकारी नियमों में संशोधन किया जायेगा।
- कृषि ऋण लेने एवं अन्य सुविधाओं के उपयोग में सुगमता की दृष्टि से किसान पासबुक/क्रेडिट कार्ड के प्रयोग को व्यापक बनाया जायेगा।

- साधन सहकारी समितियों का कार्यक्षेत्र व्यापक बनाया जायेगा ताकि उनकी जीव्यता एवं सम्भाव्यता बनी रहे। इन्हें बहुउद्देशीय बनाया जायेगा। समस्त कृषि निवेश वितरण साधन यथासम्भव सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने पर बल दिया जायेगा। जैविक फसल उत्पादों के विपणन में सहकारी समितियों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जायेगी।
- सहकारी समितियों की भण्डारण क्षमता में आवश्यकतानुसार वृद्धि की जायेगी।

अध्याय–10

मानव संसाधन विकास

कृषि शिक्षा

मुक्त बाजार व्यवस्था में निरन्तर परिवर्तनशील आर्थिक परिदृष्य के सापेक्ष जहाँ अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धा का स्तर काफी ऊँचा हो गया है। प्रदेश में कृषि शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के क्षमता विकास हेतु निम्न बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा :–

- कृषि सम्बन्धी वास्तविक समस्याओं के निवारण हेतु अर्जित ज्ञान के उपयोग की क्षमता का विकास।
- वैश्लेषिक एवं नैदानिक कौशल का उच्चीकरण ताकि उनमें बेहतर निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सके।
- उन्हें स्वरोजगार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार।

नीति/रणनीति

उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित उपायों पर बल दिया जायेगा :–

- अध्यापन की गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा। इस हेतु अध्यापकों के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जायेंगे जिसमें नई शैक्षिक तकनीकों से उन्हें अवगत कराया जायेगा तथा नई शैक्षिक तकनीकों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के लिए आवश्यकता क्षेत्र भ्रमण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को पाठ्यचर्चाओं में अनिवार्यतः अंगीकृत किया जायेगा।
- पाठ्यचर्चाओं की नये कृषि आर्थिक परिदृष्य के सापेक्ष निरन्तर समीक्षा की जायेगी एवं अपेक्षित सुधार किये जायेंगे। पं0 गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय के अन्तर्गत पाठ्यचर्चा विकास प्रकोष्ठ तथा पाठ्य सामग्री विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी।

- बारानी कृषि, हाइड्रोपोनिक्स, Genomics and Transgenics, पुष्प कृषि, मात्स्यिकी, कृषि आर्थिकी, कृषि व्यवसाय प्रबन्धन, फसलोत्तर प्राविधिकी एवं फार्म आर्थिक मॉडल के विकास के लिए बहुविधीय कृषि में शोध एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- सुदूर शिक्षा पद्धति एवं पारम्परिक शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत अल्पावधि पाठ्यक्रमों का संचालन किया जायेगा जिससे कृषिकों, कृषि एवं सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों तथा कृषि निवेश विक्रेताओं तथा कृषि व्यवसाय प्रबन्धकों को अधुनातन प्राविधिकी का सामयिक ज्ञान हो सके।
- कृषि एवं ग्राम्य विकास के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित तकनीकों के विकास के सम्पूर्ण देश में शीर्ष स्थान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।
- पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा ख्यातिप्राप्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों / संस्थाओं एवं औद्योगिकी प्रतिष्ठानों से समझौता ज्ञापन निष्पादित किये जायेंगे तथा रेजिडेन्ट प्रोफेसरशिप एवं एडजंक्ट प्रोफेसरशिप की प्रथा कायम की जायेगी। इनके तहत पंतनगर विश्वविद्यालय एवं वर्णित संस्थाओं के मध्य संकाय सदस्यों के निरन्तर अल्पकालिक आदान–प्रदान की व्यवस्था होगी।
- पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रत्येक स्तर के लिए Learning Resourec Development Cell स्थापित किया जायेगा जिसके द्वारा पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की जायेंगी।
- कृषि विज्ञान केन्द्रों पर तथा विशेष उत्पादों पर आधारित शोध केन्द्रों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

कृषि शोध

- स्थानीय जलवायु शस्य दशाओं एवं जल उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकता पर आधारित समस्यामूलक अनुसंधान को महत्व दिया जायेगा। सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी आदि सभी कारकों, जो कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं, का गंभीरता से अध्ययन एवं चिन्हित कर इन अवरोधकों का वैज्ञानिक हल प्राथमिकता के आधार पर ढूंढा जायेगा। अनुसंधान कार्यों में कृषि विविधीकरण को महत्व दिया जायेगा तथा प्रदेश के चारों खण्डों हेतु उपयुक्त फसलों सब्जियों, फलों, फूलों, औषधीय एवं संगधित पौधों, मसालों, चाय एवं जड़ी–बूटियों को चिन्हित कर उन पर अनुसंधान कार्य किये जायेंगे।
- सभी जनपदों हेतु निर्मित रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना (Strategic Research and Extention Plan) में इंगित शोध बिन्दुओं पर वित्त पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

- फार्मिंग सिस्टम एप्रोच पर आधारित मिश्रित कृषि के लाभप्रद मॉडलों का विकास किया जायेगा। इस हेतु पंतनगर विश्वविद्यालय में एक Special Purpose Vehicle स्थापित किया जायेगा जो बहुआयामी एवं बहुविधा शोध को दिशा एवं गति प्रदान करेगा।
- प्रदेश में एक *"सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स इन ग्रीन हाउस टेक्नोलोजी* की स्थापना की जायेगी जिससे हाइटेक औद्यानिकी तथा पॉलीहाउस से सम्बन्धित शोध विकास एवं कृषकों को प्रशिक्षण देने का कार्य सुचारू रूप से किया जा सके।
- पर्वतीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त छोटे एवं मध्यम आकार के गाय एवं भैसों की नस्लों के विकास पर शोध कार्य केन्द्रित किये जायेंगे।
- विभिन्न पशुओं के पोषण के मानकों का निर्धारण एवं उनके प्रमुख स्रोतों पर शोध कार्य किये जायेंगे।
- पशु स्वास्थ्य सुधार को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय परजीवियों एवं विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान एवं प्रबन्धन पर शोध कार्य किये जायेंगे।
- फसलोत्पादन में लागत कम करने हेतु विशेष अनुसंधान कार्य किये जायेंगे।

कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण

वर्तमान स्थिति

राज्य में पर्वतीय क्षेत्र में राज्य गठन के पूर्व कृषि प्रसार हेतु प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव था। राज्य गठन के पश्चात् प्रत्येक जनपद में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक जनपद में कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण एवं प्रत्येक विकास खण्ड में ब्लॉक टैक्निकल टीम तथा कृषक सूचना एवं परामर्श समिति का गठन किया गया है। प्रत्येक जनपद के लिए रणनीतिक शोध एवं प्रसार योजना का निर्माण किया गया है। Farmer to Farmer Extension Scheme तथा Support to Extension Efforts for Extension Reforms Scheme क्रियान्वित की गई है। जैविक कृषि के विकास के लिए प्रत्येक विकास खण्ड के एक मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है। इस वर्ष से प्रत्येक न्याय पंचायत में कृषि विभाग का एक बहुउद्देशीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रत्येक न्याय पंचायत में एक प्रगतिशील कृषक एवं प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक सम्पर्क कृषक चयनित कर इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बासमती उत्पादक ग्रामों में स्वयं सहायता समूह गठित किये गये हैं जिन्हें दो चरणों में प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा बासमती उत्पादन संग्रहण एवं विपणन से सम्बन्धित साहित्य प्रत्येक बासमती कृषक को उपलब्ध कराया गया है। निजी संस्थाओं द्वारा कतिपय जनपदों में ई0–चौपाल स्थापित किये गये हैं।

नीति / रणनीति

यह अनुभव किया जा रहा है कि आर्थिक विकास एवं साक्षरता की दर बढ़ने के साथ–साथ शासन की विभिन्न विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में भूमिका केवल शासकीय वित्त पोषित संचालन की न रहकर सक्षम नियंत्रक एवं निजी प्रयासों को प्रोत्साहन प्रदान करने वाले संगठन में परिवर्तित हो रही है। नियंत्रण का स्वरूप भी सीधे नियंत्रण का न होकर नीतियों एवं नियमों के माध्यम से नियंत्रण का हो रहा है। अतः अब प्राथमिकता इस बात की है कि निजी प्रयासों को बल देने एवं सार्वजनिक प्रयासों से समन्वित करने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन किया जाय; निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले; कृषक संगठनों का सुदृढ़ीकरण किया जाये; भौतिक वित्तीय एवं संस्थागत अवस्थापना को सुदृढ़ किया जाये तथा सम्मुन्नत सूचना तंत्र का विकास किया जाये। विभिन्न स्तरों पर सतत् प्रभावी अनुश्रवण द्वारा नई नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावों का मूल्यांकन कर नई पहल द्वारा उनमें सुधार किये जायें तथा दीर्घकालिक वित्तीय स्वावलम्बन स्थापित करने का प्रयास किये जायें।

कृषि प्रसार सम्बन्धी नई नीति / रणनीति के निम्नलिखित मुख्य आयाम होंगे :–

- नीतिगत सुधार
- संस्थागत पुर्नगठन एवं प्रबन्धन सुधार
- शोध–प्रसार समन्वय का सुदृढ़ीकरण
- क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयन
- कृषकों का सशक्तिकरण
- महिलाओं को कृषि की मुख्यधारा से जोड़ना
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं दृश्य, श्रव्य एवं मुद्रित माध्यमों का उपयोग
- वित्तीय स्वालम्बन
- युवाओं में कृषि के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना

नीतिगत सुधार

1. एकल फसल प्रसार व्यवस्था परिवर्तित कर फार्मिंग सिस्टम एप्रोच पर आधारित प्रसार व्यवस्था लागू की जायेगी। मिश्रित खेती, पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जोखिम प्रबन्धन, आय एवं रोजगार सृजन, जो कृषक परिवारों एवं कृषि के सातत्य के लिए आवश्यक हैं, इस व्यवस्था के प्रमुख अवयव होंगे। इसमें कृषकों की आवश्यकता को प्रमुखता दी जायेगी।

2. कृषि प्रसार में सार्वजनिक माध्यम के साथ–साथ निजी माध्यमों की भागीदारी सुनिचित की जायेगी। इसके लिए एक ओर जहाँ कृषि एवं सम्बद्ध विभागों एवं कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा वहीं दूसरी ओर कृषकों संगठनों, निजी प्रसार कार्यकर्ताओं, कृषि निवेश वितरकों, औद्योगिकी उपक्रमों को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे।

3. कार्यक्रमों के स्वरूप निर्धारण, कृषि सम्बन्धी समस्याओं के अभिज्ञान, उचित प्राविधिकी के उपयोग एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि कृषकों की सहभागिता से सुनिश्चित किये जायेंगे।

4. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए बाजार उन्मुख कृषि प्रसार को बढ़ावा दिया जायेगा इसके लिए पूरे देश के बाजारों की मांग के अनुसार फसल प्रबन्धन एवं फसलोत्तर प्रबन्धन के लिए सभी Stakeholders को प्रशिक्षित किया जायेगा।

5. कृषि सम्बन्धी समस्याओं के स्वयं निदान हेतु प्रगतिशील कृषकों एवं सम्पर्क कृषकों को कौशल उन्नयन की दिशा में सशक्त किया जायेगा।

6. निजी क्षेत्र को तकनीक अन्तरण के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। इन तकनीकों में संकर बीज, कृत्रिम गर्भाधान, जैव उर्वरक, कृषि यांत्रिकी, अन्य कृषि निवेश एवं सेवायें सम्मिलित होंगी। निजी क्षेत्र के इस दिशा में उन्नयन के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता उत्तरोत्तर कम की जायेगी। वित्तीय संसाधनों की इस प्रकार हुई बचत को कृषि विकास के लिए अन्यत्र उपयोग किया जायेगा। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा कार्यवार/कार्यक्रमवार अनावर्तक अनुदान दिया जायेगा।

• संस्थागत पुनर्गठन एवं प्रबन्धन सुधार

1. सार्वजनिक प्रसारकर्मियों की संख्या में कमी करते हुए उन्हें निरन्तर नई प्राविधिकियों एवं कौशल विकास में प्रशिक्षित किया जायेगा।

2. जनपदीय कृषि प्राविधिकी प्रबन्धन अभिकरण के तत्वावधान में विकासखण्ड एवं न्याय पंचायत स्तर पर सिंगल विन्डो प्रसार तंत्र स्थापित किया जायेगा।

3. सार्वजनिक प्रसार कर्मियों के संवर्गों का पुनर्गठन एवं उन्नयन किया जायेगा ताकि वे कृषि प्रसार सम्बन्धी विविध सेवायें आधुनिक तकनीकों के परिप्रेक्ष्य में उचित ढंग से किसानों को प्रदान कर सकें।

4. एकल कृषक के स्थान पर लाभार्थी समूहों एवं स्वयं सेवी समूहों के माध्यम से प्रसार कार्यक्रमों को प्रोत्साहन।

शोध–प्रसार समन्वय का सुदृढ़ीकरण

1. कृषकों, शोध कर्मियों तथा कृषि अर्थशास्त्रियों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया जायेगा ताकि क्षेत्र विशेष में एकत्र होकर वे समस्याओं का अध्ययन एवं अभिज्ञान कर सकें तथा उनके निदान के लिए उस क्षेत्र विशेष के अनुरूप संस्तुतियाँ प्रदान कर सकें। यह सहभागी अध्ययन एवं निदान कृषि प्रसार के लिए स्वतः प्रेरणा प्रदान करेगा।
2. जनपदीय कृषि प्राविधिक प्रबन्धन अभिकरणों द्वारा निर्मित रणनीति शोध एवं प्रसार योजना में इंगित किये गये विषयों/समस्याओं पर शोध कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषित किया जायेगा।

क्षमता विकास एवं कौशल उन्नयन

1. कृषि प्रसार कार्मिकों के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण योजना निर्मित की जायेगी। निम्नलिखित विधाओं में मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से आयोजित किये जायेंगे :–
   - कृषकों की आश्यकता का आकलन एवं सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन
   - समूह गठन
   - कृषि व्यवसाय के लिए उद्यमिता कौशल विकास
   - कृषि व्यवसाय प्रबन्धन
   - उत्तर फसल प्रबन्धन
   - सार्वजनिक आस्तियों का प्रबन्धन एवं विकास
   - योजना निर्माण
   - आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण एवं अभिलेखीकरण
   - विभिन्न विषयों में आधारिक, पुर्नबोध एवं उच्चीकृत प्रशिक्षण
2. प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण। इनमें Professional एवं Competitive वातावरण का सृजन करना। इन संस्थानों के उन्नयन का केन्द्र बिन्दु Core Competence में दक्षता होगी। अन्य विधाओं में प्रशिक्षण के लिए विभिन्न संस्थाओं से संकाय सदस्यों एवं सुविधाओं के आदान–प्रदान की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ताकि व्यय भार में कमी लाते हुए भी ये संस्थान नये आर्थिक परिदृष्य के सापेक्ष अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें।

कृषकों का सशक्तिकरण

1. कृषि विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों, योजनाओं, नीतियों के निर्माण में कृषकों / कृषण प्रतिनिधियों की अनिवार्य एवं सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।
2. कृषक समूहों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की व्यवस्था चरणबद्ध रूप से अंगीकृत की जायेगी।
3. कृषकों को कौशल उन्नयन तथा कृषि से सम्बन्धित विभिन्न विषयों में दीर्घकालिक योजना निर्मित कर निरन्तर प्रशिक्षित किया जायेगा।

महिलाओं को कृषि की मुख्यधारा से जोड़ना

1. उत्तराखण्ड प्रदेश में आधे से अधिक कृषक महिलायें हैं। कृषि सम्बन्धित 70–80 प्रतिशत कार्य महिलाओं द्वारा ही किये जाते हैं। कृषि में महिलाओं को प्रशिक्षण, अनुसंधान, आर्थिक सहायता एवं विपणन में सहयोग देकर उनके योगदान को प्रभावी बनाया जायेगा।
2. प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रमों में महिला कृषकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जायेगा। कृषि प्रशिक्षण संस्थाओं तथा पाठ्यक्रमों को जेन्डर संवेदनशील बनाया जायेगा।
3. कृषि प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यों में महिलाओं कृषकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रसार व अन्य उच्च स्तरों पर तकनीकी व प्रबन्धकीय कर्मचारियों में महिलाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया जायेगा।
4. कृषि में महिलाओं की व्यापक भूमिका को देखते हुए कृषि तकनीक एवं उपकरणों को उनके अनुकूल विकसित करने के लिए शोध एवं प्रसार को प्रोत्साहित किया जायेगा।
5. महिला स्वयं सहायता समूहों को सहकारी खेती के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा तथा कृषि एवं सम्बन्धित कार्यों (उत्पादन प्रसंस्करण एवं विपणन) से जुड़ी प्रक्रियाओं का महिलाओं के लिए सरलीकरण किया जायेगा।
6. पशुपालन इकाईयों, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्पोत्पादन तथा खाद्य प्रसंस्करण को महिलाओं द्वारा कुटीर उद्योग के रूप में अपनाये जाने व सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिए आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिये जायेंगे तथा इनमें महिला स्वयं समूहों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

7. कृषि आधारित महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण, परामर्श सेवा एवं वित्तीय संस्थाओं के द्वारा सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से ऋण दिलाये जाने की समुचित व्यवस्था की जायेगी तथा कृषि ऋण आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं दृश्य, श्रव्य एवं मुद्रित माध्यमों का उपयोग

1. शहरी क्षेत्रों की तरह ही सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाले लाभ को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाया जायेगा ताकि कृषि के विकास में ये सहायक सिद्ध हो सकें। विकास खण्ड स्तर पर कृषि सूचना एवं सलाह केन्द्र स्थापित कर अधिक से अधिक कृषकों को नई कृषि शोध एवं तकनीकों से परिचित कराया जायेगा।

2. रेडियो एवं टीवी पर कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों से सम्बन्धित सामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण को बढ़ावा दिया जायेगा। पंतनगर विश्वविद्यालय के अधीन कृषि प्रसार निदेशालय कार्यक्रमों के निर्माण, संयोजन एवं विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा।

3. विस्तृत एग्रीकल्चर पोर्टल तथा ई–एग्रीक्लिनिक एप्लीकेशन को शीघ्र निर्मित कर प्रदेश में स्थापित होने वाले इलैक्ट्रोनिक कियोस्क से कृषकों के लाभ हेतु संचालित किया जायेगा।

4. भौगोलिक सूचना प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह चित्रों के सहयोग से एप्लीकेशन निर्मित कर प्रत्येक किसान को उसके द्वारा धारित भूमि से सम्बन्धित एवं कृषिकरण से सम्बन्धित अनुकूलतम जानकारी प्रदान की जायेगी।

5. प्रदेश की कृषि मण्डियों को पूर्ण रूप से कम्प्यूट्रीकृत किया जायेगा तथा कृषि उत्पादों से सम्बन्धित सामयिक मांग एवं बाजार भाव सम्बन्धी दैनिक सूचना इलैक्ट्रोनिक कियोस्क के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

वित्तीय स्वावलम्बन

1. उच्च शिक्षित प्रसार कर्मियों/अधिकारियों जिनमें शोधार्थियों से सीधे सम्पर्क कर लाभान्वित होने की क्षमता हो, कृषक समूहों, निजी प्रसार माध्यमों एवं पैराकर्मियों का एकीकृत तंत्र स्थापित कर शासन के वित्त भार में कमी करने का प्रयास किया जायेगा।

2. उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जायेगा। इस उपयोग के केन्द्र बिन्दु कृषि लागत में कमी लाना, आवश्यकता पर आधारित प्रसार आच्छादन, समस्याओं एवं आवश्यकताओं का सहभागी अभिज्ञान, कार्य के प्रति वचनबद्धता व उत्तरदायित्व एवं प्रभाव मूल्यांकन होंगे।

3. कृषि सेवाओं के निजीकरण को प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस हेतु ऐसे वातावरण का सृजन किया जायेगा जिसमें तकनीकों के सृजन एवं हस्तान्तरण में निजी निवेश एवं अभिरूचि को आकर्षित किया जा सके। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधार उत्पाद विविधीकरण को बढ़ावा दिया जायेगा। अधिकतम क्षेत्रों में पब्लिक प्राईवेट पार्टिसिपेशन को अंगीकृत किया जायेगा।

4. विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वशासी संस्थाओं के लिए चक्रीय निधि तथा स्क्रॉल फण्ड की व्यवस्था की जायेगी।

युवाओं में कृषि के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना

कृषि–क्लीनिकों और उत्पादन–सह–प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना हेतु शिक्षित युवाओं को सहायता एवं समर्थन प्रदान किया जायेगा। कृषि क्षेत्र की ओर युवाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से कृषि विविधीकरण एवं कृषि से सम्बद्ध क्रियाकलापों हेतु कम ब्याज पर ऋण दिया जायेगा तथा कृषि के विभिन्न पहलुओं पर निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं में विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करते हुए प्रोत्साहित किया जायेगा।

ओम प्रकाश,

सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा
एवं कृषि विपणन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–04 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 16 पर)

जनपदवार विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निर्मित पंचायत भवनों की संख्या	निर्माणाधीन पंचायत भवनों की संख्या	प्रस्तावित पंचायत भवनों की संख्या	कुल निर्मित/निर्माणाधीन/प्रस्तावित पंचायत भवनों की संख्या
1.	बागेश्वर	0	1	0	1
2.	उत्तरकाशी	2	1	11	14
3.	पिथौरागढ	2	4	8	14
4.	पौड़ी गढ़वाल	0	3	51	54
5.	नैनीताल	0	3	3	6
6.	अल्मोड़ा	0	10	0	10
7.	ऊधमसिंह नगर	1	0	2	3
8.	देहरादून	0	0	193	193
9.	चमोली	0	0	0	0
10	टिहरी गढ़वाल	0	0	63	63
11.	हरिद्वार	0	0	0	0
12.	रूद्रप्रयाग	0	6	25	31
13.	चम्पावत	0	0	0	0
	योग	5	28	356	389

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–05 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 14 पर)

परियोजनाएं जिन पर निर्माण कार्य विलम्ब से चल रहा है :–

क्र0 सं0	जनपद	परियोजना का नाम	क्षमता (कि0वा0)	विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्राम एवं तोक	परियोजना पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	विलम्ब का कारण	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	टिहरी	चिनरवाड़	50	2 ग्राम	सितम्बर, 2011	• ग्राम समितियों द्वारा परियोजना का निर्माण किया जाना • दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होने के कारण वर्ष में 5–6 माह ही कार्य हो पाना।	मार्च, 2012
2.	टिहरी	कोटीखाला	200	4 ग्राम एवं 1 तोक	सितम्बर, 2011	• ग्राम समितियों द्वारा परियोजना का निर्माण किया जाना • दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होने के कारण वर्ष में 5–6 माह ही कार्य हो पाना।	मार्च, 2012
3.	बागेश्वर	गोगीना–2	50	4 ग्राम एवं 2 तोक	अक्टूबर, 2008	• ग्राम समितियों द्वारा परियोजना का निर्माण किया जाना • दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होने के कारण वर्ष में 5–6 माह ही कार्य हो पाना।	नवम्बर, 2011
4.	बागेश्वर	वाछम	500	2 ग्राम एवं 6 तोक	अक्टूबर, 2008	• वन भूमि जून, 2008 में हस्तान्तरित होने के कारण कार्य विलम्बित हुए हैं। • परियोजना का निर्माण कार्य माह सितम्बर, 2011	मार्च, 2012

1	2	3	4	5	6	7	8
						तक पूर्ण कराये जाने हेतु स्थल पर प्रयास किये गये किन्तु ग्राम समिति द्वारा परियोजना के निर्माण कार्य में रूचि न लिये जाने के कारण कार्य विगत 3–4 माह से अवरूद्ध है। • समिति द्वारा कार्यों को पूर्ण किये जाने में रूचि न लिए जाने के कारण कार्यों को पूर्ण कराये जाने के कारण अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रण की कार्रवाई प्रगति पर है	
5.	उत्तरकाशी	खापूगाड	40	1 ग्राम	सितम्बर, 2011	• ग्राम समितियों द्वारा परियोजना का निर्माण किया जाना • दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होने के कारण वर्ष में 5–6 माह ही कार्य हो पाना।	फरवरी, 2012
6.	उत्तरकाशी	चिलूडगाड	100	3 ग्राम एवं 1 तोक	सितम्बर, 2011	• ग्राम समितियों द्वारा परियोजना का निर्माण किया जाना • दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होने के कारण वर्ष में 5–6 माह ही कार्य हो पाना।	मार्च, 2012
7.	पिथौरागढ	दूग्तू	25	2 ग्राम	जनवरी, 2012	• ग्राम समितियों द्वारा परियोजना का निर्माण किया जाना • दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होने के कारण वर्ष में 5–6 माह ही कार्य हो पाना।	नवम्बर, 2012
8.	पिथौरागढ	नागलिंग	50	3 ग्राम	जनवरी, 2012	• ग्राम समितियों द्वारा परियोजना का निर्माण किया जाना • दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होने के कारण वर्ष में 5–6 माह ही कार्य हो पाना।	नवम्बर, 2012

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	पिथौरागढ़	सैला	50	1 ग्राम	जनवरी, 2012	• ग्राम समितियों द्वारा परियोजना का निर्माण किया जाना • दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होने के कारण वर्ष में 5–6 माह ही कार्य हो पाना।	नवम्बर, 2012
10.	पिथौरागढ़	बूंदी	50	1 ग्राम	जनवरी, 2012	• ग्राम समितियाँ द्वारा परियोजना का निर्माण किया जाना • दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित होने के कारण वर्ष में 5–6 माह ही कार्य हो पाना।	नवम्बर, 2012

संलग्नक–2

ग्रामीण सहभागिता आधार पर निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों में स्थापित सौर ऊर्जा संयत्र

क्र0 सं0	जनपद	ल0ज0वि0 योजना का नाम	क्षमता (कि0वा0)	विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों के नाम	पूर्व में स्थापित सौर ऊर्जा संयत्र संख्या
1.	बागेश्वर	वाछम	500	खाती	40
2.	उत्तरकाशी	खापूगाड	40	धातमीर	42
3.	उत्तरकाशी	पिलूड़गाड	100	आरला	95
4.				गंगार	17
5.				पवा	17
6.	पिथौरागढ़	दुग्तू	50	दुग्तू	20
7.				बौन	34
8.	पिथौरागढ़	कुट्टी	50	कुट्टी	38
9	पिथौरागढ़	सैला	50	सैला	25
10	पिथौरागढ़	बूंदी	50	बूंदी	56
11	पिथौरागढ़	नपलच्यू	50	नपलच्यू	25
12				गुंजी	46
13	पिथौरागढ़	रोंगकोंग	50	रोंगकोंग	24
14				नाबी	44
15	टिहरी	कोटीझाला	200	तितरोना	57

संलग्नक–3

परियोजनाएं जिनमें कार्य निर्धारित समयान्तर्गत प्रगति पर है :–

क्र0 सं0	जनपद	परियोजना का नाम	क्षमता (कि0वा0)	विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्राम एवं तोक	पूर्ण होने की सम्भावित तिथि
1.	चमोली	हाफला	200	ग्रिड फीडिंग	अक्टूबर, 2012
2.	चमोली	निगोलगाड	100	ग्रिड फीडिंग	अक्टूबर, 2012
3.	पिथौरागढ़	कुट्टी	50	1 ग्राम	नवम्बर, 2012
4.	पिथौरागढ़	नपलच्यू	50	2 ग्राम	नवम्बर, 2012

परियोजनाओं का निर्माण ऊर्जा समितियों के माध्यम से ग्रामीण सहभागिता आधार पर किया जा रहा है।

नत्थी "घ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–05 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 9 पर)

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण "उरेडा" देहरादून विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जा योजनाओं हेतु उपलब्ध वित्तीय सहायता/अनुदान

क्र0सं0	परियोजना का नाम	लाभार्थियों की श्रेणी	वित्तीय सहायता	
1.	सोलर वाटर हीटर	घरेलू/गैर व्यावसायिक श्रेणी के लाभार्थियों को।	60% केन्द्रीय वित्तीय सहायता	
		व्यावसायिक श्रेणी के लाभार्थियों को।	30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता लाभार्थियों को।	
2.	डिश सोलर कुकर एवं स्टीम सोलर कुकर	घरेलू/गैर व्यावसायिक श्रेणी के लाभार्थियों को।	60% केन्द्रीय वित्तीय सहायता	
		व्यावसायिक श्रेणी के लाभार्थियों को।	30% केन्द्रीय वित्तीय सहायता	
3.	पारिवारिक बायोगैस संयंत्र (01 घन मी0 से 04 घन मी0)	व्यक्तिगत लाभार्थी	रु0 4000–10,000 तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता	
4.	बायोगैस से विद्युत उत्पादन	डेरी, गौ सदन, आश्रम आदि	रु0 40,000/– प्रति कि0वा0 (केन्द्रीय वित्तीय सहायता)	
5.	एरोजनरेटर सोलर विन्ड हाईब्रिड संयंत्र	शासकीय, चैरीटेबल, अनुसंधान एवं विकास गैर व्यावसायिक श्रेणी	रु0 1.50 लाख प्रति कि0वा0	
		व्यक्तिगत, निजी, व्यावसायिक श्रेणी	रु0 1.00 लाख प्रति कि0वा0	
6.	घराट सुधारीकरण (इलेक्ट्रोमेकेनिकल)	सर्वे अनुसार लाभार्थी चयन उपरान्त समस्त श्रेणी	रु0 1,18,000.00 प्रति	
7.	घराट सुधारीकरण (मैकेनिकल)		रु0 41,000.000 प्रति	
8.	सोलर पावर प्लान्ट (सभी प्रकार के लाभार्थी)	1 किलोवाट	रु0 81/– प्रतिवाट या 30 प्रतिशत परियोजना लागत (जो भी कम हो।) बैट्री बैकअप सहित)	रु0 57 /– प्रतिवाट या 30 प्रतिशत परियोजना लागत (जो भी कम हो।) (बिना बैकअप)
9.	सोलर पम्प (व्यक्तिगत लाभार्थी सिंचाई/सामुदायिक पेयजल के लिए)	1 किलोवाट		
10.	सोलर पावर प्लान्ट (अव्यावसायिक/व्यावसायिक उपयोग/औद्योगिक लाभार्थी)	100 किलोवाट		
11.	सोलर पावर प्लान्ट (केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों हेतु)।	100 किलोवाट	रु0 243/– प्रतिवाट या 90 प्रतिशत परियोजना लागत (जो भी कम हो।)	रु0 171/– प्रतिवाट 90 प्रतिशत परियोजना लागत (जो भी कम हो।)

नत्थी ''ङ''

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–08 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 10 पर)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों की संख्या	जीर्णशीर्ण पंचायत भवनों, जहाँ नवनिर्माण प्रस्तावित है, की संख्या	योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	31		31	जनपद द्वारा पंचायत भवन विहीन व पुनर्निर्माण योग्य पंचायत भवनों की सम्मिलित संख्या दी गयी है।
		धारचूला	14		14	
		कनालीछीना	26		26	
		डीडीहाट	22		22	
		बेरीनाग	15		15	
		मुनस्यारी	32		32	
		गंगोलीहाट	28		28	
		योग	176		176	
2.	ऊधमसिंह नगर	खटीमा	3	7	10	
		सितारगंज	1	4	5	
		रूद्रपुर	5	0	5	
		गदरपुर	1	2	3	
		बाजपुर	2	2	4	
		काशीपुर	2	6	8	
		जसपुर	0	2	2	
		योग	14	23	37	
3.	नैनीताल	धारी	2		2	जनपद द्वारा पंचायत भवन विहीन व पुनर्निर्माण योग्य पंचायत भवनों की सम्मिलित संख्या दी गयी है।
		ओखलकाण्डा	5		5	
		भीमताल	13		13	
		रामगढ़	6		6	
		बेतालघाट	7		7	
		कोटाबाग	1		1	
		रामनगर	16		16	
		हल्द्वानी	1		1	
		योग	51		51	

1	2	3	4	5	6	7
4.	रूद्रप्रयाग	अगस्त्यमुनि	2		2	जनपद द्वारा पंचायत भवन विहीन व पुनर्निर्माण योग्य पंचायत भवनों की सम्मिलित संख्या दी गयी है।
		जखोली	4		4	
		ऊखीमठ	2		2	
		योग	8		8	
5.	देहरादून	चकराता	1		1	जनपद द्वारा पंचायत भवन विहीन व पुनर्निर्माण योग्य पंचायत भवनों की सम्मिलित संख्या दी गयी है।
		कालसी	2		2	
		विकासनगर	3		3	
		सहसपुर	1		1	
		रायपुर	5		5	
		डोईवाला	8		8	
		योग	20		20	
6.	हरिद्वार	बहादराबाद	5	3	8	
		लक्सर	3	0	3	
		खानपुर	2	3	5	
		भगवानपुर	6	2	8	
		रुड़की	1	1	2	
		नारसन	1	7	8	
		योग	18	16	34	
7.	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	12		12	
		डुण्डा	33		33	
		चिन्यालीसौड़	17		17	
		नौगांव	13		13	
		पुरोला	5		5	
		मोरी	20		20	
		योग	100		100	
8.	अल्मोड़ा	हवालबाग	21		21	
		भैंसियाछाना	15		15	
		धौलादेवी	13		13	
		लमगड़ा	30		30	
		ताकुला	5		5	
		ताड़ीखेत	11		11	
		द्वाराहाट	14		14	
		चौखुटिया	31		31	
		भिकियासैंण	8		8	
		स्याल्दे	7		7	
		सल्ट	10		10	
		योग	165		165	

1	2	3	4	5	6	7
9.	बागेश्वर	बागेश्वर	20		20	जनपद द्वारा पंचायत भवन विहीन व पुनर्निर्माण योग्य पंचायत भवनों की सम्मिलित संख्या दी गयी है।
		कपकोट	4		4	
		गरूड़	3		3	
		योग	27		27	
10.	पौड़ी	कोट	15		15	जनपद द्वारा पंचायत भवन विहीन व पुनर्निर्माण योग्य पंचायत भवनों की सम्मिलित संख्या दी गयी है।
		थलीसैंण	29		29	
		द्वारीखाल	24		24	
		यमकेश्वर	15		15	
		जयहरीखाल	13		13	
		नैनीडांडा	7		7	
		कल्जीखाल	15		15	
		पोखड़ा	8		8	
		रिखणीखाल	12		12	
		खिर्सू	4		4	
		पौड़ी	8		8	
		पाबौ	6		6	
		दुगड्डा	1		1	
		बीरोंखाल	3		3	
		एकेश्वर	8		8	
		योग	168		168	
11.	चमोली	जोशीमठ	24		24	जनपद द्वारा पंचायत भवन विहीन व पुनर्निर्माण योग्य पंचायत भवनों की सम्मिलित संख्या दी गयी है।
		दशौली	19		19	
		घाट	6		6	
		कर्णप्रयाग	21		21	
		देवाल	7		7	
		थराली	10		10	
		नारायणबगड़	16		16	
		गैरसैंण	5		5	
		पोखरी	17		17	
		योग	125		125	
12.	टिहरी	कीर्तिनगर	1	5	6	जनपद द्वारा पंचायत भवन विहीन व पुनर्निर्माण योग्य पंचायत भवनों की सम्मिलित संख्या दी गयी है।
		प्रतापनगर	3	6	9	
		जौनपुर	13	1	14	
		थौलधार	5	0	5	

1	2	3	4	5	6	7
		नरेन्द्रनगर	8	8	16	
		जाखणीधार	4	2	6	
		भिलंगना	8	0	8	
		चम्बा	8	1	9	
		देवप्रयाग	5	4	9	
		योग	55	27	82	
13.	चम्पावत	चम्पावत	19		19	जनपद द्वारा पंचायत भवन विहीन व पुनर्निर्माण योग्य पंचायत भवनों की सम्मिलित संख्या दी गयी है।
		लोहाघाट	14		14	
		पाटी	6		6	
		बाराकोटी	12		12	
		योग	48		48	
	महायोग		975		1041	

नत्थी "च"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–08 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 11 पर)

वर्तमान में जनपदवार ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	स्वीकृत पद		कार्यरत पद	रिक्त पद	
		670 के अनुसार	2409 के अनुसार		670 के अनुसार	2409 के अनुसार
1.	उत्तरकाशी	36	142	17	19	125
2.	पौढ़ी	118	388	77	41	311
3.	टिहरी	75	310	54	21	256
4.	चमोली	39	184	20	19	164
5.	रूद्रप्रयाग	27	106	19	08	87
6.	देहरादून	40	123	36	04	87
7.	हरिद्वार	46	101	37	09	64
8.	अल्मोड़ा	95	374	42	53	332
9.	नैनीताल	44	150	27	17	123
10.	पिथौरागढ़	64	215	31	33	184
11.	चम्पावत	24	94	12	12	82
12.	बागेश्वर	35	121	14	21	107
13.	ऊधमसिंह नगर	27	101	16	11	85
	योग	670	2409	402	268	2007

नत्थी "छ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 13 पर)

स्थापित किये गये चारा बैंकों की सूची (संलग्नक–अ)

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	चारा विकास बैंक का नाम	संस्था का नाम, जहाँ से वर्तमान में चारा विकास बैंक संचालित किया किया जा रहा है।	भवन निर्माण की प्रगति	चारा बैंक के माध्यम से पशुपालकों को वितरित कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक की संख्या एवं चारे की मात्रा		चारा बैंक के माध्यम से वितरित चाटन भेली की संख्या	लाभान्वित पशुपालकों की संख्या	कितनी महिलाओं को इसके अन्तर्गत चारा ढोने में राहत प्रदान की गयी (महिलाओं की संख्या)
					फीड ब्लाकों की संख्या	फीड की मात्रा (Kg में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				जनपद नैनीताल					
1.	हल्द्वानी	लालकुआं	नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआं	100%	3048	73152	222	183	126
2.	बेतालघाट	बेतालघाट	दुग्ध अवशीतन केन्द्र बेतालघाट	100%	474	11376	940	41	32
3.	भीमताल	हैड़ियागाँव	दुग्ध अवशीतन केन्द्र भवाली	100%	1696	40704	315	133	98
4.	धारी	धारी	दुग्ध अवशीतन केन्द्र भवाली	100%	626	15024	210	62	51
				जनपद ऊधमसिंह नगर					
5.	बाजपुर	बाजपुर	पशुचिकित्सालय जपुर	100%	79	1896	600	384	0
				जनपद अल्मोड़ा					
6.	ताकुला	सोमेश्वर	पशुचिकित्सालय सोमेश्वर	100%	101	2424	30	80	52
7.	भैंसियाछाना	बाड़ेछीना	पशुचिकित्सालय बाड़ेछीना	100%	61	1464	30	76	0
8.	धौलादेवी	धौलादेवी	पशुचिकित्सालय धौलादेवी	100%	19	456	90	89	17
9.	लमगड़ा	लमगड़ा	पशुचिकित्सालय लमगड़ा	100%	100	2400	64	124	11
10.	द्वाराहाट	द्वाराहाट	पशुचिकित्सालय द्वाराहाट	100%	386	9264	5	49	0
11.	ताड़ीखेत	ताड़ीखेत	पशुचिकित्सालय ताड़ीखेत	100%	784	18816	180	330	11
12.	स्याल्दे	तुराचौरा	पशुचिकित्सालय स्याल्दे	100%	278	6672	90	180	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	हवालबाग	अल्मोड़ा	दुग्ध संघ परिसर अल्मोड़ा	100%	1819	50932	3638	1236	756
14.	चौखुटिया	चौखुटिया	दुग्ध संघ अल्मोड़ा	100%	1282	35896	2564	985	500
15.	सल्ट	मरचूला	दुग्ध संघ अल्मोड़ा	100%	फीड ब्लाक वितरित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।				
जनपद बागेश्वर									
16.	बागेश्वर	कनेड़ी	दुग्ध अवशीतन केन्द्र कनेड़ी	100%	1139	31864	2278	943	300
17.	कपकोट	कपकोट	पशुचिकित्सालय कपकोट	100%	230	6620	0	147	147
18.	गरूड़	गरूड़	पशुचिकित्सालय गरूड़	100%	2615	63296	0	244	244
जनपद पिथौरागढ़									
19.	पिथ	पिथ	डेयरी विभाग	100%	2178	54672	0	1225	980
20.	डीडीहाट	थल	डेयरी विभाग		फीड ब्लाक वितरित करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।				
21.	धारचूला	धारचूला	पशुचिकित्सालय धारचूला	100%	245	6860	0	117	94
22.	गंगोलीहाट	गंगोलीहाट	पशुचिकित्सालय गंगोलीहाट	100%	191	5348	0	46	37
23.	बेरीनाग	बेरीनाग	पशुचिकित्सालय बेरीनाग	100%	207	5796	0	50	16
24.	मुनस्यारी	मदकोट	पशुचिकित्सालय मदकोट	100%	20	560	0	15	5
जनपद चम्पावत									
25.	चम्पावत	चम्पावत	दुग्ध संघ चम्पावत	100%	10	240	0	0	0
26.	लोहाघाट	लोहाघाट	पशुचिकित्सालय लोहाघाट	100%	100	2400	0	270	0
27.	बाराकोट	बाराकोट	पशुचिकित्सालय बाराकोट	100%	392	9408	0	0	0
28.	पाटी	पाटी	पशुचिकित्सालय पाटी	100%	552	13248	0	207	0
जनपद देहरादून									
29.	सहसपुर	सहसपुर	पशुचिकित्सालय सहसपुर	100%	422	5064	280	271	271
30.	विकासनगर	हर्बटपुर	डेरी विभाग हर्बटपुर	100%	1318	15816	0	226	228
जनपद पौड़ी									
31.	पौड़ी	श्रीनगर	आंचल डेरी श्रीनगर	100%	1912	26164	0	956	956
32.	दुगड्डा	कोटद्वार	दु0अव0के0 सितावपुर कोटद्वार	100%	782	19872	0	390	390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			जनपद टिहरी						
33.	धौलधार	छाम	पशुचिकित्सालय छाम	100%	338	4732	205	360	126
34.	कीर्तिनगर	कीर्तिनगर	पशुचिकित्सालय कीर्तिनगर	100%	2277	61984	0	256	80
35.	चम्बा	नागणी	पशुचिकित्सालय चम्बा	100%	68	816	196	178	121
36.	जाखणीधार	गडोलिया	दुग्ध संघ परिसर गडोलिया	100%	532	7448	0	496	404
37.	चम्बा	नई टिहरी	डेरी परिसर नई टिहरी	100%	908	12712	0	701	638
			जनपद चमोली						
38.	गैरसैंण	गैरसैंण	पशुचिकित्सालय गैरसैंण	100%	412	9888	0	338	0
39.	दशोली	नन्दप्रयाग	पशुचिकित्सालय नन्दप्रयाग	100%	552	13248	0	40	0
40.	देवाल	देवाल	पशुचिकित्सालय देवाल	100%	229	5496	700	303	0
41.	नारायणबगड़	नारायणबगड़	पशुचिकित्सालय नारायणबगड़	100%	184	3936	19	136	0
42.	कर्णप्रयाग	सिमली	दुग्ध उत्पादक सह० संघ सिमली	100%	2377	63132	0	2377	0
			जनपद रूद्रप्रयाग						
43.	अगस्त्यमुनि	अगस्त्यमुनि	अगस्त्यमुनि	100%	1862	46584	310	335	335
			जनपद उत्तरकाशी						
44.	भटवाड़ी	भटवाड़ी	पशुचिकित्सालय भटवाड़ी	100%	962	25376	140	242	138
45.	डुण्डा	डुण्डा	दुग्ध संघ मातली	100%	1164	32592	500	1400	530
46.	चिन्यालीसौड़	चिन्यालीसौड़	पशुचिकित्सालय चिन्यालीसौड़	100%	320	8960	0	30	20
47.	नौगाँव	नौगाँव	पशुचिकित्सालय नौगाँव	100%	631	17668	967	840	135
48.	पुरोला	पुरोला	सांड केन्द्र पोरा, पुरोला	100%	100	1200	80	66	15
49.	मोरी	मोरी	पशुचिकित्सालय नैटवाड़	100%	50	1400	40	60	12
			जनपद हरिद्वार						
50.	बहादराबाद	बहादराबाद	पशुचिकित्सालय बहादराबाद	100%	0	0	697	676	0
			योग		36002	844776	15490	17796	7779

चारा बैंकों की सूची, जिनमें कार्य प्रगति पर है (संलग्नक–ब)

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	चारा विकास बैंक का नाम	संस्था का नाम, जहाँ से वर्तमान में चारा विकास बैंक संचालित किया किया जा रहा है।	भवन निर्माण की प्रगति	चारा बैंक के माध्यम से पशुपालकों को वितरित कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक की संख्या एवं चारे की मात्रा		चारा बैंक के माध्यम के वितरित साइलेज थैली की संख्या	लाभान्वित पशुपालकों की संख्या	कितनी महिलाओं को इसके अन्तर्गत चारा ढोने में राहत प्रदान की गयी (महिलाओं की संख्या)
					फीड ब्लाकों की संख्या	फीड की मात्रा (Kg में)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				जनपद नैनीताल					
1.	रामनगर	रामनगर	पशुचिकित्सालय बैलपड़ाव	90%	231	9240	0	231	80
2.	रामगढ़	रामगढ़	पशुचिकित्सालय रामगढ़	30%	233	9320	0	233	46
				जनपद ऊधमसिंह नगर					
3.	खटीमा	खटीमा	पशुचिकित्सालय खटीमा	60%	38	912	551	291	0
				जनपद अल्मोड़ा					
4.	भिकियासैंण	बासौट	पशुचिकित्सालय बासौट	50%	0	0	0	0	0
				जनपद पौड़ी					
5.	एकेश्वर	एकेश्वर	पशुचिकित्सालय एकेश्वर	35%	4	48	0	2	2
6.	थलीसैंण	थलीसैंण	पशुचिकित्सालय थलीसैंण	85%	3	36	0	2	1
7.	जयहरीखाल	जयहरीखाल	पशुचिकित्सालय जयहरीखाल	कार्यवाही गतिमान	310	3720	0	105	12
8.	पोखड़ा	पोखड़ा	पशुचिकित्सालय पोखड़ा	25%	68	816	0	29	7
9.	पौड़ी	डाडुवादेवी	पशुचिकित्सालय डाडुवादेवी	40%	112	1884	0	50	1
				जनपद टिहरी					
10.	जौनपुर	पंतवाड़ी	पशुचिकित्सालय पंतवाड़ी	कार्यवाही गतिमान	34	816	283	317	3
11.	भिलंगना	घनसाली	पशुचिकित्सालय घनसाली	कार्यवाही गतिमान	26	624	125	107	8
12.	प्रतापनगर	कोठारगाँव	पशुचिकित्सालय प्रतापनगर	कार्यवाही गतिमान	0	0	160	120	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				जनपद चमोली					
13.	पोखरी	पोखरी	पशुचिकित्सालय पोखरी	85%	965	13560	30	178	0
14.	थराली	ग्वालदम	ग्वालदम	80%	3	72	0	2	0
				जनपद हरिद्वार					
15.	खानपुर	खानपुर	पशुचिकित्सालय खानपुर	80%	0	0	323	185	0
	योग				1627	41048	1472	1852	180

चारा बैंकों की सूची, जिनकी स्वीकृति जारी की गई है (संलग्नक–स)

क्र० सं०	विकास खण्ड का नाम	चारा विकास बैंक का नाम	संस्था का नाम, जहाँ से वर्तमान में चारा विकास बैंक संचालित किया किया जा रहा है।	भवन निर्माण की प्रगति	चारा बैंक के माध्यम से पशुपालकों को वितरित कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक की संख्या एवं चारे की मात्रा		चारा बैंक के माध्यम से वितरित साइलेज थैली की संख्या	लाभान्वित पशुपालकों की संख्या	कितनी महिलाओं को इसके अन्तर्गत चारा ढोने में राहत प्रदान की गयी (महिलाओं की संख्या)
					फीड ब्लाकों की संख्या	फीड की मात्रा (Kg में)			
			जनपद नैनीताल						
1.	भीमताल	नौलाधारा	पशुचिकित्सालय भीमताल	चारा बैंक स्थापित करने हेतु कार्यवाही गतिमान।					
2.	कोटाबाग	कोटाबाग	पशुचिकित्सालय कोटाबाग	चारा बैंक स्थापित करने हेतु कार्यवाही गतिमान।					
			जनपद ऊधमसिंह नगर						
3	गदरपुर	गुलरभोज	पशुचिकित्सालय गुलरभोज	स्वीकृत धनराशि के आहरण की कार्यवाही की जा रही है।					
4	काशीपुर	काशीपुर	पशुचिकित्सालय काशीपुर	स्वीकृत धनराशि के आहरण की कार्यवाही की जा रही है।					
			जनपद पिथौरागढ़						
5	कनालीछीना	कनालीछीना	पशुचिकित्सालय कनालीछीना	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान					
6	मूनाकोट	मूनाकोट	पशुचिकित्सालय मूनाकोट	निविदा आमंत्रण की कार्यवाही गतिमान					
			जनपद देहरादून						
7.	चकराता	त्यूणी	पशुचिकित्सालय त्यूणी	चारा विकास बैंक की स्थापना हेतु कार्यवाही गतिमान।					
8.	श्यामपुर	श्यामपुर	पशुचिकित्सालय श्यामपुर	चारा विकास बैंक की स्थापना हेतु कार्यवाही गतिमान।					
			जनपद पौड़ी						
9.	कोट	कोट	पशुचिकित्सालय कोट	चारा विकास बैंक की स्थापना हेतु कार्यवाही गतिमान।					
10	पाबौ	पाबौ	पशुचिकित्सालय पाबौ	चारा विकास बैं की स्थापना हेतु कार्यवाही गतिमान।					
			जनपद चमोली						
11.	जोशीमठ	हेलंग		निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।					
			जनपद हरिद्वार						
12.	नारसन	नारसन	पशुचिकित्सालय नारसन	चारा विकास बैंक की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि आहरण की कार्यवाही की जा रही है।					
13.	बेलड़ी	बेलड़ी	पशुचिकित्सालय बेलड़ी	चारा विकास बैंक की स्थापना हेतु स्वीकृत धनराशि आहरण की कार्यवाही की जा रही है।					

नत्थी ''ज''

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या 14 पर)

क्र0सं0	जनपद का नाम	मद	धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
1.	देहरादून	अनुग्रह अनुदान	4310276	64
		अहेतुक सहायता	23596322	7729
		गृह अनुदान	16949000	4581
2.	हरिद्वार	अनुग्रह अनुदान	9185100	378
		अहेतुक सहायता	34008500	10113
		गृह अनुदान	111761000	26375
		अन्य	79000556	33427
3.	टिहरी गढ़वाल	अनुग्रह अनुदान	2257500	7236
		अहेतुक सहायता	6146000	
		गृह अनुदान	48059000	
		अन्य	15392197	
4.	पौड़ी गढ़वाल	अनुग्रह अनुदान	5968100	99
		अहेतुक सहायता	2221158	2907
		गृह अनुदान	46066325	10112
5.	उत्तरकाशी	अनुग्रह अनुदान	5168000	143
		अहेतुक सहायता	2970000	773
		गृह अनुदान	35255500	3685
		अन्य	6507946	11468
6.	चमोली	अनुग्रह अनुदान	5568270	209
		अहेतुक सहायता	714000	275
		गृह अनुदान	24320680	6189
		अन्य	4864350	677
7.	रूद्रप्रयाग	अनुग्रह अनुदान	1461200	1841
		अहेतुक सहायता	537728	
		गृह अनुदान	8086500	

8.	बागेश्वर	अनुग्रह अनुदान	7260600	128
		अहेतुक सहायता	402250	175
		गृह अनुदान	10328000	970
		अन्य	1813010	3144
9.	नैनीताल	अनुग्रह अनुदान	5767900	92
		अहेतुक सहायता	4050467	2440
		गृह अनुदान	13088000	2377
		अन्य	9313693	11669
10.	चम्पावत	अनुग्रह अनुदान	1996800	1486
		अहेतुक सहायता	2545762	
		गृह अनुदान	2809000	
11.	पिथौरागढ़	अनुग्रह अनुदान	2775000	41
		अहेतुक सहायता	280000	83
		गृह अनुदान	10691000	665
		अन्य	2899000	2231
12.	अल्मोड़ा	अनुग्रह अनुदान	10723800	226
		अहेतुक सहायता	505000	250
		गृह अनुदान	39695000	4299
13.	ऊधमसिंह नगर	अनुग्रह अनुदान	2982060	47
		अहेतुक सहायता	11859000	3075
		गृह अनुदान	6451500	1606
		अन्य	6899115	1937
		योग	655531165	165222

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 34 विधान सभा/422-05-02-2013-200 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।